राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार

2 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या (1), प्रश्न संख्या (1)।

अनेक माननीय सदस्य: नो नो।

अनेक माननीय सदस्य: पहले फैसला, पहले फैसला। पहले फैसला।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले फैसला। पहले फैसला। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पूर्व मंत्रीजी जो हैं, यह इन्होंने तय कर रखा है कि आज फजीती करायेंगे, पांच तारीख को फजीती करायेंगे, आठ तारीख को लाइन पर आयेंगे। (व्यवधान) होगा वही, माननीय अध्यक्ष महोदय, होगा वही आपने जैसा कहा है कि इस शर्मनाक घटना के लिए खेद तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, आज करो चाहे पांच तारीख को करो। आप खेद प्रकट करो और उसके बाद जो बात करनी है, वह करें।

अनुरोध एवं मांग

सदस्यों के निलम्बन समाप्ति की मांग

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि यह प्रश्नकाल...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये यह चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे पता है इनका षड्यंत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है, इनका षड्यंत्र है। (व्यवधान) होली खेलो, जाओ। आपको कोई मतलब नहीं है जनता के दर्द से।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपमें से एक ही बोलें तो उचित रहेगा, सब क्यों खड़े हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम एक ही बोल रहे हैं। वह आपके बीच में यह स्प्रिंग उछलती है, इनका हमारे पास क्या इलाज है?

श्री अध्यक्ष: अब वह बैठ गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद आप इनको मौका दें। राजस्थान की जनता से जुड़े हुए सवाल तो प्रश्नकाल में हैं, सरकार जवाब देना चाहती है, उसके बाद बात सुनिये। आपने प्रश्न पुकार लिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने प्रश्न पुकार लिया है, अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पुकार लिया है, हम उत्तर देने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पार्लियामेंट में भी जनता देख रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, आप तो अपने मंत्रीजी के प्रश्नों के उत्तर दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब आप लोग बैठें तो मैं कुछ कहूं ना। जब आप एक बार स्थान ग्रहण करेंगे प्लीज, एक बार आप स्थान ग्रहण करेंगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो अपने मंत्रीजी के प्रश्नों के जवाब दे दो, हमारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक बार आप स्थान ग्रहण करेंगे? (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करने के लिए ही खड़े हुए हों। (व्यवधान) आप बात सुन लीजिये।

अनेक माननीय सदस्य: नो नो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप हमारी बात सुनेंगे नहीं और पहले ही आप कह देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही, आप सुनिये तो सही। Let him speak. आप सुनिये तो सही। सुनिये तो सही। आप सुनिये तो सही। कई बार....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने प्रश्न पुकार लिया अध्यक्ष महोदय। फिर काहे की अनुमति है अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) आपने प्रश्न पुकार लिया अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक-एक सवालों पर लाखों रुपये लगते हैं। ये प्रश्नों के प्रति गम्भीर नहीं हैं। यह केवल हा-हुल्लड़ करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न भी इनका है और ये अपने साथी के प्रति भी गम्भीर नहीं है। यह प्रश्न भी इनके साथी का है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्हें प्रश्न से मतलब नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय भी प्रश्नकाल नहीं चाहतीं, इसलिए अलाउ किया है। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय भी प्रश्नकाल नहीं चाहती हैं इसीलिए तो अलाउ किया है। आप क्यों बोल रहे हो?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं पूछें तो भी मैं उनको जवाब दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज मुख्य सचेतकजी का डबल रोल नहीं चलने वाला, मुख्य सचेतकजी का डबल रोल नहीं चलेगा। सिंगल रोल होगा। जो पढ़ा है, वही यहां अन्दर कहो। सिंगल रोल रखो, डबल रोल मत रखो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी तैयारी की है सारे जवाब की, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं, इसलिए अलाउ किया जाये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): राजस्थान में पंचायती राज में कितना भ्रष्टाचार हो गया है, इसमें आपका योगदान कितना रहा है, बताओ, जवाब दो, जवाब दो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह तो आपको जनता बता देगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने सारे नियमों को छोड़कर, हालांकि मैंने प्रश्न पूछ लिया था, प्रश्न नम्बर एक पुकार लिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने पुकार लिया अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही। आप मुझे भी कुछ कहने दिया करें। कुछ कह तो लेने दिया करें मुझे आप। कृपया आप बिराजें पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप फरमायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने सारे नियमों को छोड़ते हुए क्योंकि प्रश्न नम्बर एक मैंने पुकार लिया था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करके आगे की कार्यवाही संचालित होने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपने कृत्य के बारे में।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोलने भी देंगे कि नहीं मुझे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अगर ऐसी कोई बात होती तो लीडर आफ अपोजिशन बोलेंगे। आप हर चीज को उचित मानती हैं क्या? आप इस चीज को उचित मानती हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: Chair is on its legs.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): We are also on legs. बाहर निकालने में क्या तकलीफ है? हमें प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। कल भी प्रोटेस्ट था हमारा, आज भी प्रोटेस्ट है हमारा। (व्यवधान) निकलवाइये, बाहर निकलवाइये। निकलवाइये बाहर, बाहर निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बाहर निकलवाइये, बाहर निकलवाइये। (व्यवधान) बाहर निकलवाइये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): : आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। आप आसन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके मन में आये वह उचित होता है। (व्यवधान) बाहर निकलवाइये। हमारे लिए भी प्रस्ताव रखिये, रखिये प्रस्ताव। (व्यवधान) रखिये प्रस्ताव।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सी.पी. जोशीजी चाहते हैं कि बाहर निकलवाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक आसन को डिक्टेशन देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आसन को सम्बोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसन को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आसन का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रखवाइये ना प्रस्ताव। रखवाइये ना प्रस्ताव, क्या तकलीफ है। रखवाइये ना प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये बीच में बोल-बोलकर व्यवस्था खराब कर रहे हैं। (व्यवधान) हमारे नेता बोलेंगे तो ये बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो हर चीज को प्रतीक मानती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के पास जाकर कह रहे हैं कि आप परवाह मत करना, इनकी धौंस में मत आना आप, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप दिलावर साहब से कहिये, हमको नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान) आपके धौंस से हाउस नहीं चलेगा, आपकी धौंस से सरकार भी नहीं चल सकती। (व्यवधान) आपकी धौंस से सरकार भी नहीं चल रही है। आपकी धौंस से सरकार भी नहीं चल रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप रामनारायणजी, कांग्रेस के नेता नहीं हैं। इनका गला घोंटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह विधान सभा है । प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरकार को आप चला रहे हो क्या? (व्यवधान) आप सबको प्रोवोक करना चाह रहे हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ये चार आदमी सदन को चलाना चाहते हैं। हम तो चारों को देखना चाहते हैं। एक भी बाकी हो तो बताओ हमें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय रामनारायणजी, ये आपको नेता नहीं मानते। इसीलिए तो नेता अमरा रामजी हैं। आप नहीं हैं। आपको कोई नेता नहीं मानता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूरे राजस्थान को पार्टी के चार आदमी चलायेंगे तो बाकी को भी निकलवा दो। (व्यवधान) चार आदमी बोल रहे हैं, बाकी सब चुप बैठे हैं, यह दिख नहीं रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): चारों को खड़ा करना आपको ज्यादा भा रहा है तो बता दो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना ना, हमें तो पाँच पसन्द हैं, पाँच काफी हैं। पाँच काफी हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है, आपने प्रश्न पुकार लिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को अपना नेता मानते हैं। वह तो एक ही काफी है। रामनारायणजी की जरूरत क्या है। (व्यवधान) सी.पी.एम. आपकी नेता है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाकर भी इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। सुनें आप, सुनें आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए थे। उनके बारे में आपने अनुमान पहले ही से अपने आप अपने मन के हिसाब से लगा लिया, वह अनुमान ऐसा नहीं था। वह सोच-समझकर खड़े हुए थे। पहले हमने देखा था, आज की कार्यवाही देखी थी और आपने सब व्यवस्थाएं, रूलिंग, जो पहले इस मामले में हुई, वह सब हमारे पास भेजी है, उनकी फोटोस्टेट कराकर भेजी है। इससे हमें यह आभास लगा कि आप इस मामले को शांतिपूर्वक रिजोल्व करना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष: चाहती हूं। बिलकुल चाहती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहती हैं ना आप, तो यही हमारी इच्छा थी और वही हम बोलना चाहते थे। आप उसको पहले ही यह ले गये कि खेद प्रकट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसलिए मैंने समझा। एक सैकण्ड, क्षमा चाहते हुए आपसे, इसलिए मैंने समझा कि चूंकि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सात बार जीतकर आ चुके हैं। मैंने सोचा, शायद वह खेद प्रकट करने के लिए ही, यहां पर खेद प्रकट करने के लिए खड़े हुए हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपका प्रिजम्पशन गलत है। आज चूंकि...

श्री अध्यक्ष: मतलब आप रिजोल्व नहीं करना चाहते?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नो नो नो, आप पूरी बात सुनिये अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। सुन लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये क्या कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने अनुमान तो गलत बता दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिये, आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैं सुन रही हूं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रतिपक्ष.....(व्यवधान) एक तरफ तो गंगानगर में लाल झण्डे के नीचे बैठते हैं और दूसरी तरफ यहां सदन में आकर उनका बचाव करते हैं और गंगानगर में और कोई स्टेटमेंट देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, जब वे बोल रहे हैं तो मैं आप सबसे चाहूंगी, बीच में नहीं बोलें आप। यह बात बहुत गलत है कि एक व्यक्ति के जिसके प्रांगण

कब्जे में होता है दूसरा इंटरफियर करता है, यह बहुत गलत व्यवस्था और गलत परम्परा है। हां, बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप इसको...

श्री अध्यक्ष: मैं भी उतना ही सम्मान करती हूं आपका।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप अन्यथा न लें इसको, आप अन्यथा ना लें।

श्री अध्यक्ष: यह आसन भी आपका उतना ही सम्मान करता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अगर आप पूरी बात सुन लिया करें तो आधी समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष: तो मैं सुन रही हूं ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप बीच में ही टोक-टोक कर, हम लोगों की समस्याएं बढ़ाती हैं उससे।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं टोक रही, मैं तो उन लोगों को...(व्यवधान) अब आप क्या देख रहे हैं, (व्यवधान) अब आप क्या....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): आप कहना क्या चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय समस्या बढ़ा रहे हैं, आप अध्यक्ष महोदय पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं आरोप नहीं लगा रहा, निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं, आप कह रहे थे कि आपके टोकने के कारण समस्याएं बढ़ती हैं, यह आसन का अपमान है अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह: निवेदन कर रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: इनका यह कथन, अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, यह कथन कि आसन की टोकाटाकी से समस्या बढ़ती है, यह आप पर आरोप लगा रहे हैं, आसन पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तो निवेदन करते समय आप इधर मुखातिब होइये, उधर क्या देखते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा आप निवेदन सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप उधर क्या देख रहे थे। नहीं, क्या देख रहे थे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह: वह बीच में बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष: तो उनको टोक रही हूं, उनको रोक रही हूं, कह रही हूं कि न बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: यह पार्लियामेंट्री...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। पीएडी मिनिस्टर, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप पर आरोप लगाते हैं अध्यक्ष महोदय, आप पर आरोप।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, उनको तो पूरी आरएसएस नहीं रोक पा रही है, पूरी आरएसएस। पूरा आरएसएस नहीं रोक पा रहा है इनको तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, आपके ही माननीय सदस्य....(व्यवधान) वेरी सॉरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक 1966 की प्रोसीडिंग्स की हमको कापियां भेजी हैं, हमने उसको गौर से पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह: 1966 की प्रोसीडिंग्स की कापी आपने हमको जो भिजवाई है, जिसमें तत्कालीन उप मंत्री श्री रामप्रसादजी लड्ढा ने एक सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा था, आज हमने देखा उस पर, उस पर विचार-विमर्श भी किया...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): यह प्रश्न काल के बाद की बात है...

श्री प्रद्युम्न सिंह: अब यह नहीं मानेंगे, यह नहीं सुधरेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो सुधरेंगे कि बिगड़े हुए हैं लेकिन आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेंगे। आठ टर्म हो गये आपको यहां पर, आप 66 में मौजूद थे....

श्री प्रद्युम्न सिंह: हम बिगड़े कब थे जो सुधरेंगे। हम बिगड़े नहीं थे।

श्री अध्यक्ष: आप उस समय मौजूद थे, आप विधान सभा के सदस्य थे उस समय।

श्री प्रद्युम्न सिंह: हम बिगड़े नहीं थे जो सुधरेंगे। हम तो सुधरे-सुधराये हैं अध्यक्ष महोदय। हम तो सुधरे-सुधराये हैं, हम बिगड़े हुए कब थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब तक तो आप सुधरे हुए थे लेकिन अब आप मत बिगड़ो। अब तक तो सुधरे थे।

श्री कालूलाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, यह इतने बिगड़ गये कि अब सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनके तो सुधरने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः अब मत बिगड़ो।

श्री प्रद्युम्न सिंहः मेरा आप निवेदन सुनें।

श्री अध्यक्षः मेरी पहले सुन लें आप। आपके लिए मैं कह रही हूं। तमाम उम्र तो गुजारी मोमिन बुतों को पूजते, अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक हमको वह भिजवाई, प्रोसीडिंग्स भिजवाई। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ीः कुछ लोग बुढापे में भी बिगड़ते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंहः यह उनमें से एक हैं। यह उनमें से एक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तत्कालीन, 1966 की जो आपने प्रोसीडिंग्स भिजवाई, हमको ऐसा आभास लगा जिसके ऊपर आज नेता महोदय हम लोगों को कुछ लोगों को लेकर बैठे जिस पर चर्चा हुई। मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न काल को स्थगित करके लोगों को लेकर बैठें, इस मामले को रिजाल्व करें क्योंकि देखिये, यह कल इतना हार्ड स्टेप लिया गया है यहां पर जिसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको 1991 की याद दिलाना चाहता हूं। सुखदेव प्रसादजी का कुर्ता फाड़ दिया था लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले किसी सस्पेंशन का या सदन से उनको निकालने का प्रस्ताव नहीं आया था। 89 की (व्यवधान) सॉरी, 89 की...(व्यवधान) 89-89 की...

श्री महावीर प्रसाद जैनः राज तो हमारा था, आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंहः 13 मार्च, 1989 की बात है...

श्री महावीर प्रसाद जैनः 91 में तो राज बीजेपी का था।

श्री कालूलाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, 91 में तो भारतीय जनता पार्टी का राज था और वहां बीजेपी वालों ने कहां से कुर्ता...(व्यवधान)

श्री जुबेर खानः 13 मार्च, 1979 की बात है। 13 मार्च, 1979 की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: 91 की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, 91 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, सदस्यों ने कैसे फाड़ दिया कुर्ता सत्ता पक्ष के लोगों ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप शायद कांग्रेस पार्टी को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर आपने..(व्यवधान) यह सत्ता पक्ष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलें, बैठिये न आप। आप बीच में नहीं बोलें, वह बोल रहे हैं।

श्री मदन राठौड़: वह गलत बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह गलत-सलत जो बता रहे हैं मैं जवाब दे दूंगी उसका।

श्री प्रद्युम्न सिंह: हमको यह आभास लगा अध्यक्ष महोदय, यह आभास हुआ कल, शायद सत्ता पक्ष हमें कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे बड़ा दल है, प्रतिपक्ष के अंदर बैठा हुआ है, यह संदेश देना चाहते थे कि आप होश में रहो, अगर आपने ज्यादा चूं-चपड़ की तो आपका भी यही हाल होगा। हमको यह बात नागवार गुजरी है, चाहे हमको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इसके लिए, हम चाहते हैं कि आप इस मामले को रिजाल्व करें, आपका यह नौवां टर्म है इस विधान सभा में, आपने भी बहुत जमाना देखा है और आपने बहुत उतार-चढ़ाव....

श्री अध्यक्ष: ऐसा? कल जैसा नहीं देखा था मैंने कभी, पचास साल के इतिहास में कल जैसा नहीं देखा था मैंने। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: क्या। कपड़े फाड़ने वाला देखा था आपने। कपड़े फाड़ने वाला तो देखा था आपने उस वक्त। (व्यवधान) या तो आपने...

डा. सी. पी. जोशी: माननीय सदस्य, आँख बंद कर रखी थी उस समय, कहां से देखा।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्न काल को कृपया स्थगित करें आप, अपने चैम्बर के अंदर आप बुलायें, लोगों को लेकर बैठें कि यह मामला कैसे रिजाल्व हो, वरना, अन्यथा, मैं बहुत ही आपसे पेनफुली निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष को अपना दायित्व निभाते हुए हम प्रश्न काल को नहीं चलने देंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको...

श्री अध्यक्ष: सरकार तो चलेगी, विधान सभा की बात कह सकते हैं आप। विधान सभा नहीं चलने देंगे, यह कह सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप सुनिये, भैरोंसिंहजी ने कभी, ना-ना...

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं कि सरकार को नहीं चलने देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह: सरकार को नहीं कह रहा हूं, सरकार तो अब... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: सरकार को तो वही नहीं चलने देंगे। सरकार को हम नहीं, सरकार को तो केबिनेट के मिनिस्टर ही नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तात्पर्य है विधान सभा को नहीं चलने देंगे, इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना....

श्री महावीर प्रसाद जैन: इस बहम में मत रहो आप।

श्री महीपाल यादव: इनके तो जूतियों में खीर बंट रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप अपने गुड आफिसेज को यूज करते हुए आप इनके ट्रेप में न फंसे। यह तो आपको अपने ट्रेप में लेना चाहते हैं, इनके काले कारनामों को यह चाहते हैं कि दबे रहें, उठायें नहीं इनके काले कारनामे जो हैं इसलिए यह चाहते हैं कि सदन नहीं चले।

श्री अध्यक्ष: काले कारनामों को उजागर करने का पूरा आपको समय मिलेगा, करियेगा उजागर आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप तो इनकी मदद कर रही हैं, आप तो इनकी मदद पर आ गई हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लेकिन आप जिस चीज पर हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं वह इनके काले कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह: इसलिए मेरा आखिरी निवेदन है...

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, ब्लेकमेल कर रहे हैं, और इनका कोई परपज नहीं है। यह प्रिसाइडिंग आफिसर को ब्लेकमेल करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अगर यह भावना है कि सदन चलना चाहिए तो हम आपकी भावना के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साथ सहमत हैं। हम भी चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि के नाते इस सदन का उपयोग करके जन समस्याओं को यहां रखा जाय, लेकिन आप और मेरा भी कुछ बीस-तीस साल का अनुभव है, कल राज्यपाल के साथ जो घटना, जिस ढंग का व्यवहार हुआ, क्या आप उसको उचित समझते हैं और अगर उचित नहीं समझते हैं तो क्षमा मांगने में ऐसी कौन सी बड़ी आफत है जिसके कारण से समस्या का हल न होकर के सदन व्यवस्थित रूप से अपना काम पूरा कर सके। केवल एक जिद्द के कारण से अगर हम समय बरबाद कर रहे हैं और क्वेश्चन आवर जैसा महत्वपूर्ण सवाल है और आप स्वयं कह रहे हैं कि सरकार, सरकार तो चाहती है कि आपके द्वारा उठाये हुए सवालों का हम ठीक प्रकार से जवाब देकर के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करें और राजस्थान की जनता के पास इस बात का मैसेज जाये कि वास्तव में सदन में विषय उठे थे उसकी उचित कार्यवाही हुई। मैं सोचता हूं यह केवल एक आपस के अहंकार की लड़ाई नजर आ रही है, जो व्यवहार कल दिखा। आपने भी देखा है कि कई बार हम लोगों ने शायद राज्यपाल के अभिभाषण के समय एक मिनट या दो मिनट कुछ बोल करके व्यवधान करने की कोशिश की होगी लेकिन उसके बाद सदन शांत हुआ और उनका भाषण हुआ या हम उनके बाहर जाकर के अपना विरोध दर्ज करा लिया, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं हुई जो उनके सामने करना, इस प्रकार की नारेबाजी हुई, क्या यह सदन की शोभा है? मैं चाहूंगा कि आप भी...

श्री सी. डी. देवल: कुर्ता फाड़ दिया, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो और कहते हो क्या व्यवहार है। आपने कपड़े फाड़ दिये। आप लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिये, उनका जो वह था उसको फाड़ दिया, इससे ज्यादा क्या व्यवहार कर सकते हो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अगर मान लो हमने कपड़े फाड़ दिये तो....

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य..

श्री सी. डी. देवल: हां साहब।

श्री अध्यक्ष: जब राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे सब शांतिपूर्वक उनकी बात सुन रहे थे। (व्यवधान) बीच में नहीं, और अब जब गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं तब आप बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें आप।

श्री सी. डी. देवल: अध्यक्ष महोदय, यह बीच में खड़े, तीन-तीन खड़े हुए थे, महावीर प्रसादजी खड़े हुए, माननीय यह संसदीय मंत्री खड़े हुए और बीच में इनको टोका। आपने उनको बैठने का नहीं कहा और हमको कह रहे हो आप बैठ जाओ, हम तो बैठ जायेंगे, आपकी आज्ञा को मानते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इनको आप पक्ष करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, हम सब की इच्छा है...

श्री अध्यक्ष: उनको भी मैंने रोका था, उनको भी टोका था।

श्री सी. डी. देवल: बैठे तो नहीं साहब, हम तो बैठ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब फिर आप..

श्री सी. डी. देवल: हम तो बैठ रहे हैं साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, सब की इच्छा है कि सदन ठीक प्रकार से चले, प्रश्न इतना है कि क्वेश्चन आवर समाप्त करने के बाद बैठा जाय या पहले। मैं सोचता हूं क्वेश्चन आवर को पूरा करिये और उसके बाद आपके कक्ष में बुलाकर के इस समस्या को हल करने के लिए बैठ करके जो भी बात हो सकती है...

श्री अध्यक्ष: मैंने तो कल भी बुलाया था। मैं तो कल भी बुलाना चाह रही थी कि रिजाल्व हो जाय लेकिन यह आये नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: वह बात होकर के कम से कम सदन व्यवस्थित रूप से चले तो मैं सोचता हूं ज्यादा ठीक उपयोग होगा।

श्री अध्यक्ष: मैं तो कल भी चाह रही थी।

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, जो भावना व्यक्त की वह इसमें इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि आपने स्वयं ने मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। सर्वदलीय मीटिंग में यह बात आपके सामने आई कि कुछ दल के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आपने स्वयं ने, अध्यक्ष महोदय, याद करिये, आपने स्वयं ने कहा कि भई आप प्रोटेस्ट करके बाहर जा सकते हैं। आपको कहा कि हमारी पार्टी नैक्स्ट डे मिलेगी और आपको कम्युनिकेट करेगी। हमने आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी पूरे राज्यपाल महोदय के भाषण में शांतिपूर्ण बैठी। हमारे एक माननीय सदस्य ने उसके बाद पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया। आपको उसमें फैसला करना था, इसके बीच में प्रस्ताव ले आये। हमारा बोन ऑफ कटेंशन यह है कि आपकी नीयत साफ होती तो आप पहले डिस्पोज आफ करते पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को, उसके बाद माननीय चीफ व्हिप ऑफ दी

(डा. सी. पी. जोशी)

रूलिंग पार्टी प्रस्ताव लाते, आप उसमें सुन रहे थे और सुनने के बीच में चीफ व्हिप प्रस्ताव लेकर के आ गये, यह धर्म बनता था रूलिंग पार्टी का, आप हमारे लीडर को इन्फोर्म करते कि इस तरह के व्यवहार पर रूलिंग पार्टी का यह मत है आप भी इसमें कोआपरेट करिए बिना यूनिलेटरल कम्युनिकेट किए आप, आपने फैसला लेकर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को जो मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे भी विनम्र शब्द में निवेदन करना चाहते हैं कि कल आपने भी सदन के, आपने मतलब चैयर ने भी रोंग परम्पराएं प्रारम्भ करी, आपने स्वयं ने कहा कि जब राज्यपाल महोदय डिसाइड कर रहे हैं तो वह डिसाइड करने में स्पीकर का रोल नहीं है, कांस्टिट्यूशन में भी प्रोविजन यह है कि राज्यपाल महोदय हाऊस को आहूत करते तो पहले सदन में वो इन्फरेंस करते, आपने कल स्वयं ने यह निर्णय दिया। फिर आपने अध्यक्षजी को रिक्वेस्ट करके, गवर्नर को रिक्वेस्ट करके भाषण को कट शोर्ट करवाया, जो जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की बनती थी पूरी की पूरी व्यवस्थाएं चैयर के माध्यम से कल यदि पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी की वाइलेट की जाये और उसके बाद यह एग्जाम्पल देना चाहें, माननीय अध्यक्ष महोदय तो टू-वे ट्रेफिक है, यह वन-वे ट्रेफिक नहीं है। इसलिए आपको बड़प्पन बताकर क्वेश्चन आवर को समाप्त कर जैसा माननीय प्रघुम्नसिंहजी ने कहा है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठकर और पार्टी के रूलिंग पार्टी के साथ बैठकर निर्णय करें कि भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट नहीं हो। राज्यपाल महोदय के संवैधानिक पद का सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सभी चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है लेकिन चैयर की भी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था इस तरह की करें कि इस तरह की स्थिति नहीं बने, हमारी भावना यह है। आप बड़प्पन में चलकर आपने स्वयं ने कहा है कि यदि मेरी गलती है तो मैं ठीक कर लूंगी, आपने स्वयं ने कल कहा है जब आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि मैं ठीक कर लूंगी, दूसरी तरफ आपने रूलिंग को रिजर्व रखा, तीसरी तरफ आपने अलाऊ करके बीच में प्रस्ताव रखवा दिया, यह परम्परायें अच्छी संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए आपको आज क्वेश्चन आवर समाप्त करना चाहिए और बैठकर बात कर इस डेड-लॉक को खतम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ....व्यवधान नहीं मुझे बोलने दीलिए, आप बिराजे, मैं बोलूंगी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं इस बात को कि राईट और रोंग जो अध्यक्षीय व्यवस्था दी जाती है उस पर कभी चर्चा नहीं की जाती है और उसको कभी कन्डेम नहीं किया जाता है। यह आपको जानकारी है और जानकारी होते हुए आप यह कर रहे हैं मैं समझती हूं कि उचित नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रूलिंग कहां दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आपका सम्मान है, आप उठा के देख लें, महावीर प्रसादजी चीफ व्हिप उस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहे थे और बोलने के बीच में प्रस्ताव लाये हैं रिकॉर्ड देख लें आप, यदि इसमें कोई करेक्शन हो तो हम माफी मांग लेंगे, आप चैक कर लें, अध्यक्ष महोदय फिर दुबारा कह रहा हूं मैं, आप चैक कर लें महावीर प्रसादजी चीफ व्हिप पॉइन्ट ऑफ ऑडर पर बोल रहे थे, आपके फैसले के बीच में वे प्रस्ताव ले आये, यह ठीक परम्परा नहीं है आप चैक कर लें रिकॉर्ड में, हम माफी मांग लेंगे अन्यथा आप गलत परम्पराओं को पेट्रोनाइज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यह आपके लिए भी शोभा नहीं देता, आपने स्वयं ने रूलिंग देने के बाद में आपने मुझे पॉइन्ट आफ ऑर्डर अलाउ किया था, आपने खुद ने रूलिंग दी थी उस पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर अलाउ किया था, डिस्कस कर रहे हैं आपने उसके बाद आप चेंज करना चाहते थे अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय पॉइन्ट आफ ऑर्डर उठाया, राज्यपाल के भाषण में हमने व्यवस्था पढ़कर सुनाई कि पूर्व अध्यक्ष की यह व्यवस्था रही है, उसके बाद आपने पॉइन्ट आफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी और उसको निरस्त किया, एक पॉइन्ट पर आपने अपना फैसला रिजर्व रखा था यदि कहीं मेरी गलती हुई है तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है कि कहीं मेरी गलती हुई है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो माफी मांग लेंगे, तो मांग लें आप, हम माफी मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे अध्यक्ष महोदय हम माफी मांग लेंगे आप रिकॉर्ड चैक कर लें हम माफी मांग लेंगे (व्यवधान) माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं है, मंगा ले रिकॉर्ड चैक कर लें (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) यदि मान लो मैंने बिना परमिशन के और उस पॉइन्ट आफ ऑर्डर का उत्तर हमने नहीं दिया,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वह रूलिंग पढ़कर के नहीं सुनाई, उसमें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर और जो चर्चा हुई है 1992 का, वह फैसला नहीं पढ़कर सुनाया और उस पर मतलब जो है आपने फैसला नहीं लिया तो उसके बाद आया यह प्रस्ताव (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः (व्यवधान) अब आप बैठिये, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय उसके बाद जब ये सारे फैसले हो चुके, मैं काफी बैठा, सारी प्रेस भी देख रही थी, सब देख रहे थे, सब ने कहा कि पहली बार मुझे प्रेस ने भी एप्रिसेट किया कि आप बैठे थे यानि यह बात सही है। मैं मानता हूं कि जो मतलब है कि मैं अपने आपको नहीं रोक पाता लेकिन कल मैंने इतना रोका, प्रेस भी कह रही थी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय इसके धन्यवाद के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि आपने बहुत संयम रखा और रोका अपने आपको...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): (व्यवधान) प्रस्ताव लाएंगे कि कल आपने आपको रोकने की चेष्टा की, इसका प्रस्ताव लाएंगे सदन के अन्दर आपका आभार प्रकट करने के लिए (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अख़बार वालों से भी कहा कि मेरी पार्टी के जो लोग हैं उन पर आरोप लगाऊंगा तो जवाब नहीं दे सकते, यह चुप्पी भी आपकी ठीक है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या कहा मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कभी डबल स्टैण्डर्ड नहीं रखता (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सत्य नहीं है कि कल आपने अपने आपको बहुत रोका, आपको कल रोकने का कारण दूसरा था आपसे चीफ मिनिस्टर साहब की बात नहीं हुई थी और आज सुबह तक आप अत्यन्त निराश थे और आज नौ बजे के बाद मुख्यमंत्रीजी की आपके टेलीफोन पर बात हुई है और उनकी बात होने के बाद में आपमें करण्ट आया है (व्यवधान) कल आपमें करण्ट नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी और मुख्य सचेतकजी के बीच में बात हो और इनको इत्तिला हो जाए अब इनके सम्बन्ध कितने मधुर हैं यह आपको अंदाजा है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता और हमारे संबंध कितने (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मालूम है कि आपके संबंध कितने मधुर हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब आज सुबह आपने प्रोसीडिंग में 1966 की जो प्रोसीडिंग साथ में भेजी, सब माननीय सदस्यों के मन में एक बात आई कि आप उदार मन से कल जो कृत्य हुआ उसके लिए यह क्षमा मांगेंगे और आप क्षमा करेंगे, यह जो आपने प्रोसीडिंग भेजी 1966 की इसके पीछे अपने आप में एक मंतव्य दिखता है अध्यक्ष महोदय कल जब यह घटना घटित हुई, प्रतिपक्ष के नेता से मैंने जाकर स्वयं बात की थी .....(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कैसे बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप अलाऊ कैसे कर रहे हो इनको (व्यवधान) आप कैसे अलाऊ कर रहे हों? He was speaking. आप अलाऊ कैसे कर रहे हो? मन में आई जो बात ... He was in possession of the floor of the House. (व्यवधान) आप हमारे लीडर बन जाए, आप खुद अलाऊ करके यह खुद बोल रहे थे आप खुद को (व्यवधान) करते नहीं है (व्यवधान) आप अलाउ कर रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से जब मैंने स्वयं ने बात की इस कल की घटना की तो आपने खुद ने कहा कि यह खेदजनक बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ जिस तरह का आचरण हुआ प्रतिपक्ष के नेता ने खुद ने कहा यह नहीं होना चाहिए (व्यवधान) जब मैंने कहा (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने इनको अलाऊ कर दिया जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे आप इनको बिठाइए और प्रतिपक्ष के नेता की पहले बात सुनिये और नहीं तो इनकी बात हम भी नहीं सुनेंगे, आपने कल यह व्यवस्था दी कि कल मैं व्यवस्था दूंगी, आसन ने यह कल कहा था कि इस मामले में मैं कल व्यवस्था दूंगी तो पहले आप इसकी व्यवस्था दिलायें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष का आपके द्वारा भेजी गई प्रोसीडिंग के बारे में जो इन्फरेंस निकाला जा रहा है वह गलत है ...

श्री अध्यक्षः मैंने भेजी है

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) आप भेजने वाले कौन होते हो आपने जो प्रोसीडिंग भेजी हमारे पास है, वह आपके पास भी गई होगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हां गई है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसका जो इन्फरेंस निकाल रहे हैं वह गलत निकाल रहे हैं और सीधे ही आप जम्प कर रहे हैं पार्लियामेंट्री के (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बतो दो ना, यह तो गलत निकाल रहे हैं आप सही बात बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सही बात तो मैंने बता दी और आपने कंसीड कर ली ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वैरी गुड ....

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) आपकी ऐसी मंशा थी तो आपने कहा है कि हां-हां है, मेरी ऐसी मंशा है, बात खतम हो रही थी वरना हम आगे और बोलते इतने में तो आपने तो जम्प कर दिए, वो कूद गये, वो कूद गये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कूदने का क्या अर्थ हुआ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब यह विधानसभा है और यहां राठौड़ों का राज नहीं है, यहां विधानसभा में माननीय सदस्यों का राज है ....

श्री अध्यक्षः आप यहां पर केवल माननीय सदस्य हैं, राठौड़ नहीं हैं। केवल माननीय सदस्य हैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) यहां 200 माननीय सदस्यों का राज है, यह बोलते समय थोड़ा संयम आपको रखना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि माफी मांग लो? क्या आपका कोई मार्शल ऑर्डर है जो हम माफी मांगे (व्यवधान) आप यह कैसे कह सकते हो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) आपने उसी सीट पर खुद कहा था कल जो कुकृत्य हुआ वह नहीं होना चाहिए था, आपने खुद ने कहा था जब मैं आपसे बात करने आया था (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो प्रोसीडिंग भेजी है, विधानसभा में पहले ऐसी घटनाएं उसके बारे में कार्यवाही आई है वह हमने देखी है, उस पर विचार किया और विचार करने के बाद हमने तय किया कि प्रद्युम्नसिंहजी बोलेंगे ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या बोलेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो बोल रहे थे वो, अब आप बोल रहे हैं माफी मांगे, माफी मांगे (व्यवधान) ऐसे मार्शल लॉ से माफी मांग सकते हैं, आप कमाल करते हैं, माफी क्यों मांगे? होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि माफी मांग ली जाए, कौन मांगेगा माफी? माफी मांगने वाले हैं वह तो नहीं है यहां (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं ये सामन्ती प्रवृत्ति छोड़ें आप (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माफी मांगने वाले जिनको आपने चारो को आपने निलम्बन कर रखा है वह आज कहां है विधानसभा में? हम मांगेंगे माफी?

श्री अध्यक्ष: 1966 में उन 12 की तरफ से नेता प्रतिपक्ष श्री महारावल लक्ष्मणसिंहजी ने खेद प्रकट किया था, क्षमा मांगी थी (व्यवधान) खेद प्रकट किया था क्षमा मांगी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लिखित में प्रस्ताव आया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था।

श्री अध्यक्ष: सदन ने अनुमति दी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिनको निष्कासित किया वो तो नहीं हैं पर उनके

(श्री कालूलाल गुर्जर)

लिए आपने प्रोटेक्शन कर रखा है आप विधान सभा को नहीं चलने दे रहे हैं इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निष्काषित सदस्यों के पक्ष में आपने विधान सभा में इस तरह की स्थिति पैदा की है इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं प्रतिपक्ष के सदस्य बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइये आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): कालूरामजी, ये पंचायती राज नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पंचायती राज ही है आज तो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप ग्राम पंचायत की-सी बात मत करो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आज तो प्रश्न ही पंचायत राज का है और मैं सारी तैयारी करके आया हूं मैं चाहता था कि पंचायत राज में आपके अच्छे सुझाव आते पर अब आप तो देना ही नहीं चाहते।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको कोई कुछ नहीं देना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप ग्राम पंचायत की-सी बात मत करें। आप अनुभवी हैं आज के नहीं बहुत अनुभवी विधायक हैं मिनिस्टर बने हैं पहले भी मिनिस्टर बने थे फिर विधायक भी रहे थे तो जो बात चल रही है न जो समझते हैं वो लोग सब बैठे-बैठे सुन रहे हैं चुपचाप। होम मिनिस्टर साहब ने कहा माफी तो वो मांगेंगे जिन्होंने कसूर किया है। खेद व्यक्त वो करेंगे जिन्होंने कसूर किया है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उनकी पैरवी कर रहे हैं न साहब इसलिए आपको मांगनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): बात तो सुनें आप आप हर बात पर उछलना जरूरी है क्या आपका? हर बात पर आपका उछलना जरूरी है?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको घनश्यामजी कुछ नहीं देने वाले।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपके वकीलों को सज़ा मिलती है क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हम इस बात के लिए सहमत नहीं थे हमने उनको पूर्व में ही कह दिया था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विघ्न नहीं डाला जाए आपको जो कुछ कहना है बाद में कह देना हमने उनको परश्युएड करने की बहुत कोशिश की, पूरी पार्टी ने की थी लेकिन वो नहीं माने अपनी जिद पर रहे । अब वो है ही नहीं यहां तो कौन खेद व्यक्त करेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं आप करें, हम यह नहीं कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): फिर खड़े हो गये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष आप तो केवल इतना बता दो कि यहां आकर के ....

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इन दो को तो बैठा दो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री): जब आपकी बात उन्होंने मानी नहीं तो अब आप क्यों परेशान हो अब चलने दीजिये सदन को उनको बाहर बैठने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। चिकित्सा मंत्रीजी, Chair is on its legs.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब सदन को चलने देंगे कि नहीं देंगे वो तो हमारा काम है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप क्या इस बात को कि यहां पर आकर के अपनी बात कह दी थी और कह कर बैठ जाते या बहिर्गमन करते वहां तक तो उचित था लेकिन यहां आकर के जिस तरीके से नारे लगाये और उसके बाद शोकाभिव्यक्ति के वक्त भी आपकी पार्टी सम्मिलित होकर के और जो नारे लगाये क्या आप उसे उचित समझते हैं? क्या आप उचित समझते हैं सदन की मर्यादा के अनुकूल है क्या? उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और जो कुछ आपने किया वो क्या उचित था?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): फिर तो सबको निकालना चाहिए फिर हमको क्यों नहीं निकाला?

श्री अध्यक्ष: अब आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। इनको क्या किया जाए, ये नेता प्रतिपक्ष के कब्जे में नहीं हैं। आप क्यों खड़े होते हैं, जब आपके नेता खड़े हैं तो आप किसलिए खड़े होते हैं, क्यों खड़े हो आप जब आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप में कोई चूक हम नहीं निकाल सकते ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप एक ही समझदार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप में हम कोई चूक नहीं निकाल सकते लेकिन आपसे भी कहीं न कहीं भूल हुई है । शोकाभिव्यक्ति पेश करते समय आपको हाउस को सूचना करनी चाहिए थी, हमें भी बताना चाहिए था कि मैं शोकाभिव्यक्ति रखना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: उसमें था न लिखा हुआ, कार्यवाही में लिखा हुआ था, बिजनेस में है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने हंगामे के बीच में शोकाभिव्यक्ति पढ़ना शुरू कर दी।

आपको पहले हाउस को इन ऑर्डर लाना जरूरी था और उसके बाद शोकाभिव्यक्ति व्यक्त करते अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं था तो आप स्थगित कर देते। दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा देनी थी तो हाउस को इन ऑर्डर लाना चाहिए था। हो-हल्ला हो रहा है उसके अन्दर आप शोकाभिव्यक्ति किसको सुना रहे थे? हाउस ऑर्डर में कहां था?

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, मैंने बार-बार कहा शोकाभिव्यक्ति उसके बाद भी आपकी पार्टी लगातार उनके साथ मिलकर यही करती रही । मैंने बार-बार कहा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें आपकी भी भूल हुई है उसमें प्रभु आपकी भी भूल हुई है। आपको पहले सलाह करनी चाहिए थी कि शोकाभिव्यक्ति मैं पेश कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप प्रभु हो क्या अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं प्रभु, हमें मालूम नहीं था कि अवतार के रूप में आप हो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप दुर्गा कहते तो समझ में आता । आपने प्रभु कह दिया, प्रभु तो आप हो।

श्री अध्यक्ष: जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं प्लीज, नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कहें, जब बोल रहे हों तो आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको इसमें क्या एतराज हुआ मैंने प्रभु कहा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दुर्गा कह सकते हो, भवानी मां कह सकते हो।

श्री अध्यक्ष: फिर आप उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिये मेरे को। प्रभु को लार्ड बोलते हैं कि नहीं अंग्रेजी में, लार्ड बोलते हैं कि नहीं? जब वो मी लार्ड बोलते हैं तो हाईकोर्ट जज प्रभु है क्या? उसको मी लार्ड बोलते हैं। कमाल करते हैं आप एक अनाड़ी तो कुछ भी बोल सकता है लेकिन आप इतने विद्वान हैं, इतने अनुभवी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं आप ऐसी बातों पर एतराज करते हो। मेरी बात से सुनने वाला राज़ी सब राज़ी फिर बीच में काजी क्या करेगा?

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मुझे यह मालूम नहीं था कि इनकी बात से ये भी राज़ी और ये भी राज़ी बीच में मैं कहां आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलेंगे जब तक वो खड़े हैं आप बीच में नहीं उठेंगे। राठौड़ी नहीं चलेगी आपकी यहां पर।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्षजी, मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था आज जो कार्यवाही आपने हमारे पास भेजी और उसमें पूर्व के उदाहरण आपने कटिंग करके हमारे पास भिजवाये उनको हमने पढ़ा गौरपूर्वक और हमने हमारी मीटिंग बुलवायी थी 10.00 बजे और उसमें सारा विचार हुआ और विचार होने के बाद यह तय हुआ कि हमारी ओर से अभिव्यक्ति इसके ऊपर प्रद्युम्न सिंहजी करेगे क्योंकि प्रद्युम्न सिंहजी के प्रति आप भी सोफ्ट हैं।

श्री अध्यक्ष: आप आसन पर किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक तो आपके हमारे शिवचरणजी माथुर बहुत भक्त थे कल वो भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, कल आपने उनकी जो गति की उससे वो व्यथित हो रहे थे।

श्री अध्यक्ष: आपने सदन के टेंस वातावरण को काफी ठीक बना दिया है, मैं बहुत आभारी हूं आपकी। बहुत आभारी हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने तो सोचकर इनको खड़ा किया था और आप इनको सुन लेते, अब भी सुन लें इनकी बात को आप और उससे अब कोई हल निकल जाएगा और सदन को भी सुनना चाहिए ... (व्यवधान) होम मिनिस्टर की बात को भी सुना है।

श्री अध्यक्ष: नहीं आप बीच में नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं-नहीं, ये कह रहे हैं ...(व्यवधान) इन्होंने कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): लेकिन मैं आपकी बात पर यही कहता हूं कि वो तो यहां हैं ही नहीं कौन माफी मांगेगा? बुला लो उनको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, भाषा देखिये अगर आप गौर करेंगी, मैंने अभी अपने साथी से बात की है।

श्री अध्यक्ष: किनसे बात की?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अपने साथी सी. पी. जोशी साहब से इसके बारे में...। अब आप सुन तो लीजिये। ये महावीरजी नहीं चाहते कि वातावरण शांत हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य कहो उनको, मैं तो यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वो तो एक ही बात है क्या फर्क है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): He doesn't want कि यहां पर शांति हो। अशांति में ही तो इनकी चवन्नी चलेगी। महारावल श्री लक्ष्मण सिंहजी प्रतिपक्ष के नेता एवं श्री सतीशचंद्रजी अग्रवाल, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। गौर कीजिये। एक-एक शब्द। 'यह सदन...।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): दुबारा रिपीट करें आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 'यह सदन दिनांक 26 फरवरी, 1966 को सदन में घटित घटनाओं पर खेद प्रकट करता है।' पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्रस्ताव तो उनकी तरफ ये आया था।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष की ओर से था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां-हां, अगर आप इस पर हैं तो हम तैयार हैं ...(व्यवधान) एक मिनट रुकिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं खेद प्रकट किये बिना कुछ नहीं। पहले खेद प्रकट करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये अगर आपने इसमें गौर किया है तो पूरे सदन ने खेद प्रकट किया है हम इसके ऊपर कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहते। पूरा सदन है इसी भाषा की अगर आप, आप सहृदयता का, आसन बड़प्पन का परिचय देते हुए इस मामले को रिजोल्व आसन को करना चाहिए और मैं सत्तापक्ष से भी अपील करूंगा । यहां सत्तापक्ष के उपनेता महोदय बैठे हुए हैं, वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहां पर माननीय तिवाड़ी जी भी मौजूद हैं हालांकि आजकल जरा इनके सितारे गर्दिश में हैं लेकिन माफ कीजियेगा तिवाड़ीजी जरा, यहां पर बैठे हुए हैं तो मेरा निवेदन यह है कि ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने महाराज, आपको माफ कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह आपकी सूचना गलत है कि इनके सितारे गर्दिश में हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I withdraw, मैंने जो ...।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं टोकें। बीच में नहीं खड़े हों। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा दें तो मैं सत्तापक्ष की तरफ से नेता महोदय की अनुमति अगर मुझे दे देंगी, मैं यह प्रस्ताव पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी। उस समय, मैं यह व्यवस्था देना चाहूंगी आपको कि उस समय जो था नेता प्रतिपक्ष और सतीश चन्द्र अग्रवाल उस कृत्य में शामिल नहीं थे और कल के कृत्य में आप सब भी शामिल हो, आपने भी नारे लगाये हैं। आप सब भी शामिल हो इसलिए पहले नेता प्रतिपक्ष खेद प्रकट करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हम कहां शरीक थे उसमें ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ने हमारे ऊपर कटाक्ष किया है आप क्यों उछल रहे हो ।

श्री अध्यक्ष: खेद प्रकट करो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ने हमें उलाहना दिया है आप किस लिये उछल रहे हो, आप सुनो ।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों उठे हो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपको साफ हृदय से सच कहते हैं कि हमने उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी कि राज्यपाल का अनादर नहीं किया जाये । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बोलने नहीं देते । (व्यवधान) राजाखेडा से आने वाले माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप सबको निकालने का प्रस्ताव ले आओ महावीर जी। सारे प्रतिपक्ष को निकालने का प्रस्ताव दे दो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.15 तक स्थगित की जाती है ।

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.41 बजे 12.15 तक के लिये स्थगित हुई)

(समय 12:15 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मैं पुनः चाहूंगी कि किसी तरीके से यह सदन चले। मैं नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहूंगी कि कॉंग्रेसी पार्टी ने, कॉंग्रेसी विधायक दल ने शोकाभिव्यक्ति के समय, जैसा भी यहां प्रदर्शन हुआ उसके लिए यदि वह यह समझते हैं कि यह उनके लिए बहुत ठीक था और अनुचित नहीं था तो वह जाने, उसके लिए तो खेद प्रकट मैं कर दूंगी, वह चार सदस्य जिन्होंने यहां पर आकर जो कुछ प्रदर्शन महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने किया, वह क्षमा मांग ले, खेद प्रकट करें तो मैं समझती हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप

(श्री अध्यक्ष)

से चल सकेगी। मेरी इस बात पर यदि आप सहमत हैं तो सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चलाई जाए क्योंकि मैंने विपक्ष को बुलाया था, विपक्ष ने फिर भी आने से मना किया। अंत में मैं यही सुझाव दे रही हूं, मैं यह आप पर छोड़ती हूं कि आप उसे उचित समझते हैं तो खेद मैं प्रकट कर देती हूं1 आसन प्रकट कर देगा। जो कुछ हुआ, सदन के रहते यदि इस तरह की कार्यवाही होती कि शोकाभिव्यक्ति के समय यदि कोई भी करता तो मैं उन पर छोडती हूं, उचित समझते हैं तो ठीक है, अनुचित समझते हैं तो खेद प्रकट कर दें और नहीं तो मैं खेद प्रकट कर देती हूं। बाकी के चारों माननीय सदस्य, जिन्होंने भी इस तरीके से किया वह खेद प्रकट करें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। मैं अपनी तरफ से सुझाव रख रही हूं। (व्यवधान) आसन पाँव पर है और आप इतना भी सब्र नहीं कर सकते कि बैठने दें आसन को, तभी खडे हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी):यदि आप खेद प्रकट कर सकती हैं तो उन चार सदस्यों के लिए खेद प्रकट कर मामला समाप्त करके जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने कहा आप उचित समझे तो। मैंने फिर कहा है, यदि अनुचित समझते हो तो खेद प्रकट कर देना और उचित समझते हो तो मैं खेद प्रकट कर दूंगी, कि जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ। मैं एक निवेदन कर रही हूं.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यही बात उनके लिए आप....

श्री अध्यक्षः फिर वही बात कर रहे हो....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उचित समझते हैं तो खेद प्रकट कर देंगे नहीं तो आप खेद प्रकट कर देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में स्वयं प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि उनका आचरण उचित नहीं था।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसने कहा...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने नहीं कहा?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ऐसा कुछ नहीं है, आप दो मिनिट बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं कहा ना...(व्यवधान) उनका आचरण उचित है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक मिनिट बैठिये, मैं बताता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनका आचरण उचित है आप यही कहना चाहते हैं ना। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं अर्ज करता हूं, आप एक मिनिट बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन जल्दी स्थगित हो गया, जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैं उसके बाद टीवी देख रहा था, संसद की कार्यवाही मैंने देखी और संसद के नियम, कुछ विधानसभाओं के, आपने भी देखा और हमने भी देखा है। जिस तरह का वहां व्यवहार होता है, यहां तो केवल अपनी बात कहने के लिए, यदि गवर्नर सहाब दो मिनिट कुर्सी पर बिराज जाती और अमरारामजी की भी बात सुन लेती तो मेरा जहां तक ख्याल है (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिये, आपको ही अधिकार है क्या बोलने का?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, फिर गवर्नर बैठ जाती, गवर्नर उठ जाती यह करते नहीं, कहे (व्यवधान) यह उसका उपयोग नहीं करें....

श्री अध्यक्ष: महामहिम की और अमरारामजी की एक ही हैसियत है संविधान में? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सुनिये, वही अर्ज कर रहा हूं। मेरी सुनेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो कहते हैं गवर्नर बैठ जाती। (व्यवधान) इनको सम्बोधन का तरीका भी याद नहीं है। ये कितने गम्भीर हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, अमरारामजी तो गलती नहीं कर रहे थे, आपने तो उनको आदेश देकर उनके अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़वा दिया। आपने उनको आदेश देकर, उनके अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा दिया। (व्यवधान) अमरारामजी तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह बार-बार, अध्यक्षजी की गलती है, बार-बार आपकी भूल है, यह प्रकट करना कहां की बात है, कौनसा तरीका है बहस का। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आसन की कोई गलती न तो

(श्री रामनारायण मीणा)

निकाल रहा हूं, न मेरी यह भावना है। मैं अपनी दो मिनट में व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। मैं लम्बा समय नहीं लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप भी सीनियर होंगे, लेकिन आपसे सीनियर कुर्सी पर विराजमान हैं। और यह तो दुर्भाग्य है राजस्थान का कि इनको यहां होना चाहिए, वह वहां हैं। इनको यहां नहीं होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): यह आपके सोचने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरी बात सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य कैसे हुआ? आप चैअर पर विराज रही हैं, दुर्भाग्य है क्या? (व्यवधान) यह दुर्भाग्य कैसे बता रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप बात तो सुनिये। किसान की बेटी होनी चाहिए वहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप लोग स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आपका दुर्भाग्य है कि आप उप-नेता हो। अध्यक्ष के लिये यह सम्बोधन करने का तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष: उप नेता महोदय, 1966 का जो उद्धरण आपने दिया है, मैं पूरी प्रोसीडिंग उसकी आपको मंगा करके और पूरी प्रोसीडिंग से अवगत कराऊंगी कि कैसे क्या हुआ था। इस कल के केस को आप उसके साथ इक्वेट नहीं करें। क्योंकि वह आपको पता नहीं है, वह अलग बात थी। सदन ने खेद इसलिये प्रकट किया था कि उनको निकाला था गवर्नर ने, महामहिम ने निकाला था। इसलिये महामहिम के निकालने पर माफी मांगने पर 6-7 दिन

बाद, पूरा डिस्कशन हुआ था इन बातों पर, विचार-विमर्श के बाद सब कुछ हुआ और तब सदन ने खेद प्रकट किया था। इसलिये आप कल के इंसिडेंस को उसके साथ इक्वेट नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि यदि हम ज्यादा पढ़े लिखे होते और फर्स्ट डिवीजन होते तो आज आपके चीफ सेक्रेटरी होते। हम विधायक हैं, भगवान की कृपा है, मैं आपको कानून की बात नहीं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप चीफ सेक्रेटरी से बड़े हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपको, इस सदन के सदस्य के नाते, आप कुछ भी बोलिये ना...।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप चीफ सेक्रेटरी से बड़े हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम सबको निकाल दो। (व्यवधान) आप क्या-क्या कर रहे हो, आपके पापों पर पर्दा डालने के लिये इन चारों को निकाला आपने। पापों पर पर्दा डालने के लिये। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे संविधान के खिलाफ है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं उधेड़ कर रख दूंगा। मैं पद का दुरुपयोग करके कुछ नहीं करता हूं। (व्यवधान) मैं उधेड़ कर रख दूंगा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सदन के प्रतिकूल है, इनकी क्या भावना है, यहां पर आपका अपमान हम सहन नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपको मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे कहने का अधिकार है, और आपको सुनना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): किस बात को सुनें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिये आप कानून की बात क्यों करते हैं, कानून की नजीर अलग है। कानून की नजीर अलग है। हम तो कॉमन सेंस की बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपको प्रोटोकॉल का ज्ञान है क्या, आपको ज्ञान है क्या प्रोटोकॉल का।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों में कई एजुकेटेड अधिकारी हैं, कई पदाधिकारी हैं और यह उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनको पता नहीं है कि विधायकों का प्रोटोकॉल क्या है। आप अपने आपको इतना नीचे क्यों मानते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, इन्हें बोल लेने दें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): विधायक गौण हो गया। क्या कहना चाहते हो आप। अध्यक्ष महोदय, आप के बारे में बोल दिया, आपके बारे में बोल दिया कि आपको आज यहां होना चाहिए, आपका दुर्भाग्य है। यह आसन के दुर्भाग्य की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात करते हैं। दुर्भाग्य तो आपका है कि आप यहां पर खड़े हैं। आपने कैसे कह दिया कि आपका दुर्भाग्य है कि आप वहां हैं। यह दुर्भाग्य की बात है? दूसरी बात आपने कह दी कि बुद्धिमान होते तो आप चीफ सेक्रेटरी होते। इनको यह पता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या है। विधायक को सेक्रेटरी से नीचे समझते हो। आप हो सकते हैं, इतने गिरे हुए। इस प्रकार विधायक का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप इस प्रकार की बात कैसे कहते हैं। शर्मनाक है, यह बात आपकी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको एम.एल.ए. बनने पर अफसोस है। प्रतिपक्ष के उप नेता बनने पर अफसोस है इनको। यह कैसे उप नेता बनाये आपने। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कांग्रेस पार्टी के उप नेता हैं। जरा गरिमापूर्ण बात यहां करते। आपको प्रश्नकाल में भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए था। आपको मालूम है प्रश्नकाल में कितना पैसा खर्च होता है।

(श्री मदन राठौड़)

(व्यवधान) और आप यहां पर गैर जिम्मेदारी की बात करते हो, थोड़ा विचार करना चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सब लोग टीवी देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप इस व्यवधान को रोकिये। व्यवधान चल रहा है। (व्यवधान) आप रोकिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): थोड़ी-बहुत भी गरिमा नहीं है। (व्यवधान) आपकी सोच, बुद्धिहीन आप हो सकते हैं। आपने कैसे कह दिया कि हम बुद्धिमान होते तो हम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, खड़े हुए सभी माननीय सदस्यगण, मैं आपको बार-बार यह चेतावनी दे चुकी हूं कि सदन में जब कभी कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्य इण्टरफियर बीच में नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो शब्द प्रयोग किये कि आपका यह दुर्भाग्य है कि आप यहां पर हैं। यह इनको बोलना चाहिए? कितना गलत शब्द इन्होंने प्रयोग किया। (व्यवधान) इस सदन में अध्यक्ष सर्वोपरि हैं और अध्यक्ष के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं देखूंगी कि क्या है, इन्होंने क्या बोला है। (व्यवधान) मैं देखूंगी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह बोला है, यह ऐसे ही बोले हैं। पूरे सदन ने सुना है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बोले हैं, अध्यक्ष महोदय, यह बोला है इन्होंने। यह ऐसी ही बात है। (व्यवधान) यह इस प्रकार से बोले हैं। (व्यवधान) यह क्या है, और इस प्रकार के शब्द प्रयोग किये हैं। मैं सोचता हूं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाओ आप। यह कैसे बोल दिया इन्होंने। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। सदन में अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। प्लीज, प्लीज, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और फिर दूसरा शब्द और बोला, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे कह रही हूं सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्लीज, स्थान ग्रहण करें। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझती हूं, वह भले ही मेरा दुर्भाग्य समझें, मैं तो सौभाग्य समझती हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): शर्मनाक बात है, इनको थोड़ा विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे टिप्पणी कुछ भी करें, मेरे बारे में, मैं उसे बोदर नहीं करती हूं। आप कहने दीजिये उन्हें, जो कुछ बोलते हैं वे। अब आप उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनका यह था कि आप मुख्य मंत्री होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। यह था इनके कहने का मतलब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका यह बतायेंगे, इनका आप क्यों बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह तो आप अपने मंत्रियों से पूछो कि सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी क्या होता है। इनकी पीड़ा मंत्रियों से पूछो, आपके मंत्रियों से।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इन्होंने कहा, हमारा दुर्भाग्य है कि आप वहां नहीं हैं। ऐसा कहा है, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कि हमारा दुर्भाग्य है कि आप वहां नहीं बैठे हैं। यह कहना चाह रहे थे ये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका दुर्भाग्य तो ठीक है, और भगवान करे आपका दुर्भाग्य बना रहे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं जानता हूं, मैंने क्या कहा है। (व्यवधान) हमारे तो नेता बैठे हैं, सफेद टोपी है, मुख्य मंत्री घोषित हैं अभी से, चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): वह पंजाब और उत्तरांचल ने बता दिया कि आपकी हालत क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अशोकजी गहलोत को टेलीफोन करके समाचार दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आपको आसन की ओर से बधाई। नेता

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिपक्ष को, माननीय उप नेता महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को सदन की ओर से बधाई दे रही हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री मान लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने यह स्वीकार कर लिया है कि अब राज कांग्रेस का आयेगा और कांग्रेस का ही मुख्य मंत्री बनेगा। हम आपके आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैंने स्वीकार नहीं किया है, यह होली का त्यौहार है। यह होली का त्यौहार है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): होली नहीं है आज, होली नहीं है आज।

श्री अध्यक्ष: यह होली का त्यौहार है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज होली नहीं है। आज होली नहीं है। आपकी जो शुभकामनाएं हमारे प्रति हैं, उसके लिये हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह होली है, यह होली का त्यौहार है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने यह मान लिया कि इनके बोरिया-बिस्तर लद जाएंगे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पंजाब-उत्तरांचल भूलो मत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन का महीना है, यह फाल्गुन का महीना है और होली का त्यौहार है सामने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह फाल्गुन के महीने का दृष्टिकोण रखकर सबको माफ करके चलो साहब। (व्यवधान) फाल्गुन के महीने का ही दृष्टिकोण आप सब बातों पर रखो ना जो सदन चले। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): दो मिनट तो बोलने दें ना, जो मुझे बोलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में, आज की तारीख है दो, न तो एक अप्रैल है, न होली है। इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना है, जो भी बात है, हम हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, लेकिन सदन में कोई शांतिपूर्ण तरीके से बात सुनी जाए। बात यह है, मैं अब अपना ... (व्यवधान) मैं कोर्ट से, मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा है, अभी सुनें बात को। हम नहीं बोलते व्यक्तिगत, आज हम करना चाहें

(श्री रामनारायण मीणा)

तो 25 चेहरे तो मैं आपको बता दूं और आथंटिकेटेड और रिकार्ड में दर्ज करवा सकता हूं। इसलिये अच्छी-बुरी बात कहना अलग चीज है। मेरा तो आपसे अर्ज करना है। (व्यवधान) हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, भाई हरिमोहनजी, कुछ न कुछ तो करने जा रहे हैं। इसलिये कुल मिलाकर के माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़प्पन है और आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस वजह से इस कुर्सी की शोभा मिल रही है, आपके और सदन के बीच में क्या बात है, मैं यह बात नहीं कहना चाहता हूं।

लेकिन क्षमा कौन मांगे, कौन नहीं मांगे, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सदन में, मैं यहां कल टी.वी. देख रहा था, जिस तरह का वातावरण होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद एक्सक्यूज करें, नेता एक्सक्यूज करें या सदन एक्सक्यूज करे, मैं वह बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपनी व्यक्तिगत भावना बता रहा हूं और मेरी व्यक्तिगत भावना यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी डिस्कशन हुआ, जिस कन्क्लूजन पर बात जा रही है और कन्क्लूजन तो अपने को लेना पड़ेगा। यह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सबकी बात सुननी चाहिए। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किससे त्रुटि हुई, नहीं हुई, हम सब जानते हैं इसलिए मेरा तो आपसे व्यक्तिगत विनम्र अनुरोध है, वैसे सदन की भावना के साथ सब रहते हैं और सदन से भी सर्वोपरि हम चेयर को मानते हैं, स्पीकर महोदय को मानते हैं। आपकी रूलिंग को मानते हैं और मानना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत भावना आपसे यह है कि – 'का बरू-बरू को घट गया' क्या कहते हैं जी जो? 'भृगु जो मारी लात।' जो कुछ होना था माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें ट्रेनिंग दे दो। यह जो ज्यादा बोल रहे हैं इनको पार्लियामेंट भेज दो। तीन दिन ट्रेनिंग लेकर, गंगाजी उठाकर आ जाएं तो वैसा जहां होता है, यहां होने देंगे इसलिए हम तो हमारी बात कहते हैं। इन्होंने शायद पार्लियामेंट की एक दो दिन प्रोसीडिंग देखी होगी। दस-पाँच दिन हम प्रोसीडिंग देख लेंगे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी और यहां का वातावरण भी अपने आप ठीक हो जाएगा इसलिए कृपा करके वे जो बाहर बैठे हैं, वह हमारे भाई हैं, इस सदन के सदस्य हैं। हम चार दिन निकालें, महीना भर निकालें, वह सदस्य जनता ने चुनकर भेजे हैं। यदि कोई बात हो गयी तो वह फोर-गो कर लें। आपके अभिभाषण की बात हो गयी और सबसे बड़ी बात यह है कि आधा घंटा खर्च नहीं करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा खर्च नहीं करे आप खड़े होकर

हमें आदेशित करें, गार्ड को आदेशित करें कि इनको बाइज्जत लेकर आयें। मेरी तो यह व्यक्तिगत भावना है। इस भावना के तहत आप चलें। हम तो आपके साथ हैं। आपकी भावना के साथ हैं।...(व्यवधान) आखरी बात तो कह दूं?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो अभी खड़ा हूं, राठौड़ साहब। संसदीय मंत्री से तो हम सीखते हैं। भाषण सुनते हैं इसलिए मेरी विनती, मेरी विनती मेरी व्यक्तिगत विनती नहीं है, इस सदन की विनती मानकर कोई आदेश ऐसा दें जिससे हम सब खुश हो ... (व्यवधान) आपका कोई दुश्मन है क्या? खेत की लड़ाई है क्या? आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं। अच्छी-बुरी बात होती है, घटना ज्यादा हो गयी, कम हो गयी, जो घटना था वह घट गया और जो मांगो, नहीं मांगो, सदन के रिकार्ड में बात आये, उसके बजाए आप अपनी बात सदन के रिकार्ड में दर्ज कराकर मेहरबानी करके अपना निर्णय प्रदान करें और वह निर्णय ऐसा हो ताकि तालियां बजे। यही मुझे कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) राठौड़ साहब, माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़े उदारमना से इस बात का प्रयास किया ... (व्यवधान) एक मिनट। सदन सुचारू रूप से चले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय का यह कह देना कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहती है, सत्ता पक्ष ने अपनी बात को इंगित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। हालांकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस तरह वैल में आकर नारे लगाना, यह राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में पहली बात है परन्तु 15 ऐसे इन्स्टांस हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1966 से लेकर 2005 तक के, जब अलग-अलग मौके पर माननीय सदस्यों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निलम्बन भी हुआ है और बड़े मन से माफी भी मांगी गयी है क्योंकि क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संसदीय कार्य मंत्री, एक लाइन ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कल घटना हुई है ... (व्यवधान) एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सदन हिन्दुस्तान में बहुत हैं। इसी सदन की नजीर मत दो। हिन्दुस्तान में बहुत सदन हैं। अपन चलकर देख लें। इतनी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यह मेरा अर्ज करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि शोकाभिव्यक्ति के समय जिस तरह से नारेबाजी हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत लम्बा संसदीय जीवन है। आपने कभी नहीं देखी होगी। हो जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार उत्तेजना में भी हो जाते हैं और आसन सर्वोपरि है अगर क्षमा प्रतिपक्ष के नेता मांगें और वे चारों माननीय सदस्य यह लिखित में दें कि वे सदन में आकर क्षमायाचना करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह सदन सुचारू रूप से चले पर एक कृत्य ऐसा करें, राजस्थान नहीं, हिन्दुस्तान के सभी अखबारों ने इसको लिखा है, महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आये, उनके सामने इस तरह का अशोभनीय व्यवहार हो और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं कि महामहिम ने एक बार नहीं, दो बार उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया विराजिये। आप जो भावना मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं उन भावनाओं से मैं अवगत हो गयी हूं। उसके बाद भी नहीं करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना के बाद जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय से व्यक्तिगत तौर पर मैंने जब यह कहा कि इस तरह की घटना हुई है, क्या आप इसको उचित मानते हैं? तो यह चूंकि, इनका बड़ा जीवन है, उदारमना भी हैं, इन्होंने साफ कहा कि जो कुछ घटना हुई, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता खुद यह मानते हैं परन्तु यह बिखरा हुआ दल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना दूसरी है, इस दल के नेता कौन हैं? कोई बात समझ में नहीं आ सकती इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रतिपक्ष के नेता को इस पूरे कृत्य के लिए प्रतिपक्ष की तरफ से क्षमा मांगनी चाहिए। चारों माननीय सदस्य यह लिखित में दें कि वे क्षमा-याचना करने के लिए सदन में आना चाहते हैं। आसन सबसे बड़ा है। सदन के अन्दर क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा थोड़े ही होता है? इस सदन के अन्दर कई बार वर्तमान उप राष्ट्रपति महादोय ने 'क्षमा' शब्द का प्रयोग किया है। क्षमा मांगने से छोटा नहीं हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई इस तरह की बात अगर इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आये तो आप सहर्ष स्वीकार करें। सत्ता पक्ष सदन को चलना चाहता है। आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल लगे थे उन पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं। लोगों को जिज्ञासा थी कि इन सवालों के माध्यम से सरकार क्या कहना चाहती है। वह जिज्ञासा हम शांत नहीं कर पाये। हम अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाये इसलिए सदन सुचारू रूप से चले इसलिए प्रतिपक्ष के नेता महोदय को ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिन सवालों, जिन मुद्दों को लेकर चारों सदस्यों ने यहां विरोध किया था, मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। किसानों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया मुख्य मंत्री ने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह विचार है इनका माननीय अध्यक्ष महोदय। यह विचार है, माननीय अध्यक्ष महोदय। काहे की मुख्य मंत्री माफी मांगें? किस बात पर माफी मांगें? किस बात की मुख्य मंत्री माफी मांगें? किस तरह की माफी मांगें?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या चाहते हो? वे किसान यहां पर मीटिंग में आ रहे थे उनको रोक दिया आप लोगों ने ... (व्यवधान) 15-15 किलोमीटर दूर रोक दिया आपने। आपने किसानों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया है आप लोगों ने। किसानों को कुचलने का काम किया है आपने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संसदीय कार्य मंत्री इतने कमजोर हैं क्या जो सांवरलालजी को खड़ा होना पड़ता है। इतना कमजोर हो गये क्या आप जो आपको खड़ा होना पड़ता है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, इस सदन का प्रतिपक्ष का कोई एक नेता सर्वमान्य नहीं है ... (व्यवधान) मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इनको बचाने से यह ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान के 95 करोड़ ... (व्यवधान) आपने मीटिंग नहीं करने दी। आपने उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोटा है। इस सरकार ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) राजस्थान के मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): रामनारायणजी चौधरी को इग्नोर करके आप चुनावों में कुछ हासिल करेंगे तो साफ हो जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका साफ होना पक्का है, पक्का है... (व्यवधान) कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार से कोई बचा नहीं सकता है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप रामनारायणजी के फैसले के खिलाफ चलेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई बचा नहीं सकता। (व्यवधान) लोग इन्तजार कर रहे हैं, डेढ़ साल का इन्तजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। बार-बार कहने के बावजूद भी किस प्रकार का व्यवहार सदन के अन्दर होना चाहिए, इसके बारे में लम्बे-चौड़े भाषण हो गये। सारी बातें आ गयीं। 66 से लगाकर आज तक की नजीरें पेश कर दी गयीं। जिस प्रकार का व्यवहार किया गया ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान के किसानों की अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है। इन किसानों का गला घोटा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): महामहिम ने माननीय सदस्य को साफ कहा कि आपकी भावना मेरे पास आ गयी। मैं इसके संबंध में विचार करूंगी। उसके बाद में बार-बार व्यवधान करना और फिर प्रतिपक्ष द्वारा उनके साथ हो जाना यह एक निन्दनीय है। प्रजातंत्र नियम और कानून से चलता है और उसके बाद में बहुमत से चलता है। अगर आपकी कोई बात है, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं यह चाहता हूं, जब आपने कहा न ... (व्यवधान) मानना चाहते हो ... (व्यवधान) मैं भी आपसे कहना चाहता

(श्री सांवर लाल)

हूं। आप क्या चाहते हो? यह सदन नहीं चलेगा? (व्यवधान) यहां तो नियम और कानून से देखना होगा या बहुमत से देखना होगा। हमारे किसी माननीय सदस्य ने किसी ... (व्यवधान) के लिए यह नहीं कहा कि हम यह चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-कानून के हिसाब से और बहुमत के हिसाब से सदन में फैसले होने चाहिए और सदन का समय जाया नहीं हो, करोड़ों रुपया यहां राजस्थान की जनता का लग रहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमरूदों के मैदान में हजारों-हजार सभाएं हुई हैं और उन किसानों को सभा करने से रोक करके उनके संवैधानिक अधिकार का गला इस सरकार ने घोटा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): केवल बात का बतंगड़ बनाकर जिस प्रकार से समय खराब किया जा रहा है, मैं इसके व्यक्तिगत रूप से विरोध में हूं और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सदस्य आपके नियंत्रण में रहे और राजस्थान की जनता के लिए जो कुछ कहें वह नियमानुसार कहिये। (व्यवधान) आप इनको नहीं मानोगे तो शक्ल नहीं देखोगे विधान सभा की, यह मैं कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केबिनेट के मंत्री ही मुख्य मंत्री के नियंत्रण में नहीं हैं। यह राजस्थान केबिनेट के मिनिस्टर्स ही मुख्य मंत्री के नियंत्रण में नहीं हैं। पहले आप तो नियंत्रण में रहना सीखो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपके नियंत्रण में है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका क्या नियंत्रण है? आप चार आदमी नियंत्रण में हो।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को, जो आज उन्होंने अपना प्रारम्भ में जो कुछ कहा, उसके बारे में कहना चाहूंगी उनसे कि वह 1966 की ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दें उसके पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले जो कुछ निर्णय दें, उससे पहले, आसन सर्वोपरि है लेकिन आप अपना जो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी, The Chair is on its legs. सुनिये, मुझे कहने दीजिए। मैं आपको समय दूंगी। आपको समय दूंगी मैं। आपको समय दूंगी। वे यदि पूरा पढ़ लेते कि क्या हुआ था 1966 में, केवल बीच में बोले थे।

गवर्नर साहब भाषण दे रहे थे, बीच-बीच में वह सदस्य टोका-टोकी कर रहे थे। वह वैल में नहीं आये थे, आकर नारे नहीं लगाये थे, उसके बाद भी उन्होंने वह प्रस्ताव रखा था महारावल लक्ष्मण सिंहजी ने, कि जो कुछ हुआ उससे सदन की गरिमा घटी, राज्यपाल महोदय की अवमानना हुई इसलिए प्रस्ताव रखा और उसका सदन ने, क्योंकि सदन की गरिमा रखने की जिम्मेदारी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की है और राज्यपाल महोदय की गरिमा की और उनके सम्मान को रखने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की है। इसलिए कल जो कुछ भी हुआ, एक तारीख को जो कुछ हुआ, उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में पूरी अपनी कार्यवाही देखें और कार्यवाही देखने के बाद यदि आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ उससे सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस नहीं लगी हो तो फिर आप चाहें जैसा करें, लेकिन मैं समझती हूं पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों की ही जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा और सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे और सम्मान बना रहे राज्यपाल महोदय का, इसके लिये कोई भी खेद प्रकट करें, जिसने ऐसा कृत्य किया हो तो उससे कोई वह छोटा नहीं होता है बल्कि यह सदन की गरिमा के अनुरूप उचित कार्यवाही है। (व्यवधान) अब और कोई बीच में नहीं बोलेगा। हां, आप बोलें।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक उठता है कि राज्यपाल महोदय यहां आये और जो अभी आदरणीय सांवरमलजी ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैंने आपकी भावना सुन ली, उसके बावजूद मैं आपको इस मौके पर एक बात यह कहना चाहता हूं कि एक कवि ने कहा कि -

"युद्ध क्यों हुआ, किसने किया, कौन कसूरवार था, तुम तटस्थ खड़े देखते रहे, इतिहास तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ,

(श्री विष्णु मोदी)

उसमें प्रतिपक्ष भी पूर्ण रूप से सम्मिलित था। यह उनके उकसावे के ऊपर इस सदन की गरिमा को गिराने का काम हुआ और आज तक के इतिहास में जब भी राज्यपाल महोदय के सामने वैल में आकर शोकाभिव्यक्ति के वक्त वैल में आकर उसमें अगर ..(व्यवधान) उससे ज्यादा प्रतिपक्ष जिम्मेदार है और इनके उकसाने पर यह चाहते हैं कि यह सदन नहीं चले। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): और विष्णुजी एक प्रस्ताव यह भी रखवा दो। चार का भी आपने रखवाया है, एक यह और रखवा दो। यह विभीषण का काम कर रहे हो आप।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): और बाहर प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। आप सुनोगे नहीं तो फैसला कैसे होगा ? यह प्रजातंत्र की दुहाई देना, इस तरह की बात करना सदन की गरिमा को गिराना और इस बात का इश्यू बनाना कि साहब माफी, जो कृत्य किया है, उसकी माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइये, कौन मना करता है?

एक माननीय सदस्य : आपको भी जनता से मांगनी पड़ेगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमें यह पता नहीं था जिसको शिक्षित कर रहे हैं वह शिक्षा हमारे ऊपर डाल देंगे। हमने तो बड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा खर्च करके, ईमानदारी से आपको शिक्षित किया है। आप कृपा करके एक घर तो 'डाकन' भी छोड़ती है। कृपा करके थोड़ा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन में 'डाकन' कहां से आ गयी ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउस एडजोर्न होने से पहले राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव किस प्रारूप में आना चाहिये, वह सदन में आपके सामने रखा। आपने हाउस को एडजोर्न किया। हाउस एडजोर्न करने के बाद आपने निश्च‍ित तौर पर विपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाने के लिये बात की। पार्लियामेंट मिनिस्टर साहब आये। हमने उनको कहा कि जो 1966 की जिस नजीर के संबंध में जो प्रस्ताव राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, उसमें भावना सदन की थी। बाद में आकर बताया कि हाई कोर्ट की रूलिंग और यह बात इसमें मेंशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने दो कागज हमें दिये हैं- एक तो आपने दिया 1966 का और दूसरा हमें 1991 का भी दिया। 1991, यह भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का, 91 का दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो रूलिंग है।

श्री अध्यक्षः रूलिंग है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, रूलिंग है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। पार्लियामेंट मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में चेयर के जितने भी फैसले हैं, यह प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के हैं, कोई सेकरोसेन्ट नहीं है। जो 1952 में चेयर ने कोई रूलिंग दी वह 91 में उस रूलिंग में बदलाव भी किया, किस कोन्टेस्ट में? आज यह बात सही है कोई इफ एण्ड बट नहीं हो सकता कि जो कुछ भी घटना हुई, उस घटना के बाद कोई एप्रीशियेसन करे, ऐसा कोई सदस्य नहीं हो सकता घटना के समय एप्रीशियेसन करे। इश्यू यह नहीं है अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह है कि कल माननीय गवर्नर साहब के भाषण पर प्रतिपक्ष की पार्टी के कांग्रेस के सदस्यों ने वैल बिहेव्ड अपना आचरण रखा। उनके भाषण में उन्होंने कहीं भी डिसटरबैंस नहीं किया।

श्री अध्यक्षः हां, नहीं किया। हम कब कह रहे हैं ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, भाषण के बाद आप रि-कलेक्ट करिये You have to recollect it. You cann't go straight forward to Shokaabhivekti. You have to understand that what was the context. सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, आप याद करिये अध्यक्ष महोदय, कल की घटना को। कल सदन को सूचना भी ए डी सी गवर्नर ने की है, आपके असेम्बली सेक्रेटेरियट ने नहीं की है। आप रि-कलेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर जब हम सदन में बैठे हुए थे, आप तो पीछे आ रहे थे, लेकिन जो हाउस में अनाउंसमेंट हुआ है that announcement was not made by the employee of the Assembly Secretariat but it was made by the ADC of the Governor which was never in the history of the democracy. डेमोक्रेसी के इतिहास में आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सदन को गवर्नर के आने की सूचना उसका ए डी सी दे। सूचना देने का काम असेम्बली सेक्रेटेरियट का है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने कहां-कहां लैप्स किया। अध्यक्ष महोदय, आपने कल खुद ने रूलिंग दी जब धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अध्यक्षता गवर्नर साहब कर रही हैं, मैं नहीं कर रही हूं। निश्चित तौर पर सदन बुलाने का कांस्टीट्यूशन अधिकार राज्यपाल महोदय को है। वही एड्रेस करते हैं और आपने उसके बीच में अध्यक्ष महोदय की हैसियत से नहीं, मुझे पता नहीं अध्यक्ष महोदय की हैसियत से कहा, आपको जानकारी मिली वह

(डा. सी. पी. जोशी)

अस्वस्थ थे और आपने उनको कहा कि आपका भाषण पढ़ा हुआ माना जाये। उस समय तक धोद से आने वाले माननीय सदस्य अपनी चेयर से वैल में नहीं आये थे। वह वैल में आये थे आपके कहने के बाद जबकि वह प्रस्ताव रूलिंग पार्टी की तरफ से, सदन के किसी सदस्य की तरफ से आना चाहिये कि वह अस्वस्थ हैं, इसलिए पढ़ा हुआ माना जाये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इसको या तो सुन लें या आप कमेंट कर लें। आपको कमेंट ही करना है तो बैठ जायें। आपका माइन्ड यदि प्री-ज्युडिस है कि हमें फैसला करना है तो आप कर दीजिये। या हमें बोलने का मौका दिया है तो पूरी बात सुनिये आप। ऐसा तो मैंने कोई हाई कोर्ट का जज देखा ही नहीं कि बिना सुने ही फैसला कर दे पहले। (व्यवधान)

डा0 दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : कल से ही यह बातें हो रही हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, I am on the legs. I am in the possession of flour of the House. In what capacity he is speaking? यह तो मंत्री हैं। अब मुझे बताओ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें कह लेने दें पूरी बात। लेकिन आप यह असत्य वाचन कर रहे हैं, वह पहले ही आ गये थे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोई भी जज मैंने हिन्दुस्तान में नहीं देखा जो बिना वकील के आर्ग्यूमेण्ट सुने बिना पहले फैसला दे दे। आप आर्ग्यूमेण्ट सुनें पहले। मैं हाउस में बैठा हुआ था एक भी सदस्य खड़ा होकर कह दे कि यहां पर जो गवर्नर साहब का ए डी सी आया, उसने कहा। आपकी असेम्बली सेक्रेटेरियट के किसी आदमी ने नहीं कहा, आप बता दें I will resign from the MLAship. The House was not informed by the Secretariat but it was informed by the ADC of the Governor. आप उसको इन्फोर्म ही नहीं करना चाहते। आप उसको कंसीडर ही नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है आपकी यह परम्परा है तो बता दें कि हाउस को इन्फोर्म करने का काम ए डी सी करेगा, बताइये किस कैपेसिटी में ? We are governed by the Rules and Regulations. It is not the prerogative of the ADC. ADC can come. ADC can sit but ADC can not have a right to inform the House. यह आज दिन तक कभी भी किसी भी पार्लियामेंट प्रैक्टिस की परम्परा नहीं रही है और आप इसको भी

(डा. सी. पी. जोशी)

इग्नोर करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। उनके जाने के बाद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। आप विषयान्तर हो रहे हैं, आप दूसरे इश्यू पर जा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, बिना सुने ही आप फैसला कर रहे हैं कि मैं विषयान्तर हो रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये आप पूरी बात। आप इस इश्यू को पुनः उठा सकते हैं कि क्या हुआ उस समय, यह एक अलग इश्यू है। इस समय जो इश्यू पर चर्चा हो रही है वह इस बात पर चर्चा हो रही है कि हम कैसे रिजोल्व कर लें इस प्रॉब्लम को ताकि सदन चल सके।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, उसी पर मैं आ रहा हूं। अब मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने कैसे मान लिया, मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने कैसे मान लिया? अध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करें। आप कहते हैं इश्यू को रिजोल्व करें। किस स्टेज पर? यह कहा गया है कि शोकाभिव्यक्ति में कांग्रेस पार्टी ने यह किया, इसलिए करेंगे। यह आपने अभी आकर बोला है, कल भी नहीं बोला आपने। अभी दिन में भी नहीं बोला आपने, आफ्टर थॉट, यह पार्लियामेंट मिनिस्टर न सरकार को चला पायेंगे, न इस विधान सभा को चला पायेंगे। आपने यह कहा कि शोकाभिव्यक्ति में कांग्रेस के सदस्यों ने यह कहा है इसलिए कांग्रेस के सदस्य, नेता फैसला करें यह अच्छा था या बुरा था। हमने अच्छे-बुरे का काम किया, कभी आपने सोचा है यह चलाने की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हाउस को आर्डर में लाये बिना शोकाभिव्यक्ति करवा दी आपने। यह कभी आज दिन तक इतिहास में हुआ है? Whose is the duty? यह किसकी ड्यूटी है? चेयर को हाउस को रूल में लाने के बाद प्रोसिडिंग करनी चाहिये, हम इस चीज को भी इग्नोर कर गये। इसमें भी पार्लियामेंट मिनिस्टर को कोई तकलीफ नहीं है। हमने खेद प्रकट किया। हमने तो शोकाभिव्यक्ति में दो मिनट तक मौन रखा है। हम तो अपनी लिमिटेशन जानते हैं। हम जो यहां नारे लगा रहे थे, नारे तब लगा रहे थे आप हाउस एडजोर्न करने के पहले गये, वह इश्यू था, उसमें नारे लगा रहे थे। हमें थोड़ी मालूम था हम शोकाभिव्यक्ति में लगा रहे थे। (व्यवधान) सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ड्यूटी थी, आपको पाइण्ट आउट

(डा. सी. पी. जोशी)

करते कि हाउस को आर्डर में लाओ फिर शोकाभिव्यक्ति करते तब समझ में आता, यह नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई चिंता नहीं, मैं जो आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 1966 से 1991, मैं कोट करना चाहता हूं, यह कोई भी अध्यक्ष का निर्णय आइसोलेशन में इन्टरप्रेट नहीं करें। आपको मैं कोट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आपके साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इसको नोट करें। अध्यक्ष महोदय, 91 के जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसको सुनिये आप, मैं उस जजमेंट कोट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो ओपरेटिव पार्ट है लिखिये "If the shouting is loud enough or the behaviour sufficiently unruly, the Governor may not be able to begin or to finish the Address due to human limitation and may have to think of other modes of publication of the Address." The crux of the problem is this. यदि इस तरह का व्यवहार होता है जिस व्यवहार से राज्यपाल महोदय न अपने भाषण को शुरू कर सकते और न फिनिश कर सकते, इस तरह का अनरूली बिहेव हो तब उसको पढ़ा हुआ माना जाए। यह हाई कोर्ट की रूलिंग है, मेरी रूलिंग नहीं है। आप दोबारा पढ़ लें। आई विश, आप जो हमको 1966 की बात कर रहे हैं, आप 1991 की इस वेस्ट बंगाल की रूलिंग को भी दोबारा पढ़ें, उसमें इश्यू ही यह था कि स्थितियां इस तरह की बन गयी थीं कि वो, उनका व्यवहार, उनका व्यवहार इस तरह का था कि वो दूसरा मोड नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने कहा कि इसको रखे हुए को माना जाए। इस तरह की स्थितियां नहीं थीं कल। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो भाषण को पढ़ रहे थे, वो यहां से बोल रहे थे, आपने इन्टरविन कराया, भाषण कम्प्लीट करवाया। यह वन पार्ट है। हमने यह चैलेंज नहीं किया कि भाषण नहीं है, पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया, पाइण्ट ऑफ आर्डर पर फैसला नहीं दिया, आपने कहा कि मैं इसका बाद में फैसला दूंगी और फैसला देने के बीच में चीफ व्हिप महोदय अपनी बात कह रहे थे पाइण्ट ऑफ आर्डर पर। सडनली, बिना इस बात को किये, आपकी परमिशन लिये हुए कि हम उन सदस्यों के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते हैं, यह प्रोरोगेटिव है। लाना चाहिए, यह इनका अधिकार है, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे पर आप प्रोसिडिंग उठा कर देख लें, चीफ व्हिप महोदय पाइण्ट ऑफ आर्डर पर बोल रहे थे, सडनली, बिना आपकी परमिशन के, बिना सदन को इन्फोर्म किये एक प्रस्ताव लाकर रख दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको भी आप डेमोक्रेसी में ठीक समझते हैं? आप एक तरफ तो यह आशा करते हैं कि माननीय

(डा. सी. पी. जोशी)

सदस्य, जिन्होंने यह व्यवहार किया वो ठीक नहीं है, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है हाउस ठीक ढंग से चले, यूनिलेट्रल नहीं है बाईलेट्रल मामला है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर निवेदन करना चाहते हैं कि न हम ऐसे व्यवहार को एप्रिशिएट करना चाहते हैं पर साइमलटेनियसली हमने कल भी नारा लगाया फिर नारा लगाना चाहते हैं कि विधान सभा में काला अध्याय बनाने की स्थिति किसने पैदा की, काला अध्याय बनाने की स्थिति में रूलिंग पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती इसलिए रूलिंग पार्टी को भी आगे आकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डेड लोग को खतम करने के लिए यह जो प्रस्ताव की भावना है 1966 की, 1966 और 2007 में Much water has flown in the Indian Democracy. आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स राजस्थान के नहीं हैं, आप दुनिया के पार्लियामेंट्री मैम्बर और एग्जिक्यूटिव के मैम्बर हैं। आपका धर्म नहीं बनता है कि दुनिया के पार्लियामेंट्री के मैम्बर आपको क्या कोट करेंगे? आपको बड़प्पन बता कर करना चाहिए कि मीटिंग बुलाती हूं मैं चैम्बर में, उन चार आदमियों को भी बुलाती हूं, इनके लीडर को भी बुलाती हूं और इश्यू को रिजोल्व करने की कार्यवाही करती हूं। तब तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बड़प्पन होता, अब उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मानेंगे लेकिन बड़प्पन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना पड़ेगा।

हमें मालूम है बहुमत इनका है, राज यह कर रहे हैं, इनकी मर्जी में आये जो करेंगे, हम को बोलने का अधिकार है, हमारे बोलने के अधिकार को भी आप प्रोटैक्ट नहीं करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप बी.जे.पी. के अध्यक्ष नहीं हैं, आप राजस्थान की विधान सभा के अध्यक्ष हैं, पाँच करोड़ लोग आपकी ओर निगाह को उठा कर देख रहे हैं इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप आगे आकर इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए आपके चैम्बर में उन चारों सदस्यों को बुलाइये और आपकी भावनाओं, सदन की भावनाओं को अवगत कराइये कि, चार सदस्य, आपके व्यवहार से सारा सदन दुःखी है, उसके बाद में वह चार सदस्य क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि नहीं मानते, नहीं मानते तब हम आपके पास में आकर रियेक्ट करेंगे। आप हम को कह रहे हो कि उनको बुला कर बात करो, यह जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? आपने उन चार सदस्यों को बुलाया, वह चार भी पालिटिकल पार्टी के मैम्बर हैं, क्या इनकी पार्टी का धर्म नहीं बनता था कि उनसे बुला कर बात करें?

(डा. सी. पी. जोशी)

मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अभी हाउस को एडजोर्न करिये, चार सदस्यों को बुलाइये, उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराइये और उसके बाद जैसा फैसला आप करेंगे उस फैसले में हम भी भागीदार बनेंगे बाकी बहुमत के आधार पर आप बेइमानी करें, डाका डालें, चोरी करें आपको अधिकार है, जनता फैसला करेगी लेकिन हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप नौ बार विधान सभा की सदस्य रही हैं, आपने कांग्रेस, बी.जे.पी., जनता दल हर पार्टी की नुमाइंदगी कर ली है तो आपका बड़प्पन तो बड़ा होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किस-किस पार्टी की मैम्बर हो, आपका एक्सपीरियंस तो, हरेक की भावना से आप जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप हाउस को एडजोर्न करिये, चार सदस्यों को बुलाइये, चार सदस्यों को हमारी सब की भावनाओं से अवगत कराइये उसके बाद वो नहीं मानते हों तब आप जैसे कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको आगे एक दृश्य तो बताना पड़ेगा, आप हम को डॉक में डाल रहे हैं। पहले तो आपने कह दिया कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया, फिर आपने कहा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शोकाभिव्यक्ति में हाय-हाय के नारे लगाये तो हाय-हाय के नारे नहीं लगाएं तो क्या सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाएं? हम यहां सरकार जिंदाबाद लगाने के लिए आये हैं क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय। हम यहां पर हाय-हाय लगाने के लिए आये हैं, सरकार की गलती को पाइण्ट आउट करने के लिए आये हैं, जनता की बात करने के लिए आये हैं, इस अधिकार को हम खोयेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप बड़प्पन दिखा कर काम करें।

श्री अध्यक्ष: आप यहां जन समस्याएं उठाने के लिए आये हैं या हाय-हाय करने के लिए आये हैं?

एक माननीय सदस्य: हाय-हाय भी जनता की समस्या का पार्ट है लोकतंत्र में। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जनता के मामले उठाने आये हैं या हाय-हाय करने के लिए, नारे लगाने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): जनता की आवाज उठाने के लिए आये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्यमंत्री की बुराई नहीं करेंगे, यह काम हम नहीं करेंगे। मंत्री भी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की बुराई भी करें और राज का पैसा भी लें, यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हो सकता। (व्यवधान) मुख्य मंत्री के मंत्रिमण्डल में रहें, राज का पैसा लें और सरकार के खिलाफ बोलते रहें, ...(व्यवधान) यह काम नहीं हो सकता, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसका भी विरोध करने के लिए हम सदन में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से खड़े होकर के भाषण देते हैं ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ भी कहें, यह कुछ भी बोलें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हाउस को...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की है, मैं फिर से सुनाना चाहूंगी ...(व्यवधान) मैं फिर से सुनाना चाहूंगी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फैसला नहीं करना चाहते हो, मैं फैसला करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं फिर सुनाना चाहती हूं "In West Bengal, the Governor failed to deliver his Address to the Legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances and made up the failure by publication of the Address to the Members of the legislature by laying the Address on the Table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be overemphasized, because by laying a copy of the Governor's Address on the Table, the object of the Address was substantially served and the Members would become aware of the contents of the Address".

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुनो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन पैरों पर है, आसर पैरों पर है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आसन तो पैरों पर है, आप नहीं देखोगे क्या? (व्यवधान) आसन पैरों पर है, बैठो।

श्री अध्यक्ष: दोनों माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको बोलने तो दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें। मैंने कहा स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको तो बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस हाउस को जिस प्रकार से मिसलीड करने की कोशिश की, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मिसलीड कैसे कह रहे हो आप This is my prerogative. I have a right to speak. आप मिसलीड करना कैसे कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, कृपया सुनिये। वेस्ट बंगाल गवर्नर ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके Don't qualify the judgment. Don't put as it is. You can not put as it is as a statement. It is my right to speak.

श्री अध्यक्ष: सुनिये आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्लियामेंट में मुझे अधिकार मिला है, संविधान में अपनी बात कहने के लिए कोर्ट भी मुझे नहीं पूछ सकती है। आप मुझे क्वालिफाई कर रहे हैं, यह आपका काम नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। I have a right to speak. If it is unparliamentary you have a right to expunge.

श्री अध्यक्ष: मैंने कल भी ...(व्यवधान) पढ़ कर सुनाया था। (व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री बात कही है आपको एक्सपंज करने का अधिकार है बाकी मेरी बात पर क्वालिफाइड आब्जैक्टिव लगाने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री अध्यक्षः मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं "In West Bengal, the Governor failed to deliver his Address to the Legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances and made up the failure by publication of the Address to the Members of the legislature by laying the Address on the Table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be overemphasized, because by laying a copy of the Governor's Address on the Table, the object of the Address was substantially served and the Members would become aware of the contents of the Address" .यह साफ कहा है "due to noisy"

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपका कागज है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह आपका कागज है I will lay it. This is your paper. (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः I requested….(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपका पेपर है, यह आपका पेपर है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हां, पढ़ा है मैंने। पढ़ कर सुना रही हूं। यह भी पढ़ कर सुना रही हूं। मैं पढ़ के सुना रही हूं। रख दीजिए, आप रख दीजिए। (व्यवधान) आल राइट।

(माननीय सदस्य, डा. सी. पी. जोशी ने सदन की मेज पर कागज रखा)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? आसन को सम्बोधित करने का यह क्या तरीका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ तो परम्परा, नियम मानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है आसन को सम्बोधित करने का?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाँच करोड़ राजस्थान की जनता इस बात के लिए हम लोगों को नहीं चुन कर भेजती है, जिसमें डाक्टर्स भी हैं, इन्जीनियर्स भी हैं, वकील भी हैं और बहुत बड़े-बड़े यहां सीनियर लीडर हैं, हम तो जूनियर हैं पर मुझे खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली बार भी विधान सभा चली तब पाँच दिन एक इश्यू के ऊपर पूरा समय खराब कर के हमें राजस्थान की जनता ने यह कहा कि क्या इसीलिए आप लोगों को हम

(श्री श्रवण कुमार)

भेजते हैं कि एक राजेन्द्र सिंह के छोटे-से मुद्दे पर आपने पाँच दिन व्यतीत कर दिया। अब भी खेद और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक महीना क्या इसी में निकालना चाहते हैं? इस बात का बड़ा दुःख है।

राम तेरी गंगा मैली पिक्चर में एक बात कही थी, बूढा आदमी लड़कियों को गलत रास्ता दिखाता है, उसने कहा, ए बाबा, तुम जैसे लोग अगर इस तरह करने लग जाओगे तो लोग अंधों पर विश्वास करना बंद कर देंगे।

यह पाँच करोड़ जनता आप लोगों पर विश्वास करना बंद कर देगी इस बात के लिए और पहले तुम, पहले तुम करके इस ट्रेन को निकालना चाहते हो, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसने भी गलती की है, जो भी कुछ किया, इतने सीनियर लीडर यहां बैठे हैं, आप भी सीनियर हो, क्या इसका समाधान नहीं निकल सकता? (व्यवधान) क्या आप गांवों के अन्दर न्याय करोगे, क्या आप फैसला करोगे जब छोटी सी बात का फैसला नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने नेता को माफी मांगने के लिए कहो। माफी मांगने के लिए कहो अपने नेता को।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): इस बात की पीड़ा है मुझे, इस बात का दर्द है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्षमा मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमा मांगने से मामला खतम हो रहा है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप मंत्री हो, बैठिए एक बार। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की चर्चा नहीं है कि अपराधी अपराध करता है ...(व्यवधान) बैठो।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) आपकी सरकार उसको बचाना चाहती है ...(व्यवधान) ये ये क्या करते हो ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): बैठो, बैठ जाओ।

श्री हीरालाल (निवाई): कौन हैं आप, कौन हो बैठाने वाले ? मुझे अध्यक्ष महोदय बैठा सकती हैं आप नहीं बैठा सकते। यूं यूं क्या कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.01 बजे दिनांक 2 मार्च, 2007 के 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 15.01 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जिस बात पर डेडलॉक है, पहले उसका फैसला होगा....(व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

उषा पूनिया श्रीमती, राज्य मंत्री पर्यटन को 1 मार्च, 2007 से 8 मार्च, 2007 तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि ...(व्यवधान) कि श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री ने अपनी पुत्री के इलाज के सिलसिले में अमेरिका प्रवास पर होने के कारण दिनांक 1 मार्च, 2007 से 8 मार्च, 2007 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गयी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसके पहले कोई बात नहीं होगी ...(व्यवधान)

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: क्या स्थगन प्रस्तावों पर भी व्यवस्था आप मुझे नहीं देने देंगे ...(व्यवधान) स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था नहीं देने देंगे ...(व्यवधान) 295 पढ़े हुए माने गये।

(नियम 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची पर कोई बोलना नहीं चाहता। स्थगन प्रस्तावों पर आप मुझे ... (व्यवधान) जालिम सिंह रावलोत यदि आप पर्ची पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। श्री राव राजेन्द्र सिंह यदि आप बोलना चाहें पर्ची पर तो बोल सकते हैं। श्री तगाराम चौधरी यदि आप बोलना चाहें पर्ची पर तो आपको अनुमति देती हूं। श्री जोगाराम पटेल यदि आप पर्ची पर बोलना चाहें तो आपको अनुमति प्रदान करती हूं।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी पर्ची पर निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री अध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर, पंचायती राज मंत्री अधिसूचनाएं मेज पर रखेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ 4 (32) पी.आर.डी./लीगल/टीचर सले./एल.एजू./2006/4354 दिनांक 21.09.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.4 (33) पी.आर.डी./लीगल/पी.राज रूल्स/एमेण्ड/एल.एजू./2006/4365 दिनांक 22.09.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (पंचम संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.4(30) पी.आर.डी./लीगल/जे.ईएन/एमेण्ड/2006/3436 दिनांक 2.12.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (सप्तम संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः श्री रामनारायण डूडी।

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की पाँच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-प. 14(1) राज-6/2005/पार्ट/54 दिनांक 18.09.2006 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर समस्त किस्म की भूमि का आवंटन राजकीय विभागों को सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना जिला कलक्टरों द्वारा 31.03.2007 तक आवंटन किया जा सकेगा।
2. अधिसूचना संख्या-प. 9 (15)राज-6/2005/05/57 दिनांक 22.11.2006 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प. 6(9) राज-6/96/पार्ट/59 दिनांक 11.12.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.6 (9) राज.96/पार्ट/ 148 दिनांक 8.03.2006 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-प.1(1) राज-6/ 2006/ 66 दिनांक 29.12.2006 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या-प.14 (1) राज-6/2005/10 दिनांक 26.12.2006 जिसके द्वारा आदेश संख्या-एफ. 5 (109) रेव./बी/60 दिनांक 20.07.1963 में संशोधन किया गया है।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः श्री युनुस खान।

यातायात विभाग

श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री (श्री युनूस खान, यातायात मंत्री के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यातायात विभाग की अधिसूचना संख्या-एफ. 6 (272) परि/कर/मु./2004 दिनांक 31.01.2007

(श्री प्रभुलाल सैनी)

जिसके द्वारा उप नगरीय मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों पर सशर्त कर का परिहार किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./48 दिनांक 5.6.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/रेगु./49 दिनांक 20.06.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (प्रदाय कोड और संबद्व मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
3. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./50 दिनांक 24.08.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
4. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./51 दिनांक 18.07.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
5. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./52 दिनांक 18.08.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।
6. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि./53 दिनांक 29.08.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री सांवरलाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड वर्ष 2005-06

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आवाज नहीं निकले तो शांत तो रहें, अध्यक्ष महोदय, मैं भू-जल मेमोरण्डम ऑफ आर्टीकल्स के नियम-114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-06

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेख वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं

राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवदन वर्ष 2005-06

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 एवं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 वार्षिक

(2) दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

(सदन कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खां।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री (श्री युनुस खान, यातायात मंत्री के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 ;

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण लिमिटेड वर्ष 2005-06

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2005-06 ;

(श्री गजेन्द्र सिंह)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्ष 2001-02 एवं 2002-03

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 ; एवं

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2003-2004

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर वर्ष 2005-06

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 15वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1 मार्च, 2007 को मध्यान्ह पश्चात् 12.50 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्म में हुई। बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 2 मार्च, 2007 से 8 मार्च, 2007 तक के लिए आने वाले कार्यों का बंटवारा निम्न प्रकार किया जायेगा :-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2007	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
शनिवार, दिनांक 3 मार्च, 2007	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 4 मार्च, 2007	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 5 मार्च, 2007	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा व सरकार की ओर से उत्तर।
मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2007	- '' -
बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2007	- '' -
गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2007	आय-व्ययक अनुमान 2007-2008 का पुर:स्थापन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007

श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 5 मार्च, 2007 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.13 बजे सोमवार, दिनांक 5 मार्च, 2007 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार

1. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2003 में क्या-क्या और अधिकार प्रदान किए गए? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् किन-किन अधिकारों को वापस लिया गया? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में किन-किन योजनाओं में कार्यों की स्वीकृति का अधिकार जिला कलक्टर को दिया गया? क्या यह भी सही है कि कतिपय योजनाओं में स्वीकृति की प्रक्रिया में जिला प्रमुख को पत्रावली तक नहीं भेजी जाती है। यदि हां, तो क्यों?

(4) जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व वार्ड पंच को क्या-क्या सुविधाएं यथा, वेतन एवं मानदेय दिया जा रहा है? उक्त आदेश कब जारी किए गए? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जोधपुर में राज्य भर के एकत्रित सरपंचों के संघ द्वारा सरकार को दिए गए ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2003 में दिये गए अधिकारों के आदेश की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य में 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् आज्ञा दिनांक 15.1.2004 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं से अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य में संचालित योजनाओं में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना, गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, डांग क्षेत्रीय

(पंचायती राज मंत्री)

विकास योजना, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, सहरिया जनजाति परिवारों हेतु विशेष रोजगार योजना, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलक्टर को दिये गये हैं।

सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व वार्ड पंच को देय सुविधाऐं यथा वेतन एवं मानदेय का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। उक्त आदेश दिनांक 11.6.1998, 29.6.1998, 4.5.1995, 21.11.2005, 31.10.1995 व 10.1.1996 को जारी किये गये हैं। इनका विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(5) सरपंच संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट 'ध' पर संलग्न है। ज्ञापन कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को स्वीकृत बजट

2. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में ऋण उपलब्ध कराने हेतु कितना बजटीय प्रावधान रखा गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2004 से अब तक अल्पसंख्यकों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना ऋण प्रदान किया गया? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक उक्त राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से प्राप्त किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(5) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में उक्त योजनान्तर्गत कितनी अधिकतम अनुदान राशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्धारित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक रोजगारोन्मुखी शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु कितने व्यक्तियों को कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के लिये ऋण वितरण हेतु बजटीय प्रावधान नहीं किया जाकर राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऋण वितरण हेतु वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वर्षवार निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (लाखों में)
2004-05	200
2005-06	300
2006-07	525

(2) उपरोक्त लक्ष्यों के विरुद्ध वर्षवार ऋण वितरण की स्थिति इस प्रकार है :-

जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

वर्ष	ऋण वितरण (राशि लाखों में)
2004-05	67.53
2005-06	118.93
2006-07	171.60

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से योजना के प्रावधानानुसार परियोजना लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया गया है। प्राप्त की गई राशि वर्षवार निम्नानुसार है :-

2004-05	2005-06	2006-07
कुल राशि 67.53 लाख	कुल राशि 111.11 लाख	कुल राशि 153.90 लाख

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय निगम द्वारा परियोजना लागत की 85 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में ही उपलब्ध करवायी जाती है।

(6) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक रोजगारोन्मुखी शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु दिये गये ऋणों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट - "अ"

जिलेवार निर्धारित वित्तीय लक्ष्य एवं वितरित ऋणों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		वित्तीय लक्ष्य	वितरित ऋण	वित्तीय लक्ष्य	वितरित ऋण	वित्तीय लक्ष्य	वितरित ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	8.41	1.95	11.58	—	13.90	4.66
2.	अलवर	12.59	—	15.89	16.59	19.07	—
3.	बांसवाडा	3.96	3.83	7.97	—	9.56	2.19
4.	बारां	8.76	0.68	5.44	1.23	6.52	3.18
5.	बाड़मेर	5.58	1.83	10.43	0.83	12.52	1.24
6.	भरतपुर	6.93	—	11.15	—	13.38	—
7.	भीलवाडा	3.18	0.80	10.68	2.34	12.81	1.21
8.	बीकानेर	2.83	2.21	8.89	0.68	10.67	—
9.	बून्दी	3.18	2.05	5.11	1.28	6.13	1.86
10.	चित्तौड़गढ़	6.93	—	9.50	1.09	11.49	1.33

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	चूरू	3.53	1.78	10.21	—	12.26	—
12.	दौसा	2.83	1.36	7.02	1.25	8.39	1.14
13.	धौलपुर	2.48	—	5.23	0.71	6.27	—
14.	डूंगरपुर	4.23	—	5.88	4.72	7.06	2.95
15.	श्रीगंगानगर	17.39	10.71	9.50	3.95	11.40	5.70
16.	हनुमानगढ़	8.41	9.48	8.06	9.01	9.67	2.09
17.	जयपुर	11.52	3.67	27.90	0.25	33.48	0.77
18.	जैसलमेर	10.11	2.01	2.71	33.42	3.24	114.69
19.	जालौर	5.58	—	7.70	—	9.23	1.33
20.	झालावाड़	2.83	—	6.28	1.79	7.52	1.81
21.	झुंझुनूं	3.53	—	10.17	1.63	12.20	1.14
22.	जोधपुर	3.18	2.55	15.31	18.15	18.36	1.28
23.	कोटा	5.58	0.21	8.34	—	10.00	1.62
24.	नागौर	2.83	5.65	14.75	1.81	17.68	9.97
25.	पाली	10.46	2.21	9.67	2.74	11.60	3.93
26.	राजसमन्द	3.53	1.10	5.24	0.95	6.29	1.90
27.	सवाई माधोपुर	2.83	3.69	5.94	7.21	7.11	—
28.	करौली	4.88	0.40	6.41	2.73	7.69	1.47
29.	सीकर	8.76	6.08	12.15	0.26	14.58	—
30.	सिरोही	2.48	0.43	4.52	3.89	5.42	2.23
31.	टोंक	3.88	0.45	6.44	—	7.72	1.63
32.	उदयपुर	3.18	2.40	13.98	0.43	16.78	0.29
	योग	**186**	**67.53**	**300**	**118.93**	**360**	**171.60**

परिशिष्ट - "ब"

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिये निर्धारित मानदण्डों का विवरण इस प्रकार है

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. प्रार्थी सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग में केन्द्र सरकार द्वारा अधिशोषित मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध वर्ग है।
3. प्रार्थी की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 39,500/- एवं शहरी क्षेत्र में 54,500/- वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय की यह अधितकतम सीमा है। इससे अधिक आय वाले व्यक्ति ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. प्रार्थी पर किसी भी बैंक, सहकारी संस्था, निगम तथा राज्य सरकार का अवधि पार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
5. जिस कार्य के लिये ऋण लिया जा रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

परिशिष्ट "स"

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक वितरित शैक्षिक ऋणों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	जिला	नाम	पाठ्यक्रम	वर्ष	स्वीकृत ऋण	वितरित राशि
1.	स. माधोपुर	श्री आबिद अहमद/ अब्दुल करीम	बी.एड.	2004-05	44109	44109
2.	स. माधोपुर	श्री अब्दुल खलिद खॉ/ अब्दुल कयुम खॉ	बी.एड.	2004-05	44109	44109
3.	उदयपुर	श्री मो. युसूफ मंसूरी/ मो.इब्राहिम मंसूरी	एम.बी.ए.	2005-06	36450	36450
4.	बून्दी	श्री ईमरान रशीद पठान/ अब्दुल रशीद पठान	एम.बी.ए.	2005-06	90000	90000
5.	स. माधोपुर	श्री मो. आरिफ/अली मोहम्मद	बी.एस.सी. नर्सिंग	2005-06	150000	50000 (एक किश्त)
	योग :-				**364668**	**264668**

बेरोजगार युवकों से ठगी के दर्ज प्रकरण

3. **श्री हरिमोहन शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 में कृषि एवं पशुपालन विभाग में सर्वे के नाम पर नौकरी दिलवाने हेतु ठगी कर करोड़ों रुपये विभिन्न जिलों में बेरोजगार युवकों से ठगे गये और ऐसे लोगों के विरुद्ध विभिन्न जिलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? यदि हां, तो किस-किस थाने में किन-किन लोगों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर राशि बरामद की गई? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या इस प्रकरण की जांच सी.आई.डी., सी.बी. द्वारा करवाई गई है? यदि हां, तो अब तक किनके विरुद्ध चालान पेश किया गया तथा किन-किन मुल्जिमान को गिरफ्तार करना शेष है?

उत्तर

(1) कृषि पशुपालन विभाग में सर्वे के नाम पर नौकरी दिलवाने हेतु ठगी की शिकायत आयी है। वर्ष 2004-05 में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ। वर्ष 2006 में ऐसे लोगों के विरुद्ध विभिन्न जिलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 2 पर वर्णित है।

(2) हां। कुछ प्रकरणों में मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर उनसे बरामद रकम का विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कालम 8 पर अंकित है।

(3) हां। दर्ज 11 प्रकरणों की जांच सीआईडी (सीबी) के सुपरविजन में करवाई गई है। चालान पेशशुदा मुल्जिमान की सूचना परिशिष्ट ''अ'' के कालम 6 पर अंकित है। गिरफ्तारी से शेष रहे मुल्जिमान की सूचना परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 7 पर दर्ज है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडपुरा (कोटा) तहसील क्षेत्र की वन भूमि पर अवैध आवासीय योजनाएं

4. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा की उप-तहसील मण्डाना की ग्राम पंचायत बोराबास के नयागांव आवंली एवं रोजड़ी गांवों के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आस-पास की वन भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा आवासीय कालोनी बनाकर प्लाट बेचे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तहसील लाडपुरा पटवार सर्किल बोराबास के नया गांव व रोजड़ी की सीमा में वन भूमि पर भू-माफियों द्वारा आवासीय कालोनी बनाकर प्लाट नहीं बेचे जा रहे हैं। वन विभाग की भूमि को स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण कर बेचान किये जाने के मामले सामने आये है।

वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 80 व्यक्तियों के विरुद्ध 5.71 हैक्टयर वन भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रकरण बनाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक में केस दर्ज कराये गये है। जिन पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है।

इसके अलावा अतिक्रमियों के विरुद्ध संबंधित थाने में पुलिस प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु लिखा गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में वन भूमि के बेचान की रोकथाम की दृष्टि से आम सूचना भी प्रकाशित करवाई है।

इस संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रकरण नहीं बनता है।

अग्नि पीड़ितों को देय सहायता राशि का पुनर्निर्धारण

5. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अग्नि पीडितों को मुआवजा देने के मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित उक्त मानदण्डों के आधार पर अग्नि पीड़ितों को इतनी अल्प राशि ही मिल पाती है जिसमें किसी भी छोटे से छोटे आवास का निर्माण किया जाना संभव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजा देने के उक्त मानदण्डों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता बल्कि तात्कालिक सहायता सी.आर.एफ. के मापदण्ड के अनुसार दी जाती है। मापदण्डों की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को सी.आर.एफ. के नामर्स के अनुसार तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिससे पूरे नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए यह राशि पूरे नुकसान के मुकाबले अल्प ही होती है। भारत सरकार द्वारा दी जा रही इस राशि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सी.आर.एफ. के नामर्स को रिवाइज करने हेतु पत्र लिखा गया है। यदि भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ. नामर्स को रिवाइज कर बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार सहायता राशि बढ़ा दी जायेगी। सी.आर.एफ. के मापदण्डों को रिवाइज कर सहायता राशि बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार को अनेकों पत्र लिखे गये हैं तथा व्यक्तिशः मिलकर निवेदन भी किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-6

(स्थगित)

जयपुर जिले में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु प्राप्त राशि

7. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण विकास की कितनी व कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गत वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई एवं अब तक कितनी-कितनी राशि इन योजनाओं में व्यय की जा चुकी है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में ग्रामीण विकास की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा इन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2006-07 में कितनी राशि अब तक व्यय की गई एवं कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में चल रही ग्रामीण विकास की

(श्री लालचन्द कटारिया)

योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और किस-किस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन में कितना-कितना समय लगना शेष है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण विकास की संचालित योजनाएं एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गत वित्तीय वर्ष में व्यय राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं तथा इन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2006-07 में अब तक व्यय की गयी राशि एवं इनसे लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में चल रही ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति एवं योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन अवधि सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम

8. **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006-07 में राज्य के किस-किस जिले के किन-किन ग्रामों को सम्बल ग्राम विकास योजना में शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्बल ग्राम विकास योजना वाले ग्रामों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां जिले में वर्ष 2006-07 में सम्बल ग्राम विकास योजना में एक ही तहसील के गांवों को शामिल करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में कितने गांवों को सम्बल ग्राम विकास योजना में शामिल कर कितने ग्रामीण कार्य किस-किस एजेन्सी के माध्यम से कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में शामिल किये गये जिलों और ग्रामों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सम्बल ग्राम विकास योजना में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के मध्यनजर प्रदेश के चिन्हित ग्रामों में निम्न कार्यों के लिए तकमीना अनुसार या अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है।

1. सीसी रोड
2. पानी की जीएलआर पाइप लाइन
3. विद्यालय भवन का निर्माण
4. बिजली की लाइन खम्बे (पोल)
5. अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुमति से

(3) बारां जिले में वर्ष 2006-07 में सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत एक ही तहसील के ग्रामों को शामिल नहीं किया गया है।

(4) वर्ष 2006-07 में शामिल किए गए गांवों एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस बल में वृद्धि

9. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक में कनून व्यवस्था के लिए कितनी नफरी है? थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले की जनसंख्या के अनुसार एक पुलिसकर्मी पर कितने लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है?

(3) क्या यह सही है कि आम लोगों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के साथ-साथ जिले के डिग्गी कल्याण मंदिर, वनस्थली विद्यापीठ, बीसलपुर बांध व अन्य धार्मिक, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता रहती है?

(4) क्या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त

(श्री हीरालाल)

पुलिस बल की मांग की गई है? यदि हां, तो कितने पुलिसकर्मियों की मांग की गई और सरकार कितने अतिरिक्त पुलिसकर्मी इस जिले को कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला टोंक में कानून व्यवस्था के लिए मौजूदा नफरी 1203 कर्मचारियों की है। थानेवार पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला टोंक की जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार एक पुलिसकर्मी पर 1007 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है।

(3) डिग्गी कल्याण मंदिर, वनस्थली विद्यापीठ, बीसलपुर बांध व अन्य धार्मिक, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है।

(4) जी हां। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा पुलिस मुख्यालय से 3 पुलिस उप अधीक्षक, 15 पुलिस निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 66 मुख्य आरक्षी व 165 कानिस्टेबल के अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के पद बजट की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर के पहाड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे

10. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अब तक कितने पहाड़ों में किस-किस नाम से खनन पट्टे जारी किये गये?

(2) इनमें से कितने पट्टे अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से जारी किये गये?

(3) क्या सरकार द्वारा खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आकलन करवाया गया। यदि हां, तो कब व नहीं तो क्यों आकलन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अब तक कुल 38 खनन पट्टे जारी/प्रभावशील हैं। सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत खनन पट्टों में एक भी खनन पट्टा अरावली श्रृंखला में स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) पर्यावरण विभाग द्वारा खनन से होने वाले संभावित पर्यावरण प्रदूषण के लिए कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है, तथापि खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत खनन इकाइयों को पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य है एवं इन अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के तहत 5 हैक्टेयर से बड़ी खनन इकाइयों को प्राधिकृत अधिकारी से पर्यावरण स्वीकृति लेना आवश्यक है।

परिशिष्ट "अ"

तहसील परबतसर में स्वीकृत/प्रभावशील खनन पट्टों की सूची खनिज-चेजा पत्थर

क्र. सं.	एम.एल. नं.	पट्टेधारी का नाम	निकट ग्राम	पहाड़ी/ खसरा नं.
1	2	3	4	5
1.	11/96	कैलाशदान चारण	मेहगांव	216
2.	26/97	परबतसर रोड़ी उद्योग	रूणीजा	354
3.	9/98	इस्लामुदीन परबतसर	रूणीजा	354
4.	21/98	हेमाराम गोदारा किनसरिया	किनसरिया	352
5.	65/91	किस्तुराराम मेघवाल रूणीजा	रूणीजा	246
6.	07/01	अनिल कुमार पारीक	रूणीजा	354
7.	9/02	नवलकिशोर सिंह	मेहगांव	131
8.	10/02	नवलकिशोर सिंह	मेहगांव	131
9.	11/02	योगेश कुमार वैष्णव	मेहगांव	131

1	2	3	4	5
10.	12/06	योगेश कुमार वैष्णव	मेहगांव	131
11.	61/91	बाबुलाल माली	परबतसर	622
12.	451/05	मोटूराम चौधरी	परबतसर	1776
13.	450/05	शैतानाराम चौधरी	परबतसर	1776
14.	459/05	मोटूराम चौधरी	परबतसर	1776
15.	447/05	देवेन्द्र चौधरी	परबतसर	1776
16.	380/05	पन्नालाल माली	परबतसर	706
17.	396/05	राजेन्द्रसिंह	परबतसर	354
18.	400/05	रोहित पारीक	परबतसर	304
19.	401/05	रिचा पारीक	परबतसर	304
20.	402/05	रोहित पारीक	परबतसर	304
21.	403/05	विजयलक्ष्मी पारिक	परबतसर	304
22.	404/05	अल्का मेघवाल	परबतसर	1630
23.	405/05	रचना मेघवाल	परबतसर	1630
24.	406/05	पुष्पादेवी कुचामनसिटी	परबतसर	1630
25.	407/05	सुमित्रादेवी	परबतसर	1630
26.	416/05	भंवरलाल चौधरी मंगलाना	मंगलाना	535
27.	417/05	देवाराम जाट	मंगलाना	571
28.	418/05	दिनेश माहेश्वरी	मंगलाना	535
29.	427/05	कविता यादव	मेहगांव	44/1
30.	428/05	कविता यादव	मेहगांव	44/1
31.	433/05	हेमराज बलाई	मेहगांव	44/1
32.	436/05	मीना वर्मा	परबतसर	1630

1	2	3	4	5
33.	438/05	हेमराज बलाई	मेहगांव	44/1
34.	443/05	मनोज माहेश्वरी	मंगलाना	571
35.	6/06	बहादुरसिंह राजपुरोहित	किनसरिया	280
36.	7/06	हरिराम माली	किनसरिया	280
37.	18/06	सुगनाराम जाट	माण्डन	126
38.	66/06	राजेन्द्र सिखववाल	किनसरिया	280

जयपुर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्य

11. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकालग्रस्त गांव घोषित किये जाने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में किसानों द्वारा वर्ष के अभाव में बीज नहीं डाला जा सका क्या उनको भी अकालग्रस्त घोषित किये जाने का मानदण्ड में प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए मानदण्डों में संशोधन का सरकार विचार रखती है?

(3) जयपुर जिले की कौन-कौनसी तहसीलों में कौन-कौनसे गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? इन अकालग्रस्त गांवों में किस-किस तिथि से क्या-क्या राहत कार्य प्रारंभ किये गये? प्रारंभ किये गये कार्य, राशि व श्रमिक सीमा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) साधारणतया फसल में 50 प्रतिशत व इससे अधिक खराबा होने पर गांव को अभावग्रत घोषित किया जाता है मानदण्डों की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-1

(2) जी नहीं। अकाल गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर ही अभावग्रस्त घोषित किया जाता है।

(3) अभावग्रस्त वर्ष (संवत 2063) में जयपुर जिले की तहसील चाकसू तथा फागी के 135 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2) इन अभावग्रस्त ग्रामों में दिनांक 11 जनवरी, 2007

(अकाल राहत मंत्री)

से राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्रारम्भ किये गये राहत कार्यों की सूची मय राशि एवं श्रमिक सीमा के संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(प्रति/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेवक संघ से हुए समझौते की क्रियान्विति

12. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सराड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम संपर्क अभियान 2007 के समय ग्राम सेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ आर्थिक मांगों पर समझौता हुआ था? यदि हां, तो क्या समझौते अनुसार आदेश जारी किये गये? यदि हां, तो आदेशों व ग्राम सेवकों की ग्यारह सूची मांगों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों के 9, 18 एवं 27 वर्ष के चयनित वेतनमान पटवारियों एवं कृषि पर्यवेक्षकों के चयनित वेतनमानों से कम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस वेतन विसंगित को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों में समायोजित ग्राम सेवकों को चयनित वेतनमानों का लाभ उनकी पूर्व विभाग की सेवाओं की गणना करते हुए नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व इन्हें उक्त परिलाभ कब तक दे दिया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में ग्राम सेवकों की मांगों पर लिखित समझौता हुआ था? यदि हां, तो समझौते के अनुसार क्या-क्या आदेश जारी किये गये? यदि नहीं, तो सरकार कब तक आदेश जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वार्ता में बनी समझ (understanding) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सेवक संघ की 11 सूत्री मांगों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षक तथा ग्राम सेवक तीनों अलग-अलग संवर्ग है। इसे वेतन विसंगति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान ग्राम सेवक संघ (पंजी.) जयपुर

जयपुर होटल चौड़ा रास्ता जयपुर-03

"ग्राम सेवक संवर्ग का 11 सूत्रीय मांग पत्र"

1. 1200/- रुपये मानदेय पर नियुक्त ग्राम सेवकों को नियमित वेतनमान दिया जावे।
2. चयनित वेतनमान 9, 18, 27 का लाभ (दि. 6.10.98 के समझौतानुसार) प्रथम नियुक्ति तिथि से दिये जाने के स्पष्ट आदेश जारी किये जावे।
3. ग्राम सेवक का प्रथम चयनित वेतनमान (9 वर्ष पर) पंचायत प्रसार अधिकारी का वेतनमान 5000-8000 रु. किया जावे।
4. ग्रामसेवक वर्ग का वेतनमान (चौथा, पांचवा वेतन) का निर्धारण पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री शेखावत सा. के लिखित समझौतानुसार (दि. 5.1.95) 4500-7000 रु. किया जावे।
5. हार्ड ड्यूटी/कैश भत्ता 300/- रुपये प्रतिमाह दिनांक 6.10.1998 के समझौतानुसार दिया जावे।
6. अन्य विभागों में समायोजित ग्राम सेवकों को इस विभाग में स्थाई किया जावे। तथा "समान काम-समान वेतन" के सिद्धांतानुसार ग्राम सेवक का वेतनमान दिया जावे।
7. विकास सेवाओं का सृजन किया जावे।
8. दिनांक 21.10.2002 को विधान सभा के समक्ष शांतिपूर्ण पर लाठी चार्ज कर, दायर किये गये मुकदमों को वापस लिया जावे।
9. ए.ई.ओ./सी.ई.ओ./पी.ई.ओ. के पदों पर पदोन्नतियां दी जाये।
10. राज्य वरिष्ठता सूची को शुद्ध एवं आदिनांक प्रकाशक कराया जावे।
11. स्थाई स्थानांतरण नीति बनाई जावे।

(सोहन लाल डारा)
प्रदेश महामंत्री

ताराचन्द्र गुर्जर
प्रदेशाध्यक्ष

राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

13. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, का गठन किस वर्ष किया गया व इसमें अध्यक्ष व अन्य कितने सदस्य हैं? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में आयोग के अब तक प्रत्येक गठन में कौन-कौन अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत किये किये?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य-कलाप व गठन के उद्देश्य व गठन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लम्बित करने या भंग करने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो इन वर्गों को लाभान्वित करने का कार्य कौन कर रहा है? अब सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.03.1993 एवं दिनांक 17.05.1993 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव व तीन अन्य सदस्य की व्यवस्था है।

(2) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अब तक मनोनीत/नियुक्त अध्यक्षों, सदस्य सचिवों एवं सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

(4) समय-समय पर गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 11.03.1993 एवं 21.05.1999 की प्रतियां परिशिष्ट 'ब', 'स' एवं 'द' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(5) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 43227 दिनांक 21.05.1999 से गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचना क्रमांक 1686 दिनांक 15.01.2004 द्वारा भंग कर दिया गया था। नये आयोग के गठन सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्तियों की रोक हेतु कार्य-योजना

14. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 3 वर्षों से जयपुर शहर में हुई चोरी, हत्या, चैन टूटने एवं बलात्कार की घटनाओं का थानेवार विवरण, सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष ये घटनायें बढ़ रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि प्रति वर्ष इन घटनाओं में आंशिक वृद्धि हुई है। इनके बढ़ने के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, आवागमन एवं संचार के साधनों में वृद्धि सिनेमा एवं टेलीविजन आदि में दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों का प्रभाव व्यवसानों में वृद्धि एवं सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आदि है।

(3) हां। सरकार द्वारा घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। रात व दिन की गश्त बढ़ाई गई है। नाकाबन्दी दुरस्त की गई है, होटल धर्मशालाओं, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन आदि पर निरन्तर चैकिंग की जाकर गुण्डा, बदनाशान, आदतन अपराधी, संदिग्ध प्रकृति के व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सजग पड़ौसी योजना/सम्मन वारन्टों की तत्परता से तामील कराना अभियोगों का शीघ्र निस्तारण कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु केस आफीसर स्कीम आदि लागू की गई है। समय-समय पर अपराध गोष्ठियां आयोजित की जाकर अपराधों का विश्लेषण कर रोकथाम हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

गत तीन वर्षों से जयपुर शहर में हुई चोरी, हत्या, चैन टूटने एवं बलात्कार की घटनाओं का थानेवार विवरण निम्न प्रकार से है

जिला जयपुर शहर उत्तर

क्र. सं.	नाम धाना	चोरी			हत्या			चैन तोड़ना			बलात्कार		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	हरमाडा	32	30	46	2	4	1	0	0	0	0	2	0
2.	विश्वकर्मा	41	42	60	1	1	1	0	0	0	0	1	0
3.	विद्याधर नगर	50	42	63	2	1	4	2	0	3	1	1	1
4.	भट्टा बस्ती	22	21	21	3	0	1	0	0	3	0	1	0
5.	शास्त्रीनगर	33	34	40	2	0	2	0	0	5	1	0	3
6.	कोतवाली	130	135	171	2	1	1	1	1	1	0	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	नाहरगढ़	26	22	29	0	2	0	0	0	0	0	3	3
8.	संजय सर्किल	49	31	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9.	माणक चौक	157	141	196	2	1	0	0	2	3	0	2	0
10.	सुभाष चौक	18	17	27	0	1	1	0	2	2	0	1	0
11.	रामगंज	72	42	52	1	0	2	0	0	1	2	0	0
12.	गलता गेट	46	34	41	0	1	1	0	0	0	1	0	4
13.	आमेर	25	12	26	2	2	4	0	0	0	3	4	2
14.	ब्रह्मपुरी	56	31	43	3	0	4	0	0	2	1	2	0
15.	महिला थाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3
	कुल योग	**757**	**633**	**844**	**20**	**14**	**22**	**3**	**5**	**20**	**13**	**20**	**18**

जिला शहर दक्षिण

क्र. सं.	नाम थाना	चोरी			हत्या			चैन तोड़ना			बलात्कार		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अशोक नगर	127	94	112	1	1	2	1	3	0	1	1	2
2.	विधायकपुरी	185	186	174	0	0	1	0	0	0	2	0	0
3.	ज्योतिनगर	86	99	72	0	0	1	1	2	2	3	0	0
4.	सदर	109	71	79	2	3	2	0	0	1	2	0	1
5.	जालुपुरा	74	47	33	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6.	सिन्धी कैम्प	119	77	80	0	0	0	2	0	0	1	0	0
7.	बनीपार्क	47	26	35	1	0	0	0	1	4	1	0	0
8.	सोडाला	88	104	85	0	1	2	1	3	4	3	3	2
9.	श्यामनगर	72	80	90	1	0	1	4	4	12	1	1	1
10.	महेशनगर	72	92	70	2	2	0	1	2	6	2	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झोटवाड़ा	75	93	112	3	4	6	0	0	6	3	2	1
12.	वैशालीनगर	215	127	146	1	3	3	8	7	13	3	3	8
13.	मुरलीपुरा	38	35	54	2	1	1	0	0	0	3	2	2
14.	महिला थाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
	कुल योग	**1307**	**1131**	**114**	**13**	**16**	**19**	**18**	**22**	**28**	**25**	**17**	**21**

जिला शहर पूर्व

क्र. सं.	नाम थाना	चोरी			हत्या			चैन तोड़ना			बलात्कार		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	सांगानेर	150	182	316	3	5	4	0	2	1	5	5	4
2.	मालवीय नगर	287	358	235	3	1	1	12	3	11	3	1	1
3.	गांधीनगर	118	124	157	0	1	1	4	3	8	0	1	2
4.	बजाजनगर	169	223	247	0	1	1	2	12	16	0	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	मोतीडूंगरी	95	106	100	0	0	0	1	2	2	0	1	2
6.	जवाहरनगर	81	82	58	0	1	1	1	6	11	0	1	0
7.	आदर्शनगर	49	68	45	1	1	2	6	2	7	1	0	0
8.	लालकोठी	69	49	30	2	1	0	0	1	1	1	0	0
9.	ट्रांसपोर्ट नगर	35	42	44	0	1	1	1	0	0	0	1	0
10	मानसरोवर	45	77	87	0	0	1	2	3	3	2	5	1
11	शिप्रापथ	110	121	128	1	2	4	6	13	24	2	3	2
12.	सांगानेर सदर	63	76	97	4	2	4	0	0	0	4	1	4
	कुल योग	**1271**	**1508**	**1544**	**14**	**16**	**18**	**35**	**47**	**84**	**18**	**20**	**19**
	तीनों जिलों का कुल योग	**2729**	**3272**	**3530**	**47**	**46**	**59**	**56**	**74**	**152**	**56**	**57**	**58**

सुमेरपुर के भीमगोडा एनीकट के जल स्तर में वृद्धि हेतु योजना

15. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार वन क्षेत्र में व्यर्थ बह रहे पानी को रोकने के लिए एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सालेश्वर महादेव मंदिर की पहाडियों में भीमगोड़ा एनीकट की मरम्मत कर ऊंचा उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वन क्षेत्रों में व्यर्थ बहते पानी को रोकने हेतु एनीकट एवं अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण बजट की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सालेश्वर महादेव स्थित भीमगोडा एनीकट वन विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है। यह एनीकट वन क्षेत्र के बाहर है। इस एनीकट की मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव वन विभाग में विचाराधीन नहीं है। यदि उक्त एनीकट की मरम्मत या उसकी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जाता है, तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

16. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा घोषित अकालग्रस्त जिले कौन-कौन से हैं तथा उक्त अकालग्रस्त जिलों में अब तक क्या-क्या कार्य कराये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को अकाल राहत कार्यो के लिए केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई व राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? सरकार द्वारा उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई व कितनी शेष रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र ही अकाल राहत कार्य शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अकाल राहत के तहत प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(4) क्या सरकार अकालग्रस्त जिलों में चारा, पानी इत्यादि की व्यवस्था ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सं. 2063 में अभावग्रस्त घोषित जिले तथा उनमें कराये गये कार्यों की संख्या सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा सी आर एफ से वितीय वर्ष के अनुसार राशि प्राप्त होती है। 1.4.2006 को प्रारम्भिक शेष 410.98 करोड़ रुपये था वर्ष 2006-07 में केन्द्र से कुल 413.65 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार का अंशदान 137.88 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त केन्द्र से एन.सी.सी.एफ के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से अब तक 1059.95 करोड़ रुपये राशि जिला कलक्टरों को आबंटित की गई है। दिसम्बर, 2006 तक 502.66 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। आबंटन एवं व्यय का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2 से 3)

(3) जी हां। अकाल राहत कार्य दिनांक 11.1.2007 से शुरू कर दिये गये है। अकालग्रस्त जिलों को आबंटित राशि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-3)

(4) अकालग्रस्त जिलों में अनुदानित दर पर चारा वितरण करने हेतु 431 चारा डिपो स्वीकृत किये जा चुके हैं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में अभावग्रस्त गांवों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है वहां पेयजल परिवहन द्वारा व्यवस्था करने हेतु जिला कलक्टर्स को अधिकृत कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में जल संरक्षण हेतु स्वीकृत योजनाएं

17. **श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बाड़मेर का जल संरक्षण के दृष्टिकोण से टोपोग्राफीकल सेटेलाइट सर्वे करवाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सर्वे के अनुसार वर्षा के जल का प्रवाह पंचायत समिति सिवाना के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र का बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है?

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(3) क्या यह सही है कि जल ग्रहण योजना उन सभी क्षेत्रों में जहां जल संरक्षण के अधिक अवसर हैं, में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजनाएं पंचायत समिति सिवाना में कम स्वीकृत किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिले की वर्ष वार स्वीकृत जल ग्रहण योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जल ग्रहण की योजनाएं अब सर्वे को ध्यान में रखकर स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर जोधपुर से सेटेलाइट सर्वे कराया गया है।

(2) जी हां।

(3) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत पंचायत समितिवार जल संग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

पंचायत समिति सिवाना में कम योजनाएं स्वीकृत करने का कारण राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(4) जिले की वर्षवार स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	भारत सरकार का आदेश क्रमांक	स्वीकृत परियोजनाएं
1999-2000	11039/1/2000 दि. 24.3.2000	32
2000-01	16013/19/97 दि. 6.9.2000	32
2001-02	16013/19/97 दि. 26.12.01	27
2002-03	एस-17022/3/02 डीडीपी/16 दि. 20.6.2002	47
2003-04	एस-17022/2/2003/डीडीपी(23) दि. 31.7.2003	47
2004-05	एस-17022/4/04 डीडीपी(45) दि.1.11.2004	50
2005-06	एस 17022/2/05 डीडीपी (28) दि. 1.8.2005	66
2006-07	एस-17022/3/06 दि. 28.9.2006	74

(5) भारत सरकार से सम्बन्धित है।

अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी

18. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुप्रति योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आर.ए.एस./आई.ए.एस. में कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो प्रति छात्र कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 में इस योजना हेतु कितना बजट आबंटित किया गया व कितना व्यय किया गया?

(3) वर्ष 2006-07 में कितने छात्रों को इस योजना से लाभान्वित किया गया? लाभान्वित छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो, आई.ए.एस. परीक्षा की कोचिंग हेतु 1.00 लाख रुपये एवं आर.ए.एस. कोचिंग हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रति छात्र दिये जाने का प्रावधान है। राशि वितरण का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2006-07 में योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु 27.30 लाख रुपये एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु रुपये 20.00 लाख कुल 47.30 लाख रुपये का बजट आबंटन किया गया है तथा अब तक रुपये 25.30 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(3) वर्ष 2006-07 में इस योजना से 85 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में अवैध खनन

19. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में अवैध खनन की

(श्री नवरतन राजोरिया)

कितनी शिकायतें कहां-कहां से व किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई और किस-किस व्यक्ति को अवैध खनन में लिप्त पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के डूंगरी कलां में लम्बे समय से अवैध खनन की शिकायतें किये जाने के बाद भी अवैध खनन बंद नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? अब कब तक उक्त गांव में अवैध खनन बंद कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 3 वर्षों में अवैध खनन की 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें कहां-कहां व किस-किस व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त हुई उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों के आधार पर जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित है। अवैध खनन का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(3) जी नहीं। क्षेत्र डूंगरी कलां में अवैध खनन का कोई मामला नहीं है। इस क्षेत्र में स्वीकृत 8 खनन पट्टे खनिज चेता पत्थर के वर्ष 1994 से प्रभावशील हैं। इनमें होने वाले खनन कार्य/ब्लास्टिंग तथा क्षेत्र में स्थापित क्रेशर चलने से ग्राम सरपंच, महन्त हीरापुरी बाबा तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा रूष्ठ/आपत्ति कर इन पर रोक लगाने हेतु शिकायत की है। जिन पर ब्लास्टिंग एवं खनन कार्य पर रोक खान विभाग एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर द्वारा लगाई गई, जो वर्तमान में प्रभावशील है। इसके विरुद्ध पट्टाधारियों द्वारा पृथक-पृथक वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.खं.) क्रम-2 जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2006 को यथास्थिति करने के आदेश पारित किये हुए हैं। प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अवैध खनन नहीं होने से कोई अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लूणकरणसर खेल स्टेडियम का उन्नयन

1. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2007 के मध्य खेल मैदानों/स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो किस योजना में, कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर में खेल स्टेडियम हेतु स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य करवाया गया? यदि हां, तो कब, कितनी भूमि पर व कितनी लागत से? वर्तमान में उक्त खेल स्टेडियम में खिलाडियों को किस-किस खेल हेतु क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त खेल स्टेडियम की दशा सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए नए खेल मैदान व स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य में 1.1.2004 से 31.1.2007 के मध्य खेल मैदानों/स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया। परन्तु अकाल राहत राशि एवं सांसद कोटे से 5 लाख रुपये की लागत से खेल मैदान के कार्य कराये गये हैं। इसमें बास्केटबाल, कबड्डी, फुटबाल, बालीबॉल खेलों की सुविधा है।

(3) जी हां। प्रत्येक सम्भाग स्तर एवं जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से स्टेडियमों का निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, जयपुर

दिनांक 1.1.2004 से 31.1.2007 के मध्य खेल मैदानों/स्टेडियमों के निर्माण की सूची

स्थान का नाम	योजना का नाम	दी गई राशि का विवरण (राशि लाख रु. में)
नागौर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	33.63
कुचामन सिटी	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	10.86
कोटा	तरणताल (निर्मित)	12.00 (भारत सरकार)
झालावाड़	स्टेडियम काम्प्लेक्स (निर्माणाधीन)	197.00
		23.00 (भारत सरकार)
जोधपुर	पुराना स्टेडियम (विकास कार्य)	50.00
	बरकतउल्लाह स्टेडियम (विकास कार्य)	60.00
जैसलमेर	स्टेडियम (विकास कार्य)	11.14
उदयपुर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	25.00
सीकर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
चूरू	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
बारां	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
धौलपुर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
श्रीगंगानगर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
कामां, भरतपुर	स्टेडियम (निर्माणाधीन)	16.00
जयपुर	इण्डोर स्टेडियम	450.00
	हाकी एस्ट्रोटर्फ	334.00
	सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक	129.00
	आल वेदर स्वीमिंग पूल (निर्माणाधीन)	120.00
	साइकिल वेलोड्रम पेवेलियन (निर्माणाधीन)	25.00
	खेल छात्रावास (बालक/बालिका) (निर्माणाधीन	45.00

राष्ट्रमण्डल खेल प्रतियोगिता 2010 में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन/प्रशिक्षण हेतु कार्य-योजना

2. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन उपरान्त खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खिलाड़ियों को सरकार द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक राज्य के किन-किन खिलाड़ियों को कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु किस आधार पर उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो अब तक किन-किन को उक्त पुरस्कार प्रदान किया गया?

(5) नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्र मण्डल खेल प्रतियोगिता, 2010 हेतु राज्य के खिलाडियों के प्रशिक्षण हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार विभिन्न खेलों के उत्थान हेतु कोच (प्रशिक्षक) नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सहायता की निम्नांकित योजनाएं वर्तमान में विद्यमान है। खिलाड़ी की उपलब्ध के अनुसार ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1. ''खेल रत्न'' पुरस्कार
2. महाराणा प्रताप पुरस्कार
3. नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि आबंटन
4. भू-खण्ड आबंटन
5. राजस्थान खेल अनुदान नियमों के तहत नकद पुरस्कार योजना

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

6. राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण, उपकरण आदि हेतु विशेष सहायता

7. राजकीय नौकरी में आरक्षण

(2) राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खिलाडियों को राशि बजट की उपलब्धता एवं क्रीड़ा सहायता अनुदान नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(3) सरकार द्वारा अप्रैल, 2004 से अब तक खिलाडियों को दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्ष 1995-96 में श्री लिम्बाराम अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पियन तीरन्दाज को ''खेल रत्न'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(5) इस खेल प्रतियोगिता के लिए खिलाडियों को दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से योग्य खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(6) जी हां। प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(राशि का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर के खनिज अभियन्ता द्वारा अवैध खनन/चोरी के दर्ज प्रकरण

3. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता अजमेर द्वारा अवैध खनन एवं चोरी के संबंध में एफ.आई.आर. नं. 178/04 दिनांक 16 जून, 2004 को दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में राशि वसूल करने हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन से व कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि खनि अभियंता, अजमेर द्वारा दिनांक 16.6.2004 को अवैध खनन एवं चोरी के संबंध में थाना मांगलियावास में जो

(खनिज मंत्री)

एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है उसका नम्बर 178/04 नहीं होकर 108/04 है। एफ.आई.आर. नं. 108/04 निकट ग्राम गोली अलीपुर तहसील पीसांगन जिला अजमेर में खनिज वोलेस्टोनाइट के अवैध खनन के विरुद्ध निम्न 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है :-

1.	श्री राजू मूण्दडा	7.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
2.	श्री शांति लाल जैन	8.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल
3.	श्री सुदर्शन सिंह रावत	9.	श्री कमलकांत मंत्री
4.	श्री मोहन लाल सिन्धी	10.	श्री ज्ञानचन्द
5.	श्री गौतम कुमार	11.	श्री सुनील गुर्जर
6.	श्री अजय मूण्दडा	12.	महावीर विनायका

(2) जी हां। प्रकरण में राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

दौसा जिले में स्वीकृत खनन लीज

4. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नयी खनिज नीति बनाने का विचार रखती है?

(2) जिला दौसा में मेजर व माइनर खनिज पट्टे कहां-कहां पर, किस-किस के नाम से, किस-किस खनिज के व कितने-कितने हैक्टेयर के स्वीकृत हैं एवं कितने स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं?

(3) स्वीकृत मेजर माइन्स के क्षेत्रफल में यदि अन्य खनिज उपलब्ध है तो क्या सरकार नई खनिज नीति में ओवरवर्डन के लिए एस.टी.पी. व माइनर माइन्स देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार में नई खनिज नीति के प्रारूप पर विचार हो रहा है।

(2) जिला दौसा में मेजर के 15 खनन पट्टे निकट ग्राम दांतली, कुण्डल, खवारावजी, भांकरी, गिरोटा, कालवान, आदि में स्वीकृत हैं तथा माइनर के 91 खनन पट्टे निकट ग्राम अजरपुरा, कुन्तावास, गिरोटा, रामबांस, कालेडी, भीदारी, कालवान, गोटडी, भीमा, पाली लालखेडी चबूतरी, मंगरखा, रीगसपुरा, खानभांकरी, भेडाली, खुर्द तिरीवाल सवासा आदि में स्वीकृत है, विस्तृत विवरण मय सूची परिशिष्ट–''ए'' संलग्न है तथा वर्तमान में मेजर खनिज के 26 व

(खनिज मंत्री)

माइनर के 23 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(3) नई खनिज नीति विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

वैर में कार्यरत क्रेशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति

5. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में कितने खनिज पट्टे कहां-कहां पर स्वीकृत हैं व कितने स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं?

(2) ग्राम-जसवर व अलीपुर में किस-किस के नाम से कितने-कितने खनन पट्टे स्वीकृत हैं?

(3) उक्त स्वीकृत खनन पट्टों में से कितनों पर सरकार द्वारा क्रेशर लगाने का किस-किस के नाम से स्वीकृति दी हुई है व कितने क्रेशर वर्तमान में कार्यरत हैं?

(4) संचालित क्रेशरों हेतु रॉ-मैटेरियल कहां-कहां से आ रहा है? क्या सरकार द्वारा संचालित क्रेशरों का एसेसमेंट कर लिया गया है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में प्रधान खनिज के 6 व अप्रधान खनिज के 36 खनन पट्टे कुल 42 खनन पट्टे स्वीकृत हैं तथा प्रधान व अप्रधान के तहत 163 आवेदन पत्र खनन पट्टा चाहने हेतु विचाराधीन है।

(2) ग्राम जसवर व अलीपुर में जिन-जिन व्यक्तियों को खनन पट्टे स्वीकृत हैं उनकी सूची परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट ''बी'' पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1986 के अन्तर्गत सभी क्रेशर्स को एसेसमेंट हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। एसेसमेंट से खनिज स्त्रोत की स्थिति क्रेशरवार स्पष्ट हो सकेगी।

परिशिष्ट-ए

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

ग्राम जसवर व अलीपुर में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

क्रमांक	एमएल नम्बर	नाम पट्टाधारी	निकट ग्राम
1.	86/94	श्रीमती उगन्ती मीना	अलीपुर
2.	40/94	श्री महेश चन्द शर्मा	अलीपुर
3.	62/95	श्री महेश चन्द शर्मा	अलीपुर
4.	85/94	श्री बनवारी लाल मीना	अलीपुर
5.	84/94	मै. गोवर्धन स्टोन क्रेशर	अलीपुर
6.	102/96	श्रीमती चमेली देवी	अलीपुर
7.	103/96	श्रीमती चमेली देवी	अलीपुर
8.	270/02	श्रीमती सुधा गुप्ता	जसवर
9.	269/02	श्रीमती सुधा गुप्ता	जसवर
10.	83/94	मै. गोवर्धन स्टोन क्रेशर	जसवर
11.	362/02	त्रिलोक सिंह	जसवर
12.	363/02	त्रिलोक सिंह	जसवर
13.	361/02	श्रीमती सविता मीना	जसवर
14.	82/94	श्री बाबूलाल मीना	अलीपुर

परिशिष्ट-बी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर
तहसील वैर में प्रभावित क्रेशरों की सूची

क्रमांक	नाम क्रेशर यूनिट	स्थान
1.	सर्वश्री गनेश स्टोन क्रेशर	कोटकी, भुसावर
2.	सर्वश्री सरस्वती स्टोन क्रेशर	कारवान, भुसावर
3.	सर्वश्री हर्ष स्टोन क्रेशर	कारवान, भुसावर
4.	सर्वश्री भवानी स्टोन क्रेशर	कारवान, भुसावर
5.	सर्वश्री बालाजी स्टोन क्रेशर	कारवान, भुसावर
6.	सर्वश्री मां केलादेवी स्टोन क्रेशर	कारवान, भुसावर
7.	सर्वश्री जयबजरंग बली स्टोन क्रेशर	घाटरी
8.	सर्वश्री शिवशक्ति स्टोन क्रेशर	कारवान
9.	सर्वश्री मधुकोन कन्स्ट. कम्पनी	घाटरी
10.	सर्वश्री गोवर्धन स्टोन, क्रेशर	अलीपुर
11.	सर्वश्री बालाजी ग्रिट उद्योग	अलीपुर
12.	सर्वश्री मित्तल ग्रिट उद्योग	अलीपुर
13.	सर्वश्री हनुमान स्टोन क्रेशर	गोठरा
14.	सर्वश्री बी.के. स्टोन, क्रेशर	गोठरा
15.	सर्वश्री धाकड ग्रिट उद्योग	गोठरा
16.	सर्वश्री निर्माण स्टोन क्रेशर	घाटरी
17.	सर्वश्री भगवती स्टोन क्रेशर	घाटरी

अतारांकित प्रश्न संख्या-6

(स्थगित)

सिरोही जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण

7. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के पुलिस थानों में वर्ष 2006 व 2007 में चोरी व नकबजनी के कितने मुकदमें दर्ज हुए एवं कितने मामलों में चोरों को गिरफ्तार किया गया एवं माल बरामद किया गया? प्रत्येक थाने का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस की उदासीनता के संबंध में क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) वर्ष 2006 में चोरी के 130 मुकदमें व नकबजनी के 95 मुकदमें दर्ज हुए। इसी प्रकार वर्ष 2007 में चोरी के 15 व नकबजनी के 6 मुकदमें दर्ज हुए।

वर्ष 2006 में चोरी के मामलों में 77 अभियुक्तों को न नकबजनी के 42 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2007 में चोरी के मामले में गिरफ्तारी शून्य रही तथा नकबजनी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

वर्ष 2006 में चोरी के मामलों में 12,98,975 रु. का माल बरामद किया गया। नकबजनी के मामलों में यह राशि 1,56,070 रु. रही। इसी प्रकार वर्ष 2007 में चोरी के मामलों में बरामदगी राशि 12000/- रुपये रही व नकबजनी के मामलों में बरामदगी राशि शून्य रही।

वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' वर्ष 2006 के लिए एवं परिशिष्ट ''ब'' वर्ष 2007 के लिए संलग्न है।

(2) वर्ष 2006-07 में घटित ऐसे अपराधों के अनुसंधान में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं पाई गई है। अत: किसी के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ताला (अचरोल) मेले के जातरूओं हेतु आवश्यक सुविधाएं

8. **श्री राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ताला (अचरोल) में शेख बुरहान की दरगाह पर वर्ष में एक बार एक विशाल मेला भरता है जिसमें हिन्दू मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोग भारी संख्या में एकत्रित होते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर भारी संख्या में एकत्रित होने वाले स्त्री/पुरुषों को सुविधाओं के अभाव में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यदि हां, तो क्या सरकार ताला मेले के स्थान पर ढांचागत विकास के लिये राजस्थान शहरी विकास योजना के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जहां भी मेला स्थल पर भारी संख्या में स्त्री/पुरुष एकत्रित होते हैं। वहां तत्समय आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण कठिनाइयां होने की स्थिति पैदा नहीं हो इसके लिए आयोजनकर्ता द्वारा व्यवस्था की जानी होती है। ताला में मेला के दौरान यातायात एवं ठहरने की ढांचागत व्यवस्था की कठिनाई आती है। आरयूआईडीपी के अधीन जयपुर शहर में ही विकास कार्य करवाया जा रहा है। ताला में इसके अधीन कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है।

गंगापुर थाना सिटी में दर्ज प्रकरण संख्या-948 पर कार्यवाही

9. **श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-माफिया गंगापुरसिटी (जिला सवाई माधोपुर) में भारी सक्रिय हो रहे हैं और जे.सी.बी. आदि मशीनों से रात के वक्त कब्जाशुदा जमीनों की बाउण्ड्री एवं रिहायशी मकानों आदि को ध्वस्त कर सामान लूटकर कब्जा जमा रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि इसी क्रम में एक एफ.आई.आर क्रमांक 948 दिनांक 10 दिसम्बर, 2006 को थाना गंगापुरसिटी में दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। गंगापुरसिटी में किसी व्यक्ति की कब्जाशुदा भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने की एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) इसी क्रम में दिनांक 10.12.2006 को श्री द्वारका प्रसाद उर्फ काका खन्ना पुत्र राधेश्याम महाजन निवासी संजय कालोनी, गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम मिर्जापुर रोड पर हरिजन मौहल्ले के पास खसरा नं. 537 में से तीन भूखण्ड अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम दिनांक 30.10.1991 को 2 लाख 33 हजार रुपये में क्रय की थी। उन भूखण्डों में श्री हीरालाल जाटव मय जे.सी.बी. मशीन, ट्रेक्टर ट्रोली व 50 आदमी लेकर आया एवं पाटोर में रखे सामान को ट्रोली में भर लिया एवं बाउण्ड्री वाल को तहस-नहस कर दिया आदि पर मु.नं. 948/06 थाना गंगापुर सिटी में पंजिबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। तफ्तीश से मुलजिमान पृथ्वीसिंह, केदारसिंह, कानसिंह, उम्मेद मीणा, नाथूलाल मीणा के विरुद्ध धारा 143, 447, 427, 379 भा.द.सं. प्रमाणित पाया गया। जिनमें से मुलजिम केदारसिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष मुलजिमानों की गिरफ्तारी हेतु भरसक प्रयास जारी है।

उपद्रव/आपदा नियंत्रण हेतु सेना तैनाती के मानदण्ड

10. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य में उपद्रव नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन हेतु कब-कब किन स्थानों पर कितने समय के लिए सेना की सहायता ली गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सहायता हेतु कब-कब कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण करने हेतु सेना की सहायता लेने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य में उपद्रव नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन हेतु ली गई सहायता का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) उक्त सहायता हेतु की गई राशि का भुगतान का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' प र संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने हेतु सेना की सहायता लेने के लिए The Code of Criminal procedure Code 1973 Chapter X "maintence of public order and tranquility section 130 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को अधिकार प्राप्त है।

साथ ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा Instruction on Aid to Civil Authorities by Armed Forces 1997 (गोपनीय) के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा सेना को भी निर्देश जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	दिनांक कब से कब तक	वर्ष
1.	भीलवाड़ा	16.8.2004 से 19.8.2004	2004
2.	बीकानेर	7.12.2004 से 9.12.2004	2004
3.	श्रीगंगानगर	28.10.2004 से 30.10.2004	2004
		16.10.2006 से 19.10.2006	2006
4.	बाड़मेर	22.8.2006 से 26.8.2006 व 31.8.2006	2006
5.	पाली	19.8.2006 से 21.8.2006	2006
6.	सिरोही	20.8.2006 से 23.8.2006	2006
7.	जैसलमेर	22.8.2006 से 23.8.2006	2006
8.	बूंदी	2.9.2006 से 3.9.2006	2006
9.	बारां	5.7.2005 से 6.7.2005	2005
10.	बांसवाड़ा	21.8.2006 से 24.8.2006 7.9.2006 से 9.9.2006	2006
11.	टोंक	माह जुलाई-अगस्त	2004
12.	उदयपुर	21.8.2006	2006
13.	कोटा	1, 2, 3, 4 सितम्बर, 2006	2006
14.	झालावाड़	24.8.2004	2004
		2.9.2006	2006

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम जिला	भुगतान की गयी राशि मय दिनांक
1.	भीलवाडा	शून्य
2.	बीकानेर	शून्य
3.	श्रीगंगानगर	शून्य
4.	बाड़मेर	शून्य
5.	पाली	शून्य
6.	सिरोही	शून्य
7.	जैसलमेर	शून्य
8.	बूंदी	शून्य
9.	बारां	शून्य
10.	बांसवाड़ा	शून्य
11.	टोंक	शून्य
12.	उदयपुर	शून्य
13.	कोटा	शून्य
14.	झालावाड़	शून्य

गढ़ी थाना (बागीदौरा) में दर्ज आगजनी प्रकरण

11. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14 जनवरी, 2007 को विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के ग्राम अरथुना में आगजनी की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भंवरसिंह सी.आई. गढ़ी द्वारा दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एफ.आई.आर. में ग्राम पंचायत नवाघरा के सरपंच श्री कन्हैयालाल ने ए.एस.आई. भगवतसिंह पर केरोसीन तेल से भरा

(श्री जीतमल खांट)

डिब्बा उडेला और पीछे से माचिस जलाकर आग लगाना बताया गया है? यदि हां, तो भगवतसिंह ए.एस.आई. का कितना प्रतिशत शरीर जला एवं कितने प्रतिशत पहने हुए कपड़े जले? मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एफ.आई.आर. में श्री कन्हैयालाल सरपंच ग्राम पंचायत नवाघरा को ग्राम अरथुना की आगजनी की घटना में शामिल होना बताया गया है? लेकिन प्रस्तुत साक्ष्यों में वास्तव में वह अरथुना ग्राम से 10 कि.मी. की दूरी पर ग्राम बिजलिया घाणेवा ग्राम पंचायत ओडवाड़ा में प्रातः 9.00 बजे से 2.00 तक सामाजिक सोसायटी नाम की संस्था की अध्यक्षता कर रहा था? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर ए.एस.आई. भगवतसिंह पर केरोसीन डालने के आरोप में आरोपित किया गया? आरोपों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा ग्राम अरथुना में आगजनी काण्ड की जांच सी.आई.डी. सी.बी. से कराने हेतु दिनांक 19 जनवरी, 2007 को मुख्य मंत्री महोदया को पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो उस पत्र की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।

(2) यह सही है कि ग्राम पंचायत नवाघरा के सरपंच श्री कन्हैया लाल ने ए.एस.आई. भगवत सिंह पर केरोसीन पीछे से छीड़क कर माचिस से अशोक मोगिया ने आग लगा दी। जिसमें ए.एस.आई. द्वारा पहने जाकिट में आग लग गई तो ए.एस.आई. द्वारा तुरन्त जाकिट निकाल फेंक दिया जो जाकिट पूर्ण रूप से जल गया। मगर ए.एस.आई. जलने से बच गया तथा भीड़ द्वारा पथराव से ए.एस.आई. को चोटें आई, जिसका चोट प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

(3) यह सही है कि एफ.आई.आर. में श्री कन्हैयालाल सरपंच ग्राम पंचायत नवाघरा ग्राम अरथुना की आगजनी की घटना में शामिल होना पाया है, जिसे घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार गढ़ी एवं पारेडा बस स्टेण्ड पर जलाये गये मकान के मालिक व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देखा है। श्री कन्हैयालाल सरपंच ने ग्राम पंचायत ओडवाड़ा में सामाजिक सोसायटी नामक संस्था की अध्यक्षता घटना के समय करना बताया

(गृह मंत्री)

है जो असत्य है। श्री कन्हैयालाल ने स्वयं को अपराध से बचाने के लिए उक्त मिथ्या तथ्य प्रकट किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है। पत्र के सम्बन्ध में अग्रिम अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) से कराये जाने हेतु उप महानिरीक्षक (सतर्कता एवं सुरक्षा) द्वारा अति महानिदेशक (पुलिस), अपराध शाखा को लिखा गया व पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

रेगिस्तान प्रसार रोक हेतु कार्य-योजना

12. **श्री बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के पास कुल कितनी वन भूमि है और उससे कितनी आय होती है?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए मरूस्थल के 12 जिलों में विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के माध्यम से रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु टिब्बा स्थिरीकरण, शेल्टर बैल्ट वृक्षारोपण (नहर एवं सड़क किनारे), ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण, परिभ्रांषित वनों का पुनरूद्धार, चरागाह विकास, कृषि वानिकी आदि कार्य कराये गये हैं। इन योजनाओं के माध्यम से अब तक 6,89,207 हैक्टर वृक्षारोपण कार्य कराये गये हैं।

(2) राज्य का कुल वन क्षेत्र 32,549.64 वर्ग कि.मी. है। विभाग को तेंदुपत्ता योजना, विभागीय कार्ययोजना आदि के माध्यम से वर्ष 2004-05 में 38.63 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2005-06 में 39.46 करोड़ रुपयों की प्रत्यक्ष आय हुई। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज तथा घास इत्यादि स्थानीय ग्रामवासियों को नि:शुल्क दी जाती है।

टोडाभीम में अवैध खनन

13. **श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के वन क्षेत्र में

(श्री बत्तीलाल मीणा)

अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अवैध खनन को रोकने व इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। यदा-कदा अवैध खनन के प्रकरण सामने आने पर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम पिछले 3 वर्षों में अवैध खनन के 66 प्रकरण दर्ज कर 1,52,700/- रुपये का मुआवजा वसूल किया गया है।

(2) अवैध खनन न होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी की लिप्तता का प्रकरण नहीं बनता है।

दुग्ध पदार्थों में अपमिश्रण/मिलावट की रोकथाम

14. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में दुग्ध उत्पादकों और डेयरियों द्वारा फेट बढ़ाने के लिए सिन्थेटिक व यूरिया आदि का मिश्रण किया जाता है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में दूध में मिलावट के मामलों में केस रजिस्टर्ड कर कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो गत 3 वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दुग्ध उत्पादकों और डेयरियों द्वारा फेट बढ़ाने के लिए सिन्थेटिक व यूरिया के मिश्रण अथवा प्रयोग का कोई मामला आज दिवस तक प्रकाश में नहीं आया है। जांच हेतु लिये गये नमूनों में एक भी नमूना सिंथेटिक व यूरिया के प्रयोग का नहीं पाया गया है।

(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत जांच हेतु लिये गये नमूनों में जांच के

बाद मिलावटी पाये जाने पर अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्यायालय में चालान पेश किया जाकर दोषी को दण्ड दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाती हैं। विगत तीन वर्ष में दूध के लिये गये नमूनों का विवरण निम्न है :-

वर्ष	लिये गये नमूने	अपमिश्रित पाये गये नमूने
2004	145	51
2005	168	35
2006	125	40

बाड़मेर जिले में अचयनित परिवारों हेतु आबंटित गेहूं की मात्रा

15. **श्री टीकम चन्द कांत** (सिवाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ए.पी.एल. गेहूं की मांग अनुसार आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में गत वर्ष से अब तक कितना गेहूं प्रति माह आबंटित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि गेहूं का आबंटन मांग के अनुसार नहीं हुआ? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल. परिवारों के लिए केन्द्र से राज्य की मांग के अनुसार गेहूं का आबंटन नहीं हो रहा है।

(2) जी हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं व अन्य खाद्यान्न केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आबंटित किए जाते हैं। राज्य को गेहूं का आबंटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने समय-समय पर केंद्र सरकार को अनुरोध किया है।

आस्था योजना की क्रियान्विति हेतु स्वीकृत राशि

16. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 के लिए स्वयं का रोजगार आरम्भ करने हेतु विश्वास स्वरोजगार सहायता योजना

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तथा नि:शक्त निर्धन परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली समान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए आस्था योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इनके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों को लाभान्वित किया गया तथा लाभान्वित लोगों को कितनी-कितनी राशि, किस उद्देश्य के लिए दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 के लिए स्वयं का रोजगार आरम्भ करने हेतु ''विस्वास'' स्वरोजगार हेतु सहायता योजना तथा ऐसे परिवार, जिनमें दो या दो से अधिक विकलांग सदस्य हैं, को बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली समान सुविधा उपलब्ध कराई जाने के लिए ''आस्था'' योजना लागू की गई है।

उक्त दोनों योजनाओं में किया गया बजट प्रावधान एवं व्यय निम्न प्रकार है :-

वर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय
2005-06	विस्वास	77.00	43.86
2006-07		50.00	25.49
2005-06	आस्था	1.00	0.14
2006-07		4.00	0.31

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किये गये व्यक्तियों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट ''अ'' (विस्वास) एवं ''ब'' (आस्था) पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्वजनों द्वारा तिरस्कृत वृद्धजनों के संरक्षण हेतु योजना

17. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्ध लोगों एवं विधवा महिलाओं के लिये कोई पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वृद्धजनों के पुत्र की उम्र 18 वर्ष होने पर उक्त पेंशन बन्द कर दी जाती है? यदि हां, तो ऐसे वृद्धजन जिनके 18 वर्ष से अधिक की उम्र के पुत्रों द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जाता हो, को सरकार द्वारा पेंशन दिये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निराश्रित वृद्ध लोगों एवं विधवा महिलाओं को राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन दी जाती है। इन पेंशन योजना के नियमों की प्रति संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वृद्धजनों के परिवार का कोई सदस्य 20 वर्ष या अधिक की आयु का होने पर नियमानुसार पेंशन देय नहीं है परन्तु अगर कोई वृद्ध 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वह बी.पी.एल. परिवार का सदस्य है तो उसे पेंशन देय है। ऐसे वृद्धजन जिनके 20 वर्ष से अधिक की उम्र के पुत्र द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जाता हो को सरकार द्वारा पेंशन दिये जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले को सम्बल ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

18. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में राज्य के किन-किन जिलों को कितना-कितना धन आबंटित किया गया और प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांव इस योजना में चयनित हैं?

(2) सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले के

(श्री संयम लोढ़ा)

चयनित गांवों को वर्ष 2006-07 में कितना-कितना धन कब-कब किस-किस कार्य के लिये आबंटित किया गया? प्रत्येक गांव का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में सिरोही जिले को वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में कितना-कितना धन आबंटित किया गया एवं उक्त अवधि में झालावाड़ व बारां जिले को कितना धन आबंटित किया गया?

उत्तर

(1) सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में राज्य में जिलों को आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर एवं इस योजना में चयनित गांवों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 2006-07 में सिरोही जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण राशि आबंटित नहीं की गई है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 में निम्न प्रकार धन आबंटित किया गया है :-

जिला-सिरोही

वर्ष	आबंटन (लाखों में)
2004-05	7.50
2005-06	4.00
2006-07	—

जिला-झालावाड़

वर्ष	आबंटन (लाखों में)
2004-05	—
2005-06	1.45
2006-07	—

(समाज कल्याण मंत्री)

जिला-बारां

वर्ष	आबंटन (लाखों में)
2004-05	2.91
2005-06	5.75
2006-07	50.00

परिशिष्ट "अ"

सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 2006-07 में आवंटित राशि का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	बारां	50.00
2.	करौली	23.00
3.	सवाईमाधोपुर	24.50
4.	जोधपुर	2.00
5.	पाली	2.00
6.	उदयपुर	1.72
7.	भीलवाड़ा	2.00
8.	दौसा	7.25
9.	धौलपुर	1.72
10.	टोंक	3.00
11.	गंगानगर	4.56
12.	जैसलमेर	3.00
13.	हनुमानगढ़	4.00
	कुल योग :-	**128.75**

परिशिष्ट "ब"

राज्य में सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जिलेवार चयनित ग्रामों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	सम्बल ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	83
2.	अलवर	81
3.	भरतपुर	84
4.	दौसा	81
5.	धौलपुर	61
6.	सीकर	11
7.	झुंझनूं	16
8.	बीकानेर	69
9.	श्रीगंगानगर	859
10.	चूरू	64
11.	हनुमानगढ़	336
12.	अजमेर	13
13.	टोंक	57
14.	भीलवाड़ा	36
15.	नागौर	30
16.	कोटा	39
17.	बारां	44
18.	बून्दी	31
19.	झालावाड़	54

1	2	3
20.	सवाईमाधोपुर	66
21.	करौली	59
22.	उदयपुर	6
23.	डूंगरपुर	2
24.	राजसमन्द	11
25.	बांसवाड़ा	4
26.	चित्तौड़गढ़	62
27.	जोधपुर	17
28.	जैसलमेर	22
29.	बाड़मेर	91
30.	सिरोही	43
31.	जालौर	14
32.	पाली	17
	योग :-	**2463**

मुस्लिम/ए्इसाई युवकों द्वारा दलित युवती से विवाह पर देय प्रोत्साहन राशि

19. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोई मुस्लिम या इसाई पुरुष, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है? यदि हां, तो कितनी व क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में वृद्धि

20. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में दी जा रही सुविधाओं में बढोतरी करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो किस मद में क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजस्थान में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.7.2006 को आदेश जारी कर विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर प्रति विद्यार्थी प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि को रुपये 675/- से बढ़ाकर रुपये 725/- किये हैं। जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अतः फिलहाल इसमें और वृद्धि का विचार नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों को विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार की योजना है जिसमें 1.4.2003 से वृद्धि की गई है। पूर्व मैट्रिक विद्यालय स्तर छात्रवृत्ति राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है, जिसमें अभी बढ़ोतरी का विचार नहीं है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 130 नये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर आगामी कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र की जा रही है।

परिशिष्ट- "अ"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, रेजीडेन्सी क्षेत्र, अम्बेडकर मार्ग, जयपुर

क्रमांक–एफ7(2)(579)/राछा/सकवि/05-06/35282 जयपुर, दिनांक 25/7/06

प्रेषक :- **विशिष्ठ शासन सचिव,**

समाज कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :- **निदेशक**

समाज कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

महोदय,

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट सत्र 2006-07 में दी गई घोषणा के अनुसार राजकीय/अनुदानित छात्रावास 1982 के नियम 8(1) एवं अस्वच्द व्यवसायों में कार्यरत परिवारों के बच्चों हेतु छात्रावास संचालन नियम, 1981 के नियम 2(1) के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवास कर रहे छात्र/छात्राओं के लिए भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाओं हेतु दी जाने वाली राशि रुपये 675/- प्रतिमाह प्रति छात्र को बढ़ाकर रुपये 725/- प्रति माह प्रति छात्र शैक्षणिक सत्र 2006-07 में करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। जिसके अनुसार 9.5 माह के लिये (प्रति सत्र) प्रति छात्र रुपये 6887.50 का मदवार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र.सं.	मद	प्रति माह	प्रति सत्र 9.5 माह
1	2	3	4
1.	भोजन, नाशता, विशेष भोजन, ईधन	535	5082.50
2.	स्कूल यूनीफार्म मय सिलाई, जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि	85	807.50
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	26	247.00
4.	चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि धुलाई	20	190.00

1	2	3	4
5.	बिजली-पानी	53	503.50
6.	समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि	6	57.00
	योग -	**725**	**6887.50**

स्कूल यूनीफार्म, गर्म जर्सी, जूते-मौजे, तौलिया हेतु दी जाने वाली राशि 807.50 प्रति छात्र प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी ताकि छात्रों को सत्र के आरम्भ में ही यूनीफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

बढ़ी हुई राशि का उपयोग केवल भोजन व्यवस्था मद में ही किया जा सकेगा। इस मद में बचत रहने पर इस राशि का उपयोग अन्य मदों में निदेशक समाज कल्याण विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा परन्तु किसी भी हालत में कुल व्यय प्रति छात्र प्रति माह 725/- एवं प्रतिवर्ष 6887.50 रुपये से अधिक नहीं होगा। ये आदेश दिनांक 1.7.2006 से प्रभावी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-द्वितीय) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 1545 दिनांक 2.6.2006 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार जारी की गई है।

ह./-

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक–एफ7(2)(579)/राछा/सकवि/05-06/8289 जयपुर, दिनांक 23/2/07

<u>आदेश</u>

इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ 7(2)(579)रा.छा/सकवि/2005-06/35282 दिनांक 25.7.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए बढ़ी हुई राशि का उपयोग केवल भोजन, व्यवस्था मद के स्थान पर पूर्व आदेश में अंकित मदवार वर्गीकरण के अनुसार सभा मदों पर लागू मानी जावें।

ह./-

विशिष्ट शासन सचिव

देसूरी पंचायत समिति (पाली) के प्रधान द्वारा निजी वाहन उपयोग पर व्यय

21. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति प्रधान को कितने दिन सरकारी वाहन उपयोग करने का नियमों में प्रावधान है?

(2) प्रधान देसूरी ने गत दो वर्षों में कितने-कितने दिन व कब-कब और प्रतिदिन कितने किलोमीटर सरकारी वाहन का उपयोग किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रधान द्वारा उक्त वाहन के अतिरिक्त जलग्रहण के प्राइवेट वाहन का कब-कब उपयोग कर उसका भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रधान द्वारा निर्धारित दिवस के अतिरिक्त दिवसों में प्राइवेट वाहन का उपयोग कर किये गये भुगतान की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति के वाहन का उपयोग पंचायत समिति के प्रधान द्वारा एक माह में अधिकतम 10 दिन एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 60 दिवस के उपयोग का प्रावधान है।

(2) प्रधान देसूरी द्वारा गत दो वर्षों में सरकारी वाहन से की गई यात्रा का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) प्रधान देसूरी द्वारा स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों का निरीक्षण एवं निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु प्राइवेट वाहन का उपयोग किया गया प्रधान देसूरी द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों का निरीक्षण हेतु प्राइवेट वाहन का निम्नानुसार उपयोग कर भुगतान किया गया :-

(पंचायती राज मंत्री)

क्र.सं.	दिनांक	दूरी किलोमीटर में
1	2	3
1.	09.02.2006	124 किमी.
2.	10.02.2006	70 किमी.
3.	23.02.2006	72 किमी.
4.	25.02.2006	85 किमी.
5.	04.03.2006	80 किमी.
6.	30.10.2006	70 किमी.
7.	03.11.2006	74 किमी.
8.	04.11.2006	80 किमी.
9.	05.11.2006	70 किमी.
10.	08.11.2006	80 किमी.

(4) प्रकरण की जांच कराई जा रही है जांचोपरान्त उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोटू (नागौर) ग्राम पंचायत में बी.पी.एल. सूची में चयन हेतु लम्बित आवेदन

22. **श्री जयराम जाटव** (खैरथल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत रोटू, तहसील-जायल, जिला-नागौर में बी.पी.एल. के कुल कितने सदस्य हैं? नाम, पता, जाति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत द्वारा गत पांच वर्षों में कब-कब आम सभा

(श्री जयराम जाटव)

बुलाई गई तथा उनमें किन-किन बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया गया? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. सूचियों का पुनरीक्षण करने के आदेश दिये जाने के पश्चात कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत में कोई आवेदन लम्बित है? यदि हां, तो किन-किन का और उन्हें कब तक चयनित कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रोटू के वर्ष 2002 की बीपीएल सूची के अनुसार ग्राम रोटू में 134 व ग्राम अजबपुरा में 16 बीपीएल परिवार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत रोटू में कुल 150 बीपीएल परिवार है। (जिसकी सूची संलग्न है)

(2) गत पांच वर्षों में अब तक 21 ग्राम सभायें हुई। ग्राम पंचायत में बीपीएल से संबंधित ग्राम सभा दिनांक 25.01.2006 को बुलाई गई। जिसमें केवल बीपीएल सर्वे 2002 की आरोही क्रम में जारी प्रोविजनल सूची का अनुमोदन किया गया। ग्राम सभा में किसी भी परिवार का बीपीएल में चयन नहीं किया गया।

(3) हां। पुनरीक्षण आदेश जारी होने के पश्चात पुनरीक्षण हेतु 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनका पुनः सर्वे कर उपखण्ड अधिकारी जायल (प्रथम अपील अधिकारी) कार्यालय में सूचना जमा करवा दी गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

गढ़ी सवाईराम (अलवर) ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

23. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम, पंचायत समिति रेणी, तहसील-राजगढ़, जिला-अलवर में वर्ष 1999 से 2004 तक एनिकट निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी राशि के तथा किस-किस एजेन्सी/ठेकेदार से?

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त अवधि में करवाये गये कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच के नतीजे क्या रहे?

(3) उक्त अनियमितता के लिये कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1999 से 2004 तक सड़क निर्माण/एनिकट निर्माण आदि कुल 124 कार्य रुपये 6,05,803 के करवाये गये, जिनमें कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत है। उक्त कार्यों के विवरण सहित सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) कोई अनियमितता नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का बिन्दु नहीं आता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा के दुर्घटना प्रभावितों को सहायता

24. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में कहां-कहां अग्निकाण्ड व अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाएं हुई तथा इनमें किन-किन लोगों का कितना-कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पीड़ितों में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का मुआवजा/सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अग्नि पीड़ितों को वर्तमान में दी जा रही मुआवजा राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षो में क्रमश: वर्ष 2004 में 117, वर्ष 2005 में 99 तथा वर्ष 2006 में 133 अग्निकाण्ड की घटनाएं हुई, जिनमें व्यक्तिवार हुए नुकसान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1) अग्निकारण्ड के अलावा विधान सभा क्षेत्र में अन्य प्राकृतिक दुर्घटना नहीं हुई है।

(सहायता मंत्री)

(2) उक्त पीड़ितों को सी.आर.एफ. के मापदण्डों के अनुसार दी गयी सहायता का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) राज्य सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को सी.आर.एफ. के नामर्स के अनुसार तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार को दी जा रही इस राशि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है। यदि भारत सरकार द्वारा यह राशि बढ़ाई जाती है तो उसके अनुसार सहायता दी जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान-हरियाणा अन्तरराज्यीय बस समझौता

25. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान एवं हरियाणा के राज्यों के मध्य पूर्व में समझौता कब एवं कितने किमी. एवं कौन-कौन से मार्गों के लिए किया गया था?

(2) कौन-कौन से मार्ग के लिए कितना स्कोप निर्धारित हुआ तथा कितने-कितने परमिट जारी करने हेतु समझौता किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समझौते के बाद यात्री भार बढ़ा है? यदि हां, तो बढ़े हुए यात्री भार को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार नया समझौता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो नया समझौता कब तक कर लिया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के मध्य दिनांक 14.07.1997 को करार सम्पन्न हुआ था जिसमें राजस्थान राज्य के 62873 कि.मी. एवं हरियाणा राज्य में 67579 कि.मी. के लिये 236 मार्गों पर वाहनों के संचालन हेतु समझौता किया गया था। संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जिन मार्गों पर समझौते के तहत निर्धारित स्कोप तथा जितने परमिट जारी करने हेतु समझौता किया गया उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(3) समझौता हुये लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। अतः यात्री भार बढ़ना स्वभाविक है। नये समझौते हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन की भूमिका महत्वपूर्ण है। निगम का आग्रह है कि हरियाणा राज्य के समझौते से पूर्व उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड,

(यातायात मंत्री)

दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि राज्यों से समझौते के पश्चात ही हरियाणा राज्य से समझौता किये जाने का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यों से समझौता किया जा चुका है। पंजाब व जम्मू कश्मीर राज्यों से समझौते की कार्यवाही चल रही है। तथापि हरियाणा राज्य के कुछ मार्गों पर स्कोप वृद्धिकरण हेतु सप्लीमेन्ट्री समझौता प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 09.01.2007 को हरियाणा राज्य को भेजा गया है परन्तु अभी तक हरियाणा राज्य की सहमति अपेक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरीय बस सेवा जयपुर के मार्ग संख्या-21 के निर्धारित मार्ग पर बस संचालन

26. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 7 मार्च, 2006 को एक आदेश जारी कर जयपुर शहर के मिनी बस रुट संख्या-21 के मार्ग में परिवर्तन कर उक्त बस को क्वीन्स रोड से वैशाली सर्किल होते हुए आम्रपाली सर्किल तक का डायवर्शन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्तानुसार बसों का संचालन हो रहा है? यदि नहीं, तो आदेश जारी होने के बावजूद उनकी पालना नहीं करवाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार संशोधित आदेशानुसार बस का वास्तविक रूट से संचालन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 07.03.2006 के द्वारा मार्ग संख्या 21 का डायवर्शन स्वीकृत किया गया है। मार्ग पर वाहनों का संचालन हो रहा है। संचालन नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस कार्यालय द्वारा उक्त मार्ग पर वाहनों के संचालन हेतु उड़नदस्तों को पाबन्द कराया हुआ है, जो पूरी निगरानी में वाहनों के संचालन की देखरेख कर रहे हैं, जो वाहनें उक्त मार्ग से संचालित नहीं होती हैं, उनके उड़नदस्तों द्वारा अभियोग बनाये गये हैं।

(2) जी हां। विभाग संशोधित मार्ग पर मिनी बसों का संचालन करा रहा है।

रोजगार गारण्टी योजना के तहत जिला सिरोही को आबंटित राशि

27. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रोजगार गारंटी योजना में सिरोही जिले के किस-किस ब्लाक को वर्ष 2006-07 में अब तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी राशि जाना प्रस्तावित है?

(2) उक्त योजना में पक्के निर्माण कार्य के लिये वर्ष 2006-07 में किस-किस ब्लाक को कितना-कितना धन दिया गया ? ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्ष 2006-07 के कितनी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए एवं कितने बाकी हैं? ग्राम, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन ब्लाकों में किस-किस ग्राम पंचायत को पक्के निर्माण के लिये कितनी-कितनी राशि वर्ष 2006-07 में दी गई तथा किस-किस पंचायत द्वारा उक्त योजना में कौन-कौनसा पक्का निर्माण करवाया गया एवं कौन-कौन से पक्के कार्य प्रगति पर हैं?

(4) उक्त सभी पक्के निर्माण वर्ष 2006-07 के लिये बनाए गए वार्षिक एक्शन प्लान में किस क्रम पर दर्शित हैं? प्रत्येक कार्य का प्लान क्रम सहित विवरण ब्लाकवार, पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(5) रोजगार गारंटी में चलाए जा रहे कार्यों का जिला समन्वयक ने वर्ष 2006-07 में कब-कब निरीक्षण किया? प्रत्येक निरीक्षण का विवरण मय टिप्पणी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला सिरोही में वर्ष 2006-07 में ब्लाकवार आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है-

1.	पं.सं. सिरोही	-	625.00 लाख
2.	पं.सं. शिवगंज	-	515.00 लाख
3.	पं.सं. पिण्डवाड़ा	-	830.00 लाख
4.	पं.सं. रेवदर	-	800.00 लाख
5.	पं.सं. आबूरोड	-	795.00 लाख

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजनान्तर्गत सिरोही जिले को वर्ष 2006-07 में लगभग कुल रुपये 5196.00 लाख की राशि दिये जाने का प्रस्ताव है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अनुमत स्वीकृत पक्के कार्यों के लिये वर्ष 2006-07 में मांग के अनुरुप हस्तान्तरित राशि, राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं तथा बकाया राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कार्यवार राशि का हस्तान्तरण नहीं किया जाता है, बल्कि स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध मांग के अनुसार राशि ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्तान्तरण की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2006-2007 में कराये गये पक्के कार्य एवं कार्यरत पक्के कार्यों का ब्लाकवार/ग्राम पंचायतवार प्रगति का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) पक्के निर्माण कार्यों का वार्षिक एक्शन प्लान में जिस नम्बर पर दर्ज है, की सूचना परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों का जिला समन्वयक ने वर्ष 2006-07 में किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत संचालित शिविर

28. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह जनवरी, 2007 में चलाए गए ग्राम सम्पर्क अभियान में सिरोही जिले में क्या-क्या काम किए गए प्रत्येक शिविर का अलग-अलग उपलब्धि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी किस-किस दिन इन शिविरों में उपस्थित नहीं रहे और उसके क्या कारण थे? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त शिविरों के कौन-कौनसे कार्य लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जनवरी, 2007 में चलाए गए ग्राम सम्पर्क अभियान में सिरोही जिले में आयोजित शिविरों में सम्पादित कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न है।

(2) ग्राम संपर्क अभियान के दौरान अनुपस्थित रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का पंचायत समितिवार विवरण मय कारण व इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही परिशिष्ट-6 से 10 पर संलग्न है।

(3) उक्त शिविरों में पंचायत समिति शिवगंज के लम्बित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खजूरी में नये पटवारघर का निर्माण करवाये जाने बाबत

मान्यवर,

तहसील नैनवां (बून्दी) के खजूरी हल्के का पटवारघर विद्यालय परिसर में विस्थित है तथा काफी वर्षों से इस पटवारघर में किसी पटवारी के निवास नहीं करने से देखरेख के अभाव में भवन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय खजूरी में छात्रों की अधिकता के कारण मौजूदा विद्यालय भवन अपर्याप्त है। विद्यालय परिसर में स्थित पटवार भवन के कारण छात्रों के अध्ययन में व्यवधान होता है। पटवार भवन विद्यालय को स्थानान्तरित किया जाने पर उसका विद्यालय के लिए अधिक उपयोग होगा। नवीन पटवार भवन का निर्माण आबादी में तथा आबादी के समीप उपलब्ध उपयुक्त राजकीय भूमि में करवाया जा सकता है। ग्राम पंचायत खजूरी द्वारा 5 अगस्त, 2005 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 4 के जर्ये नवीन पटवार भवन निर्माण तक पटवार भवन के लिए ग्राम पंचायत भवन का एक कमरा उपयोग में लिये जाने की इजाजत देने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित है, कि पटवार भवन को विद्यालय में सम्मिलित किए जाने पर ही विद्यालय के आवश्यक कक्षा-कक्षों का निर्माण एक सीध में हो सकेगा। सरपंच ग्राम पंचायत खजूरी ने पत्र दिनांक 22.9.2006 से पटवार घर निर्माण के लिए खसरा संख्या 130 में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना बताया है।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय परिसर में स्थित पटवारघर के एवज में अन्य स्थान पर पटवार घर का निर्माण करवाया जाना तथा मौजूदा पटवार घर को माध्यमिक विद्यालय के लिए स्थानान्तरित किया जाना जनहित में है। पटवारघर विद्यालय को हस्तान्तरित किया जाने के लिए विधायक नैनवां द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को पत्र क्रमांक/दिनांक 1755/9.10.2005 एवं 1713/11.9.2005 लिखकर अनुरोध किया जा चुका है। जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), बून्दी द्वारा पत्र संख्या एफ.14(1) भू.अ./लेखा/04/मुता/8987 दिनांक 13.10.2005 के जर्ये तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पटवारघर के लिए अन्य जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय को उपयोग की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया। खेद है, कि क्षतिग्रस्त पटवारघर की अनुपयोगिता तथा छात्रहित के व्यापक महत्व को ध्यान में रखकर किए गए अनुरोध पर भी जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), बून्दी द्वारा

मामले के महत्व को दृष्टिगत रखकर समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। विधायक ने पत्र क्रमांक 2410 दिनांक 13.4.2006 से सम्भागीय आयुक्त, कोटा को अनुरोध करने पर उन्होंने भी जिला कलक्टर बून्दी को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में पत्र क्रमांक प-()सं.आ./भू.अभि./2006/588 दिनांक 22.4.2006 से सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा ने विधायक को सूचित किया है। किन्तु अभी तक पटवारघर विद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाना चिन्ताजनक स्थिति है।

अत: निवेदन है, कि जनहित के इस महत्वपूर्ण प्रकरण में भूमि अनुपलब्धता की गलत रिपोर्ट करने वाले तथा प्रकरण को लम्बित रखने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा व्यापक महत्व एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखकर क्षतिग्रस्त एवं अनुपयोगी पटवारघर खजूरी विद्यालय को स्थानान्तरित कराने के आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की कृपा कर अनुगृहीत करें।

श्री रामनारायण मीणा
(नैनवां)

किसानों को फसल बीमा का मुआवजा समय पर उपलब्ध कराने हेतु

महोदय,

राज्य सरकार की प्रशासनिक शिथिलता तथा लापरवाही के चलते राज्य के अकालग्रस्त इलाके के अधिकांश सीमान्त एवं लघु कृषकों को फसल बीमा की मुआवजा राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

वर्ष 2005-06 रबी की फसल का मुआवजा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस फसल बीमा हेतु राज्य के 6,70,365 कृषकों जिसमें अधिकांश सीमान्त व लघु कृषक है, ने लगातार अकाल पड़ने के बावजूद 20 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि जमा करा अपनी फसलों का बीमा करवाया। पर्याप्त बारिश न होने से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में 50 से 100 प्रतिशत खराबे का आंकलन किया गया। ब्लाक स्तर से सही समय पर गिरदावरी रिपोर्ट जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राज्य भर से गिरदावरी रिपोर्ट समय पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी तथा केन्द्र सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गई। साथ ही अनुबन्ध के आधार पर सही तरह से गिरदावरी करा एकल श्रृंखला में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं इन्श्योरेन्स कम्पनी के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिससे सम्पूर्ण बीमा

मुआवजा राशि के पेटे राज्य सरकार द्वारा समय पर अपने हिस्से की राशि उपलब्ध न कराने से गरीब किसानों को खराबा होने के बावजूद मुआवजा राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य में खरीफ 2003 से लागू फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार सही समय पर किया जावे, जिससे खराबा उपरान्त फसलों का मुआवजा राशि निर्धारित समयावधि में किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि फसल के वास्तविक उपज का आंकलन हेतु इकाई तहसील के बजाय पंचायत स्तर पर की जावे, जिससे आंकलन की विसंगतियों को दूर कर वास्तविक प्रभावित किसानों को लाभान्वित किया जा सके तथा सरकार द्वारा सीमान्त व लघु कृषकों को फसल बीमा हेतु दी जाने वाली सब्सिडी का अनुपात 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जावे, जिससे गरीबी व लगातार अकाल झेल रहे मजबूर किसानों को राहत प्रदान की जा सके।

डा. चन्द्रशेखर बैद
(तारानगर)

रामगढ़ अभयारण्य में जंगली जानवरों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एनीकटों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

मान्यवर,

यह कि रामगढ़ अभ्यारण्य बून्दी जिले का महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। यह 307.42 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। रामगढ़ अभ्यारण्य राज्यादेश द्वारा 25 वर्ष पूर्व घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य में वन विभाग ने वन अधिकारी प्रथम श्रेणी, वनपाल, सहायक वनपाल, वनरक्षक आदि अनेक कर्मचारी पदस्थापित कर रखें है लेकिन इस अभ्यारण्य में पेंथर, जरख, भेडिया, भालू, नीलगाय, बंदर, मोर, चौसिंगा, नाइटजार आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं। जहां सन् 2003 में वन्यजीवों की गणना के अनुसार इस अभ्यारण्य में 18 पेंथर थे, वहीं 2004 में ये सब समाप्त हो गये। इसी प्रकार जहां करीब 1300 बन्दर थे उनमें से करीब 800 बन्दर कम हो गये।

इस अभ्यारण्य के अन्तर्गत ग्राम विषधारी में, ग्राम दरा का नयागांव में तथा ग्राम फलास्तूनी में पूर्व में लाखों रुपये की लागत से तीनों ही गांवों में अलग-अलग एनीकट बनाये गये थे और इन एनीकटों में अनेक पक्षी जलक्रीड़ा करते थे। साथ ही ये जंगली जानवरों के लिए पेयजल के भी उपयुक्त स्थान थे लेकिन काफी समय से ये एनीकट क्षतिग्रस्त हो गये। इस कारण पक्षियों का आवागमन समाप्त हो गया तथा

पशुओं, पक्षियों व जंगली जानवरों को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। इस कारण पक्षियों का जाना व जानवरों का पलायन करना भी आरम्भ हो गया। इस क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा शिकार करने के कारण भी पेंथर, मोर, बन्दर आदि काफी संख्या में कम हो गये। पूर्व में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मंत्री महोदय ने इन एनीकटों की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था। केन्द्रीय वन राज्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा भी दिनांक 21.11.2005 को, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार, जयपुर का ध्यान इन एनीकटों की मरम्मत की ओर दिलवाया था लेकिन खेद है कि यह कार्य अब तक भी पूरा नहीं हुआ और वन्य जीवों के लिए परेशानी पैदा हो गई।

मैं विशेष उल्लेख के जर्ये सरकार का ध्यान पुन: आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि शीघ्र इन तीनों एनीकटों की मरम्मत हेतु बजट स्वीकृत करके इनका कार्य चाहे वन विभाग से चाहे सिंचाई विभाग से करवाने का कष्ट करें।

श्री हरिमोहन शर्मा
(हिण्डौली)

निवाड़ मेें ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों को मुआवजा देने की मांग

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में चालू वर्ष के फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में रजवास, मुण्डिया, बड़ागांव, सिरोही, अरनियां, चुराड़ा, दतवास, पहाड़ी, बरौनी, डांगरथल, खणदेवत, हिंगोटिया, राहोली, हणुतिया, चेनाणी, सीदड़ा, गिरधारीपुरा, जौंला, सोहेला, मण्डावर, चिरौंज, भाची देवली, देवपुरा, देवरणिया आदि गांवों में लगभग 200 से 300 ग्राम वजन की ओलावृष्टि हुई जिसमें इस क्षेत्र की रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी प्रकार खरीफ की फसल को भी इस ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। मैंने स्वयं भी क्षेत्र में जाकर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा कर जायजा लिया। जिसमें अधिकतर सरसों की पकी हुई फसल, जीरा की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि से कई किसानों के मकानों, पशुधन को भी क्षति पहुंची है।

मैं माननीय सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ओलावृष्टि क्षेत्रों का पुन: जायजा लिया जाकर किसानों को आर्थिक सहायता दिलायी जाए।

श्री हीरालाल
(निवाई)

पुष्कर राज से ग्राम कडैल, बस्सी होते हुए परबतसर-मकराना जाने वाली सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) घोषित करवाने हेतु

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि भारत वर्षीय समस्त तीर्थ में प्रमुख कहलाये जाने वाले सब तीर्थों के राजा पुष्कर राज जहां पूरे देश ही नहीं वरन् विदेशों से भी लोग दर्शनार्थ एवं भ्रमण करने हेतु आते रहते हैं। यहां से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय परबतसर एवं 80 कि.मी. की दूरी पर विश्वविख्यात संगमरमर नगरी मकराना स्थित है। परबतसर शहर से मेगा हाइवे नं. 7 निकलती है जो पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर एवं दिल्ली को जोड़ती है एवं स्टेट हाइवे नं. 21 जो मीरा बाई की नगरी मेड़ता, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही विश्वविख्यात मार्बल नगरी मकराना से नागौर होते हुये भी स्टेट हाइवे नं. 2 बी जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही मकराना का मार्बल जो पूरे विश्व में विख्यात है जहां दुनिया के कोने-कोने से व्यापारी मार्बल क्रय करने आते है व यहां से तीर्थ नगरी पुष्कर में दर्शनार्थ एवं भ्रमण हेतु पधारते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल, बस्सी, भड़सिया होते हुये पीपलाद तक जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में) में क्रमोन्नत करवा दिया जाता है तो आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश विदेश से आने वाले मार्बल व्यापारी एवं भ्रमण पर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को जो पुष्कर के बाद मार्बल नगरी मकराना होते हुये जोधपुर बीकानेर एवं बाड़मेर जैसलमेर की सैर करना चाहते हैं उन्हें आने जाने में काफी सुविधा तो मिलेगी ही साथ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।

अत: करवाने की कृपा करावे तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल, बस्सी, भड़सिया होते हुये पीपलाद तक जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में) में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें।

श्री राकेश मेघवाल

(परबतसर)

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं बालिकाओं का छात्रावास खोले जाने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील को छोड़कर जोधपुर जिले की अन्य सभी तहसील मुख्यालयों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों/छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है, परन्तु शेरगढ़ मुख्यालय पर आज तक कोई भी छात्रावास नहीं खोला गया है, जबकि इस तहसील मुख्यालय एवं आस-पास के गांवों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। स्थानीय के ग्रामवासियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालकों का छात्रावास खोलने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है।

शेरगढ़ तहसील की पंचायत समिति बालेसर की नाथडाऊ ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में दूरदराज की ढाणियों में निवास कर रहे हैं। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिलवाने में असमर्थ है। इस कारण इन परिवारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालकों का छात्रावास खोलने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है।

शेरगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत देचू जोधपुर-जैसलमेर हाइवे मार्ग के मुख्य सड़क पर स्थित है। यहां पर अनुसूचित जाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं एवं अपने परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने हेतु लगातार अनुसूचित जाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं।

इन तीनों स्थानों क्रमश: शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत नाथडाऊ एवं ग्राम पंचायत देचू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक समाज कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति का एक भी छात्रावास नहीं है। तथा शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं का एक भी छात्रावास नहीं है।

अत: शेरगढ़ मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति के बालकों का, ग्राम पंचायत नाथडाऊ में अनुसूचित जनजाति के बालकों का एवं ग्राम पंचायत देचू में अनुसूचित जाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की आवश्यकता रहेगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़
(शेरगढ़)

महुआ विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु

प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी का मेरे क्षेत्र की

जनता एवं मेरी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में गत ग्रामीण वर्षों से चली आ रही भीषण एवं ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण कराते हुऐ क्षेत्र में छोटे-मोटे कार्यों के अलावा उचित स्थान पर हास्पिटल निर्माण की स्वीकृति पानी के संरक्षण हेतु नदी पर दो सरफेश वेरयोर निर्माण तथा क्षेत्र में जी.एस.एस. नलकुप हैण्डपम्प तथा सी.सी. रोडों का जाल बिछाया है जिसे क्षेत्र की जनता कमी नहीं भुला सकती है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्षेत्र में हो रही एक भीषण एवं ज्वलन्त समस्या राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की ओर आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि महुआ में एक राजकीय महाविद्यालय जिसकी जनहित में नितान्त आवश्यकता है। खोलने की स्वीकृति इस बजट में करने का कष्ट करेंगे। इससे मैं और मेरे क्षेत्र की जनता सदैव आभारी रहेंगे।

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर
(महुआ)

चिराना जिला झुंझुनूं के राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं बाबत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय को क्रमोन्नत हुए दूसरा सत्र चल रहा है उसमें अभी तक भी स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ नहीं की गई तथा प्रोफेसरों के पद भी स्वीकृत नहीं हुए हैं। इस महाविद्यालय में पद स्थापित व्याख्याता (हिन्दी) को पिछले तीन वर्ष से सालासर में डेपुटेशन पर लगाया हुआ तथा वेतन इसी महाविद्यालय के नाम से उठाया जाता है। इस महाविद्यालय में कार्यरत अंग्रेजी की व्याख्याता जुलाई, 2006 से अनुपस्थित चल रही है। इस कारण यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो चुकी है।

यहां अध्ययनरत करीब 150 विद्यार्थी हैं जिनमें करीब 70 लड़कियां हैं इस महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र नहीं है यहां से करीब 35 कि.मी. दूर सीकर में परीक्षा केन्द्र होने से आने जाने में समय व्यर्थ तथा काफी रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

मान्यवर समय रहते उक्त समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो वहां के विद्यार्थियों तथा नागरिकों के साथ अन्याय ही होगा। अत: शीघ्र कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह
(नवलगढ़)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में दिनांक 28 फरवरी, 2007 को सायंकाल तेज वर्षा, हवा एवं ओलावृष्टि से इस क्षेत्र के किसानों की फसल एवं सब्जियां जो पूर्ण रूप से पक कर तैयार हो चुकी थी इस वर्षा एवं ओलावृष्टि से 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है इस वर्षा से गेहूं, जौ, सरसों व चने तथा सब्जियों में टमाटर, मिर्च, तोरई व लौकी आदि किसानों को हुये नुकसान से किसानों में मायूसी छा गई है तथा किसान बर्बाद हो गये हैं। किसानों को हुये नुकसान की भरपाई के लिये पूरे क्षेत्र में आकस्मिक सहायता एवं अकाल राहत कार्य तत्काल खोले जाएं साथ ही इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में अकाल की भयंकर स्थिति है। पटवारियों को हुये नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाय तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नुकसान हुये गांवों का विवरण इस प्रकार से है :-

(1) दूधली (2) सुजानपुरा (3) भौरवाडा (4) चारणवास (5) रोहिताशपुरा (6) रामपुरा बास (7) कल्याणपुरा (8) बिराजपुरा (9) टोडाभाटा (10) दामोदरपुरा (11) बस्सी (12) मनोहरपुरा (13) देवापुरा (14) अखैयपुरा (15) भांकरी (16) चक भाजपुरा (17) भाजूपुरा (18) नया गांव (19) किशनपुरा (20) फालियावास (21) झर (22) खोरी (23) नीमोरा (24) मालीहाला (25) बासखो (26) पाटन (27) उगावास (28) लालपुरा (29) तिलपट्टी (30) राजपुरा (31) पातलवास (32) चितौडी (33) श्रीनगर (34) टेकचन्दपुरा (35) चारणान (36) बावडी का बास (37) रोजवाडी (38) भूडला

अत: मैं अकाल राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में बोलने की अनुमति प्रदान की जाय तथा उपरोक्त गांवों में तत्काल अकाल राहत कार्य एवं सर्वे कराया जावे जिससे किसानों को राहत एवं सहायता मिल सके।

श्री कन्हैया लाल मीणा
(बस्सी)

पाली नगर परिषद् में फर्जी पट्टों से कब्जों व अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में

महोदय,

इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नगर परिषद् पाली में पिछले दिनों परिषद् रिकार्ड में

हेराफेरी कर फर्जी पट्टे बनाने के कई प्रकरण सामने आये हैं। इन प्रकरणों में पीड़ित पक्ष एवं परिषद की ओर से दस मुकदमें भी पुलिस में दर्ज कराये गये। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी जांच की गई। जांच अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि बड़े पैमाने पर रिकार्ड में हेराफेरी कर फर्जी पट्टे बनाये गये और उन्होंने इन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की जानी है वे भी प्रस्तावित किया है। नया गांव स्थित कस्तूर खा नगर के भू.सं. 37 एवं 38 का फर्जी पट्टा बनाये जाने वाले के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही हेतु निर्देश दिया परन्तु इन फर्जी पट्टों पर परिषद् द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति भी जारी कर देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही जांच अधिकारी ने प्रस्तावित नहीं की है जबकि इन भूखण्डों का ना तो मूल पट्टा था, ना इन पट्टों सम्बन्धित पत्रावली परिषद् कार्यालय में उपलब्ध थी, ना ही पट्टे पर अंकित राशि जमा कराने की रसीद संख्या का रसीद बुक से मिलान किया गया पट्टों के मानचित्र में भी भारी अन्तर स्पष्ट नजर आने के बावजूद भी परिषद् सभापति के नाजायज दबाव से मात्र दस दिन के भीतर-भीतर निर्माण स्वीकृति भी जारी कर दी गई।

मान्यवर पूर्व में जांच अधिकारी द्वारा जो जांच की गई उसमें उक्त तथ्यों की ओर उनका ध्यान नहीं गया इस कारण उन्होंने फर्जी पट्टों पर निर्माण स्वीकृति में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की।

कृपया उपरोक्त तथ्यों पर जांच अधिकारी से टिप्पणी मंगा फर्जी पट्टों पर भवन निर्माण स्वीकृति जारी करवाने में लिप्त रहे सभी दोषियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करावें।

श्री ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

भादरा (हनुमानगढ़) तथा तारानगर (चूरू) तहसील के सिंचाई से वंचित एक दर्जन से अधिक गांवों का सर्वे कर चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट योजना या सिद्धमुख सिंचाई योजना से जोड़ने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की मन्जूरी के समय तहसील भादरा व तारानगर के गांव सिंचाई से जुड़ने प्रस्तावित थे और उसके बाद साहवा लिफ्ट योजना बनाई गई इन दोनों परियोजनाओं से इस क्षेत्र के पूरे इलाके को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित था।

किन्तु लम्बे समय बाद सिद्धमुख परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सर्वे में बदले राजनैतिक परिदृश्य ने मूल योजना का नक्शा ही बदल दिया। जिसके कारण इस क्षेत्र के 14 गांव सिचाई से वंचित रह गये। उधर साहवा लिफ्ट निर्धारित योजनानुसार बनाई जाकर इसमें निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस प्रकार इन दोनों परियोजनाओं के बीच में 14 गांवों की पट्टी बिना सिंचाई के रह गई हैं। जिसके कारण इस क्षेत्र के हजारों काश्तकारों की भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हो गई।

अत: इन 14 गांव जिनमें भाड़ी, श्योराटाडा, अलायला, जगासरी बड़ी, जगासरी छोटी, मुन्दड़िया बड़ा, रामपुरा, घोटड़ा पट्टा, किकराली, घोटड़ा खलसा, मुडेरना (भादरा तहसील के गांव) एवं कालवास, रांगेडी, साहवा (तारानगर, चुरू) के किसान/काश्तकारों की महत्वपूर्ण समस्या के निदान हेतु सकारात्मक प्रयास किये जाने वास्ते मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इन एक दर्जन से अधिक गांवों को सिंचाई सुविधा से जुड़वाया जावे।

डा. सुरेश चौधरी
(भादरा)

कपासन विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान बाबत

राजस्थान प्रदेश की कल्याणकारी सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजेजी एवं मंत्री महोदय गण जो मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन की जनता एवं मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं आभार व्यक्त करते हुए सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश की कल्याणकारी सरकार द्वारा दिसम्बर 2003 से अब तक जो विकास कार्य करवाये हैं, वे अपने आप में एक आदर्श है। हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को हर क्षेत्र में राहत प्रदान की है। विकास के नये आयाम प्रस्तुत किये हैं। कभी भी विकास में धन की कमी नहीं आने दी। तो इन्द्र देव ने भी अपनी कृपा में कमी नहीं आने दी। अत: कल्याणकारी सरकार आते ही अच्छी बारिश के साथ अच्छी फसलें हुई। किसान खुशहाल हुए।

किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी हाल ही में हुई तेज हवाओं के साथ व आंधी के साथ हुई वर्षा व ओलावृष्टि से अफीम की फसल को नुकसान पहुंचा है। औलावृष्टि से डोडा पोस्तों से निकला हुआ दुध (अफीम) मल कर नीचे जमीन पर मिट्टी में मिल गया। अफीम के पौधे नीचे जमीन पर गिर गये। उन किसानों ने चूंकि डोडो पर चीर लगा दी थी, अत: अब वे हंकवा भी नहीं सकते हैं तो असमय वर्षा सहित ओलावृष्टि से अफीम का उत्पादन अति न्युन होगा, जिससे ऐसे काश्तकारों को अफीम औसत प्रस्तुत करने में छूट प्रदान किया जाना आवश्यक है।

साथ ही ऐसे काश्तकार जो पूर्व में बराबर औसत अफीम जमा कराते आ रहे

थे, गत वर्ष जिनकी फसल खराब हो गई थी, उन्होंने चीर नहीं लगाकर, फसल हकवा कर राहत की मांग की थी, तथा मुआवजे की मांग की थी, किन्तु उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, उनके पट्टे जबरदस्त मांग के दबाव में पुन: इस वर्ष दिये गये थे ऐसे काश्तकारों ने इस वर्ष अफीम की फसल पुन: बोई थी। ऐसे काश्तकार अपनी अफीम की फसल के डोडा (पोस्त) पर चीर लगाने वाले ही थे कि अभी हुई वर्षा व ओलावृष्टि से अफीम के पोथे जमीन पर गिर गये। ऐसी स्थिति में किसान यदि चीर लगाते हैं तो भी पूरी औसत अफीम नहीं बैठेगी। अत: ऐसे काश्तकारों के अफीम जमा कराने के औसत में कमी की जाना आवश्यक होगा व ऐसे किसानों को मुआवजा भी प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

मुझे विश्वास है कि प्रदेश की कल्याणकारी सरकार निश्चित रूप से किसानों के हित में केन्द्र सरकार पर पत्रों द्वारा दबाव बनायेगी ताकि किसानों को अफीम की औसत में कमी करने के आदेश जारी हो। तथा किसानों को मुआवजा मिले।

अत: निवेदन है कि केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर, अफीम की औसत में कमी के आदेश प्रसारित करने हेतु दबाव बनाया जावे ताकि किसानों को तत्काल राहत मिल सके। साथ ही मुआवजे की मांग की जावे।

श्री बद्रीलाल जाट
(कपासन)